सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

बजट 2026-2027

श्रीमती दिया कुमारी

उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान

का

बजट भाषण

11 फरवरी 2026

फाल्गुन कृष्ण ९, विक्रम संवत् २०८२

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं, राज्य के वर्ष 2025–26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

2. हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से '**सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास**' के मूलमंत्र को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आर्थिक समृद्धि, सतत व समावेशी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हम निरन्तर प्रयासरत हैं। विकसित राजस्थान@2047 (**दो हजार सैंतालीस**) की संकल्पना को साकार करने के लिए इस विकास यात्रा में गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति (GYAN) की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण तथा सुशासन को प्राथमिकता दी है। हमने अल्प समय में ही प्रदेश में–

I. सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख (**इक्यानवे लाख**) से अधिक लाभार्थियों को लगभग 28 हजार 400 करोड़ (**अट्ठाइस हजार चार सौ करोड़**) रुपये की पेंशन देने के साथ–साथ समाज के अन्तिम छोर पर खड़े जरूरतमंद व्यक्ति को भी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाकर सशक्त किया है।

II. युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए भर्ती परीक्षाओं का पारदर्शिता के साथ समयबद्ध रूप से आयोजन कराकर रोजगार के अवसर प्रदान किये हैं।

III. किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 76 लाख 18 हजार (**छिहत्तर लाख अठारह हजार**) किसानों को 10 हजार 900 करोड़ (**दस हजार नौ सौ करोड़**) रुपये से अधिक की सहायता

दी है। साथ ही, हमने गेहूँ की Minimum Support Price (MSP) के ऊपर **150 (एक सौ पचास) रुपये प्रति क्विंटल Bonus राशि** तथा 2 लाख 5 हजार **(दो लाख पांच हजार)** से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन देकर किसान भाइयों को समृद्ध एवं खुशहाल बनाने का कार्य किया है।

IV. हमने प्रदेश की महिलाओं को मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit, लाडो प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्द्धन, मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन, सोलर दीदी एवं लखपति दीदी जैसी योजनाओं के माध्यम से सशक्त करते हुए आत्मनिर्भर बनाया है।

3. जैसा कि अमेरिकी लेखक **Benjamin Franklin** ने कहा है–

"Without continual growth and progress, such words as improvement, achievement, and success have no meaning."

अर्थात् **''निरन्तर प्रगति एवं विकास के बिना सुधार, उपलब्धि तथा सफलता जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं है।''**

4. इसी भावना के साथ हमने उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, Infrastructure जैसे क्षेत्रों को महत्व देते हुए सशक्त व आत्मनिर्भर विकसित राजस्थान@2047 **(दो हजार सैंतालीस)** की परिकल्पना की है। हमने इसे साकार करने के लिए राज्य को पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन से उबारने के साथ अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में निवेश को प्रोत्साहन भी दिया है। सामाजिक–आर्थिक विकास के साथ–साथ राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने एवं पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में हमने पिछले वर्ष राज्य का पहला 'हरित बजट' (Green Budget) भी प्रस्तुत किया है।

5. मुझे सदन को अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे द्वारा किये गये Structural Reforms एवं कुशल वित्तीय प्रबन्धन से जहाँ एक ओर पिछली सरकार के अन्तिम वर्ष की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार 41.39 **(इकतालीस दशमलव तीन नौ)** प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2026–27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ **(इक्कीस लाख बावन हजार एक सौ करोड़)** रुपये अनुमानित है। वहीं, दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी एक लाख 67 हजार **(एक लाख सड़सठ हजार)** रुपये से बढ़कर उल्लेखनीय वृद्धि के साथ वर्ष 2025–26 की समाप्ति पर 2 लाख 2 हजार 349 **(दो लाख दो हजार तीन सौ उनचास)** रुपये तक पहुंच जायेगी। इस प्रकार हमारी डबल इंजन सरकार के साझा प्रयासों एवं ठोस कार्य योजना से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक रफ्तार मिली है, जिसका सीधा लाभ 8 करोड़ **(आठ करोड़)** प्रदेशवासियों को मिल रहा है। मैं, यहाँ पर कहना चाहूँगी कि–

''कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें।
लहर–लहर तूफान मिले और संग–संग मझधार हमें।
फिर भी दिखलाया है हमने, और आगे दिखा भी देंगे।
इन हालातों में आता है दरिया करना पार हमें।।''

6. इसी हौसले के साथ हमने इस कार्यकाल की शुरूआत में ही विकसित राजस्थान की कार्ययोजना के लिए 10 **(दस)** संकल्प निर्धारित किये थे। 'हम जो कहते हैं, वो कर दिखाते हैं' की सोच के साथ हमने प्रदेश के चहुँमुखी दीर्घकालिक विकास के लिए Vision Document—'**विकसित राजस्थान @ 2047**' के अन्तर्गत इन संकल्पों को **विकास स्तम्भों** के रूप में स्थापित किया है। यह बजट भी इन्हीं विकास स्तम्भों को आधार बनाकर 'विकसित राजस्थान @ 2047' के विजन को साकार करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह बजट प्रदेश को '**संकल्प से सिद्धि**', '**नीयत से नीति**' तथा '**आकांक्षा से उपलब्धि**' की ओर अग्रसर करने वाला बजट है।

पहला स्तम्भ : अव-संरचना का विस्तार **(Infrastructure Expansion)**

देश की विकास यात्रा का कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी जी** ने कहा है–

''यदि आप स्थायी विकास चाहते हैं तो सबसे पहले आधारभूत संरचना की आवश्यकता होगी।''

इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए इस कार्यकाल की शुरूआत से ही हम प्रदेश में मजबूत Infrastructure के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। वर्ष 2024–25 में ही हमारे द्वारा 30 हजार 427 करोड़ **(तीस हजार चार सौ सत्ताइस करोड़)** रुपये का पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure) किया गया है, जो कि आज तक किसी भी वर्ष में किया गया सर्वाधिक पूँजीगत व्यय है।

सड़क :

विकसित राजस्थान @2047 के विजन को साकार करने के लिए सुगम व बाधा रहित परिवहन तथा यातायात के लिए road network का सुदृढ़ीकरण, level crossing को समाप्त करना, बाईपास निर्माण, सड़क सुरक्षा के लिए Black Spots का सुधार, Intelligent Transport System का विस्तार तथा औद्योगिक विकास के लिए पहुंच मार्गों का निर्माण व विकास हमारी प्राथमिकतायें हैं।

हमारी सरकार के इस कार्यकाल में सड़क विकास पर **लगभग 27 हजार 860 करोड़ (सत्ताइस हजार आठ सौ साठ करोड़) रुपये** का व्यय कर 16 हजार 430 **(सोलह हजार चार सौ तीस)** किलोमीटर लम्बाई की नवीन सड़कों को शामिल करते हुए **लगभग 42 हजार (बयालीस हजार) किलोमीटर** सड़कों के विकास का कार्य किया गया है।

7. प्रदेश के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुगम बनाने के लिए **State Highways, ROB/ RUB/ Flyover/ Elevated Roads, Bridges** आदि के निर्माण, मरम्मत व उन्नयन सम्बन्धी कार्य लगभग **एक हजार 800 करोड़ (एक हजार आठ सौ करोड़) रुपये** की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं–

I. State Highways व अन्य सड़क निर्माण कार्य–		
क्र.सं.	**State Highways**/सड़कें	लागत
1.	दुलेरी–ढाणी मेघसर सम्पर्क सड़क से ढाणी तेजमाल सिंह (1 किमी.); चाहरवाला से दांतली (2.5 किमी.); तारानगर–टमकोर सड़क से नरसिंहनगर (1 किमी.); सिद्धमुख से दयावठ से एमडीआर–339 सड़क निर्माण (3.2 किमी.) (तारानगर) –चूरू	2 करोड़ 10 लाख रुपये
2.	नेशनल हाईवे 325 सिवाना मोकलसर रोड से मोकलसर रेलवे स्टेशन तक सीसी सड़क निर्माण (1.50 किमी.) –बालोतरा	2 करोड़ 27 लाख रुपये
3.	अजमेर–पुष्कर बड़ी घाटी सड़क निर्माण कार्य (7.50 किमी.) –अजमेर	12 करोड़ रुपये
4.	सामोड़ी दरीबा महेन्द्रगढ़ नान्दशा डेलाना कांगनी तक सड़क चौड़ाई एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (41 किमी.) (सहाड़ा)–भीलवाड़ा	45 करोड़ रुपये
5.	छग्गा का झोंपड़ा से धांधोला चौराहे तक सड़क नवीनीकरण का कार्य (12 किमी.) (जहाजपुर)–भीलवाड़ा	15 करोड़ रुपये
6.	जारोड़ा से बूटाटी धाम वाया सिरसला सड़क (12 किमी.) (मेड़तासिटी)–नागौर	4 करोड़ 21 लाख रुपये
7.	बामणिया–सुथारों की ढाणी से लोहावट तक सड़क निर्माण (6 किमी.)–फलौदी	2 करोड़ 15 लाख रुपये
8.	कुशालगढ़ तिराहे से थेन्क्यू बोर्ड वाया भर्तृहरि सड़क (15 किमी.) (थानागाजी)–अलवर	20 करोड़ रुपये
9.	मांडल–शाहपुरा सड़क का सुदृढ़ीकरण (40 किमी.)–भीलवाड़ा	98 करोड़ रुपये

10.	विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं विकास के कार्य (विद्याधरनगर) –जयपुर	20 करोड़ रुपये
11.	झिराणा–टोडारायसिंह (SH-116) पर लाम्बाकलां में पुल निर्माण–टोंक	12 करोड़ रुपये
12.	रोडवेज डिपो से देवली बाईपास तक सड़क सुदृढ़ीकरण–टोंक	6 करोड़ रुपये
13.	भुवाणा चौराहे से अम्बेरी फ्लाई ओवर तक सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य–उदयपुर	38 करोड़ 50 लाख रुपये
14.	NH-27 से विजयपुर वाया अभयपुरा–पालेर–गोरसिया का सड़क निर्माण कार्य (25 किमी.)–चित्तौड़गढ़	40 करोड़ रुपये
15.	बोरूंदा भोपालगढ़ सड़क से खुवासपुरा–पूंडलू सड़क वाया गोडावत (5 किमी.)–जोधपुर	8 करोड़ 30 लाख रुपये
16.	भाचभर–गडरारोड ब्लॉक सेक्शन में किमी. 906/01 पर समपार सं. 338पी पर अंडरब्रिज का निर्माण–बाड़मेर	8 करोड़ रुपये
17.	छऊ से बजवा तक सड़क का निर्माण (5 किमी.) (उदयपुरवाटी)–झुंझुनूं	1 करोड़ 45 लाख रुपये
18.	माताभर दिल्ली चौराहा से मकराना बाईपास, मकराना से उपजिला चिकित्सालय होते हुए बनाराम गुर्जर की ढाणी पलाडा रोड, जूसरिया से बूडसू उपतहसील से तहसील तक, गच्छीपुरा से वाया गेहडाकलां–बेसरोली–मामडोली–सबलपुर–बोरावड़ सड़क (23.5 किमी.) (मकराना)–डीडवाना कुचामन	22 करोड़ 70 लाख रुपये
19.	बड़ला बासनी मुख्यालय से गंगाराम जी के ट्यूबवेल होते हुए पीड़ीयारों की ढाणियों तक डामर सड़क का निर्माण (3 किमी.) (औंसिया)–जोधपुर	1 करोड़ 10 लाख रुपये
20.	चिकनास से ईग्यासनी (NH-58) वाया सारसण्डा–निम्बोला कला–बच्छवास –पोलास सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (19 किमी.) (डेगाना)–नागौर	19 करोड़ रुपये
21.	सम्पर्क सड़क भाण्डाहेड़ा से सुहाना सहित सड़कों के सुदृढ़ीकरण के कार्य (सांगोद)–कोटा	5 करोड़ रुपये

22.	निम्बी जोधा से मालगांव–सिकराली–तिपनी–ढिंगसरी–रोजा–सिलनवाद सड़क (25 किमी) –डीडवाना कुचामन	5 करोड़ रुपये
23.	वैशाली नगर क्षेत्र के मुख्य मार्गों के सौन्दर्यीकरण कार्य–जयपुर	5 करोड़ रुपये
24.	पुष्कर घाटी मार्ग का चौड़ाईकरण (6 किमी.) –अजमेर	12 करोड़ रुपये
25.	विजयनगर से केकड़ी तक सड़क–अजमेर	15 करोड़ रुपये
26.	पाटन से किशनगढ वाया तिलोनिया–हरमाड़ा–भोजियावास सड़क (किशनगढ़)–अजमेर	35 करोड़ रुपये
27.	नौगाँवा से (NH–248) नसवारी चौकी (SH–45) सड़क (18.5 किमी) (रामगढ़)–अलवर	3 करोड़ रुपये
28.	NH–48 दहमी फ्लाई ओवर से दहमी होते हुए (SH–14) तक सड़क निर्माण–कोटपूतली बहरोड़	2 करोड़ 50 लाख रुपये
29.	श्री चूंकी माता जी मंदिर से मोडराम गोरसिया की चक्की तक डामर सड़क (2 किमी.)–बालोतरा	80 लाख रुपये
30.	चीलानाडी (जानीयाणा) से श्री खेमा बाबा मंदिर तक वाया श्री चूंकी माता जी मंदिर तक सड़क निर्माण (3 किमी.)–बालोतरा	1 करोड़ 20 रुपये
31.	थापड़ा बास स्टेण्ड से बोराखान्डी तीन रास्ता वाया दलपुरा पाटीया गालीया डामर सड़क (6 किमी.) (आनन्दपुरी)–बांसवाड़ा	1 करोड़ 60 लाख रुपये
32.	आँजना से गलिया कोट पुल तक (शीतला माता शक्ति पीठ एवं बोहरा समुदाय का विश्व विख्यात दरगाह) (10 किमी.) (गढ़ी)–बांसवाड़ा	14 करोड़ रुपये
33.	रतनपुरा से चेनपुरिया सड़क मय अंधेरी नदी पर पुलिया निर्माण कार्य (अटरू)–बारां	9 करोड़ रुपये
34.	छीपाबड़ौद सरकारी पुलिया से बालाजी की डूंगरी तक सड़क (0.75 किमी.) (छबड़ा)–बारां	2 करोड़ रुपये
35.	रामगढ़ रोड़ फतेहपुरा गांव तक डामर सड़क (किशंनगज)–बारां	2 करोड़ 20 लाख रुपये
36.	चौहटन मुख्यालय से ईशरोल तक सड़क (12 किमी.) (चौहटन)–बाड़मेर	12 करोड़ रुपये

37.	उड़ासर से तहसील मुख्यालय नोखड़ा (वाया गोलिया, जेतमाल, मीठीबेरी, नोखड़ा) तक सड़क (गुढ़ामलानी)—बाड़मेर	20 करोड़ रुपये
38.	बागुण्डी—मलवा महादेव मंदिर किमी. 0/0 से 10/0 तक (10 किमी.) (पचपदरा)—बालोतरा	2 करोड़ रुपये
39.	बावतरा (जालोर) सीमा से पादरू—मीठोडा तक डबल लेन का अधूरा कार्य (12 किमी.) (सिवाना)—बालोतरा	12 करोड़ रुपये
40.	उच्चैन गहनौली मोड़ सड़क से पॉलीटेक्निक कॉलेज रूंधखरका तक नवीन सड़क निर्माण—भरतपुर	12 करोड़ रुपये
41.	भरतपुर क्षेत्र में सड़क निर्माण (20 किमी)—भरतपुर	30 करोड़ रुपये
42.	रूदावल बाईपास निर्माण (बयाना)—भरतपुर	60 करोड़ रुपये
43.	कोसी चौराहा से डीग गेट तक सीसी सड़क (कामां)—डीग	12 करोड़ 50 लाख रुपये
44.	गुलपाडा से जुरहरा वाया अमरूका तक सड़क (13 किमी.) (कामां)—डीग	12 करोड़ रुपये
45.	उत्तरप्रदेश बॉर्डर से नरैना चौथ—पास्ता—परमदरा—टांकोली —महमदपुर—बरई—बन्धाचौथ दीनापुर—पान्हौरी—बेढ़म तक सड़क (नगर)—डीग	27 करोड़ रुपये
46.	वल्लभगढ़ सड़क से देव बाबा मन्दिर जहाज तक सड़क (वैर)—भरतपुर	17 करोड़ रुपये
47.	भुसावर सड़क से भुसावर वल्लभगढ़ सड़क, भुसावर बाईपास तक सड़क निर्माण (वैर)—भरतपुर	25 करोड़ रुपये
48.	भीलवाड़ा से देवगढ़ सड़क (किमी. 30/400 से 35/0 तक) का सुदृढ़ीकरण (4.60 किमी) (माण्डल) —भीलवाड़ा	4 करोड़ 50 लाख रुपये
49.	बडलियास से भवानीपुरा तक सड़क (3.20 किमी.) (मांडलगढ़)—भीलवाड़ा	2 करोड़ 40 लाख रुपये
50.	बीकानेर (पूर्व) में सड़क निर्माण कार्य—बीकानेर	5 करोड़ रुपये
51.	महादेववाली से 507 हैड तक डामर सड़क (9 किमी.) (खाजूवाला)—बीकानेर	4 करोड़ रुपये

52.	मेणोली से हरिपुरा उर्फ काली तलाई तक सड़क (केशोरायपाटन)–बूंदी	2 करोड़ 50 लाख रुपये
53.	देवगढ़ से सामली पठार तक सड़क (बड़ी सादडी)–चित्तौड़गढ़	70 लाख रुपये
54.	गाडरी खेडा (सतपुडा) से सिंहपुर वाया कंथारिया, नेतवाल महाराज, बैजनाथिया, छापरी तक सड़क (19 किमी.)–चित्तौड़गढ़	40 करोड़ रुपये
55.	दुर्गा माता मन्दिर से आकोला वाया बबराणा सांवता गाडरीयावास आकोला (12 किमी) (कपासन)–चित्तौड़गढ़	15 करोड़ रुपये
56.	निम्बाहेड़ा करथाना फाटक से बड़ोलीघाटा शाहबाद सड़क (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़	3 करोड़ 82 लाख रुपये
57.	भोजूसर उपाधियान से देगां तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण (9 किमी.) (सरदारशहर)–चूरू	3 करोड़ 60 लाख रुपये
58.	बिरमी खालसा से लिलकी बिड़ एवं एमडीआर रोड़ से मलवास तक नवीन सड़क निर्माण (तारानगर)–चूरू	1 करोड़ 60 लाख रुपये
59.	तारानगर में विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य (तारानगर)–चूरू	4 करोड़ रुपये
60.	नावां में श्यामगढ़ (एमडीआर–192) से SH 2सी वाया कांटिया बरजन सड़क निर्माण (15 किमी.) (डीडवाना–कुचामन)	6 करोड़ 75 लाख रुपये
61.	रा.प्रा.वि. नई बस्ती टांटिया से गमेरिया चौराहा तक सड़क (1.70 किमी) (आसपुर)–डूंगरपुर	85 लाख रुपये
62.	धाणी ढुण्डा मैन रोड से डगलामाता होते हुए नेपालपुरा स्कूल तक सड़क (2.35 किमी.) (आसपुर)–डूंगरपुर	1 करोड़ 17 लाख रुपये
63.	सीमलवाड़ा डूंगरपुर मेन रोड लाडसौर चार रास्ता से वेंजा शमशान घाट तक डामर सड़क (2.80 किमी) (चौरासी)–डूंगरपुर	1 करोड़ 10 लाख रुपये
64.	छाणी मगरी धाम से शम्भु ताबियाड हरकोडा के घर तक डामर सड़क निर्माण (3.80 किमी) (चौरासी)–डूंगरपुर	1 करोड़ 50 लाख रुपये
65.	शिव चौक से किसान चौक तक सीसी सड़क निर्माण –श्रीगंगानगर	10 करोड़ रुपये
66.	20 जेड से चुनावगढ़ तक सड़क (सादुलशहर)–श्रीगंगानगर	22 करोड़ 50 लाख रुपये

67.	ढाबां बस स्टेण्ड से 30 एमओडी होते हूए गायत्री ईंट उद्योग गुरूसर मोडिया तक सड़क (7 किमी.) (सूरतगढ़)– श्रीगंगानगर	3 करोड़ 15 लाख रुपये
68.	गोविन्दसर से 6 जीडीएम वाया 4 जीडीएम तक सड़क निर्माण (4.5 किमी.) (सूरतगढ़)–श्रीगंगानगर	3 करोड़ 60 लाख रुपये
69.	दौलतपुरा से बगवाड़ा तक सड़क (2.8 किमी.) (आमेर)–जयपुर	1 करोड़ 12 लाख रुपये
70.	ताला मोड़ से बिलोची सड़क वाया कांट (5 किमी.) (आमेर)–जयपुर	2 करोड़ रुपये
71.	शाहपुरा–जयपुर NH–248 से भूरानपुरा सड़क (4.5 किमी.) (आमेर)–जयपुर	2 करोड़ 3 लाख रुपये
72.	NH–52 सीकर रोड़ से प्राचीन भोमिया जी महाराज मन्दिर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य (गोविन्दगढ़) (चौमूं)–जयपुर	80 लाख रुपये
73.	मैन स्टैण्ड से मालेश्वर मन्दिर तक सीसी सड़क निर्माण (महारकलां) (चौमूं)–जयपुर	4 करोड़ रुपये
74.	चौमूं में विभिन्न सड़क कार्य (18 किमी.) (चौमूं)–जयपुर	5 करोड़ रुपये
75.	NH–8 से शैलेश्वर महादेव मन्दिर तक सड़क निर्माण (दूदू)–जयपुर	8 करोड़ रुपये
76.	साली से जडावता तक सडक निर्माण (दूदू)–जयपुर	4 करोड़ 50 लाख रुपये
77.	अजबपुरा कॉलेजमोड़ से धौलारोड, लालवास सड़क से नांगलबेला, नांगल गोगारियान से ईश्वरसिंहपुरा, जगमालपुरा से हनुमान मंदिर तेजाजी मंदिर तक सड़क निर्माण (जमवारामगढ़)–जयपुर	4 करोड़ 50 लाख रुपये
78.	कालवाड़ से जोरपुरा सुन्दरियावास (वाया मण्डा भोपावास, तन की ढाणी) तक सड़क निर्माण (10 किमी.) (झोटवाड़ा)–जयपुर	11 करोड़ रुपये
79.	सांगानेर में मिसिंग लिंक एवं कॉलोनियों में आन्तरिक सडक निर्माण–जयपुर	20 करोड़ रुपये
80.	जैसलमेर से बरमसर तक सड़क निर्माण (12 किमी.)–जैसलमेर	4 करोड़ 80 लाख रुपये

81.	पोलजी की डेयरी से श्री तेमडेराय माताजी के मन्दिर तक सड़क (पोकरण)–जैसलमेर	10 करोड़ 31 लाख रुपये
82.	आहोर में छीपरवाड़ा से मेडाउपरला–डूडसी प्याउ बागरा व चांदराई से पांचोटा–तरवाड़ा–मुलेवा–बिशनगढ़–निंबला तक सड़क (30 किमी) (आहोर)–जालोर	10 करोड़ रुपये
83.	भागली सिंधलान से चितहरणी, कुआबेर से झरडाजी बाडमेर सीमा तक, तडवा से हल्देश्वर महादेव मंदिर, धनानी से शीतला माता मंदिर तक सड़क निर्माण–जालोर	10 करोड़ 30 लाख रुपये
84.	मामावली रोड से वाडेली तक सड़क–जालोर	60 लाख रुपये
85.	रानीवाडा में पुलिया व सड़क निर्माण कार्य (रानीवाड़ा)–जालोर	5 करोड़ रुपये
86.	जाखोद से राठियों की ढाणी तक सड़क (2 किमी.) (सूरजगढ़)–झुंझुनूं	50 लाख रुपये
87.	जाखोद से लौटीया रोड तक सड़क (3 किमी.) (सूरजगढ़)–झुंझुनूं	75 लाख रुपये
88.	बिलाड़ा में विभिन्न सड़क निर्माण–जोधपुर	4 करोड़ रुपये
89.	जम्भेश्वर तपोस्थली जाम्बा से सुरपुरा सड़क निर्माण–फलौदी	12 करोड़ रुपये
90.	फखड़ मोड से डाडा गांव तक सड़क–करौली	8 करोड़ रुपये
91.	भूरीपहाड़ी–हाड़ौती सड़क SH–122 किमी 106/800 पर रपट (सपोटरा)–करौली	1 करोड़ 20 लाख रुपये
92.	कोटपूतली से बानसूर सीमा वाया नांगलपंडितपुरा हांसियावास, टमोरीवास, नांगडीवास जाटान तक सडक निर्माण(10.5 किमी.) –कोटपूतली–बहरोड़	15 करोड़ 75 लाख रुपये
93.	उंटोली–कोहराना (SH–14) निंभोर–खोहर–रैवाणा–तलवाना हरियाणा सीमा तक सड़क (14.5 किमी.)–कोटपूतली–बहरोड़	22 करोड़ रुपये
94.	SH–90 (खाटू) से कूड़ास बरनेल जायल राजोद छापरा बर्डी कमेडिया डोडू लालगढ तक सड़क निर्माण (3 किमी.) (जायल)–नागौर	5 करोड़ 10 लाख रुपये

95.	नारवा खुर्द खेतेश्वर सर्किल से हनुमान नगर रोड़ फाटा होते हुए लूणावास गांव तक डामर सड़क निर्माण कार्य (8 किमी.) (खींवसर)—नागौर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
96.	हिलोड़ी से ककड़ाय तक डामर सड़क निर्माण कार्य (8 किमी.) (खींवसर)—नागौर	2 करोड़ 80 लाख रुपये
97.	भेड आकला सड़क से मांगलियों बिश्नोईयों की ढाणी तक सड़क निर्माण (खींवसर)—नागौर	90 लाख रुपये
98.	भेड चावण्डिया सड़क से मेघवाल बिश्नोईयों की ढ़ाणी तक सड़क निर्माण (खींवसर)—नागौर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
99.	भेड गांव से सुगनाराम मेघवाल की ढाणी होते हुए शिवपुरा सड़क तक सड़क निर्माण (खींवसर)—नागौर	75 लाख रुपये
100.	भूण्डेल—मांडेलिया डामर सड़क से करमसोतों की ढाणियां, श्रीयादे नगर तक डामर सड़क निर्माण (2 किमी.) (खींवसर) —नागौर	60 लाख रुपये
101.	जीवन्द कलां से देवली पाबूजी, बोलागुड एवं बोरडी तक सड़क निर्माण—पाली	6 करोड़ 60 लाख रुपये
102.	जाडन से सुरायता तक सड़क निर्माण (4 किमी.) (सोजत)—पाली	2 करोड़ 20 लाख रुपये
103.	चिण्डावल स्टेशन से देवली हुल्ला वाया लाडपुरा, गुडाबीजा, रायरा कलां, रायरा खुर्द, खोडिया तक, सड़क निर्माण (22 किमी.) (सोजत)—पाली	12 करोड़ 10 लाख रुपये
104.	रेपडावास से रामासनी सांदवान तक सड़क निर्माण (8 किमी.) (सोजत)—पाली	3 करोड़ 21 लाख रुपये
105.	सुमेरपुर में विभिन्न नॉन पेचेबल सड़कों का पुनर्निर्माण (सुमेरपुर)—पाली	10 करोड़ रुपये
106.	आमेट से आगरिया सड़क (7.5 किमी.) (कुम्भलगढ़)—राजसमंद	5 करोड़ रुपये
107.	रेलमगरा में जल देवी माता मंदिर से उपखंड मुख्यालय तक सड़क निर्माण (12 किमी.) (नाथद्वारा)—राजसमंद	7 करोड़ रुपये

108.	नाहरसिंह पुरा में बामनवास महाविद्यालय से लेकर भोलू की ढाणी तक सड़क (2 किमी.) (बामनवास)–सवाईमाधोपुर	1 करोड़ रुपये
109.	दांतारामगढ़ में पुलिया व सड़क निर्माण कार्य (दांतारामगढ़) –सीकर	3 करोड़ रुपये
110.	रैवासी से भवानीपुरा–शाहपुर तक सड़क निर्माण (धोद)–सीकर	8 करोड़ 60 लाख रुपये
111.	बगड़ी से कुमास जाटान तक डामर सड़क (लक्ष्मणगढ़)–सीकर	90 लाख रुपये
112.	बगड़ी से दिनवा जाटान वाया भंवर सिंह व्यवस्थापक की ढाणी तक डामर सड़क (लक्ष्मणगढ़)–सीकर	90 लाख रुपये
113.	सात सांगरी सेमली से तिलरवा खेतलाजी सीमा तक सड़क निर्माण (पिण्डवाड़ा–आबू)–सिरोही	3 करोड़ रुपये
114.	कांटल अजारी रोड से पावटा फली रानेला तक सड़क निर्माण (पिण्डवाड़ा–आबू)–सिरोही	1 करोड़ 50 लाख रुपये
115.	रेवदर में पुलिया व सड़क निर्माण कार्य (रेवदर)–सिरोही	3 करोड़ रुपये
116.	मालपुरा क्षेत्र की विभिन्न सड़कों के कार्य (मालपुरा)–टोंक	10 करोड़ रुपये
117.	जाबला से नैनबारा सम्पर्क सडक (2.5 किमी.)–उदयपुर	2 करोड़ 75 लाख रुपये
118.	हाईवे हाकडी नाल (काया) से आमदरी (चणबोरा) में सडक निर्माण–उदयपुर	2 करोड़ 95 लाख रुपये
119.	देवलीकलां से घाटोली तक सड़क (8 किमी.) (रामगंजमण्डी) –कोटा	12 करोड़ रुपये
120.	रानी से बिरामी तक सड़क निर्माण (4 किमी.) (मारवाड़–जंक्शन) –पाली	2 करोड़ रुपये
121.	जैतपुर–तालीवाला–घनियासर सड़क (9 किमी.) (लूणकरणसर) –बीकानेर	3 करोड़ 60 लाख रुपये
122.	बड़ी सादड़ी में मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कार्य–चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़	5 करोड़ रुपये
123.	कालेडा नहर से होते हुए कैलाई (NH–21) वाया भोजपुरा तक मिसिंग लिंक सड़क (3.3 किमी.) (सिकराय)–दौसा	1 करोड़ 32 लाख रुपये

124.	भगलाव से रलावता रोड वाया गुर्जर बंध की ढाणी तक मिसिंग लिंक सड़क निर्माण (5 किमी.) (सिकराय)–दौसा	2 करोड़ रुपये
125.	विभिन्न मिसिंग लिंक सड़क निर्माण–झुंझुनूं	12 करोड़ 50 लाख रुपये
126.	सेना छावनी क्षेत्र, लालगढ़ में वैकल्पिक मार्ग पर सड़क निर्माण (सादुलशहर)–श्रीगंगानगर	60 लाख रुपये
127.	चाकसू में विभिन्न नॉनपेचेबल सड़क पुनर्निर्माण कार्य (चाकसू)–जयपुर	5 करोड़ रुपये
128.	काबरी से जेतपुरा वाया सिमाल धनोली तक सड़क (3.6 किमी) (कुम्भलगढ़)–राजसमंद	1 करोड़ 8 लाख रुपये
129.	गुलगांव–मेहरूकलां–बिसुन्दनी सडक मय पुलिया निर्माण (केकड़ी)–अजमेर	30 करोड़ रुपये
130.	SH–68 से हरचंद की प्याऊ, NH–68 से बायपास तक सड़क (5.1 किमी.)–बाड़मेर	11 करोड़ रुपये
131.	एचएच–68 बलदेव नगर से पानी की पीली टंकी तक सड़क (3 किमी.)–बाड़मेर	3 करोड़ 50 लाख रुपये
132.	धनवाडा चौराहा से चंवलेश्वर पार्श्वनाथ से राजगढ़ तक सड़क (13 किमी.) (जहाजपुर)–भीलवाड़ा	13 करोड़ रुपये
133.	बीकानेर (पश्चिम) में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर के पास जर्जर पुलिया नवनिर्माण–बीकानेर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
134.	टोलू का लुहारिया से एम.पी. सीमा तक वाया जावदा बाईपास, बलकुंडी, देवपुरा, जवाहरनगर तक सड़क (बेगूँ)–चित्तौड़गढ़	30 करोड़ रुपये
135.	एमडीआर 467 सड़क – रायथल से बासड़ी तक सड़क (3.5 किमी.) (आमेर)–जयपुर	5 करोड़ 25 लाख रुपये
136.	बगरू से कलवाड़ा वाया अजयराजपुरा सड़क (13 किमी.) (बगरू)–जयपुर	20 करोड़ रुपये
137.	हवामहल क्षेत्र की सड़कों का सुदुढ़ीकरण–जयपुर	5 करोड़ रुपये
138.	भाबरू से लुहाकना कलां सड़क (विराटनगर)–कोटपूतली बहरोड़	8 करोड़ 70 लाख रुपये

139.	डबाल से तलावियानाडी गोगाजी मन्दिर तक सड़क (4 किमी.) (सांचौर)–जालौर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
140.	डाडाफतेहपुरा–नालपुर–गौरीर–रामबास तक सड़क (13 किमी.) (खेतड़ी)–झुंझुनूं	11 करोड़ रुपये
141.	उदपुरवाटी से बाकरा–झुझुनूं नवलगढ़ सीमा तक (16.5 किमी.) (नवलगढ़)–झुंझुनूं	10 करोड़ रुपये
142.	जिंदोली घाटी हनुमान मंदिर सड़क–खैरथल–तिजारा	1 करोड़ 65 लाख रुपये
143.	रेण से निम्बोला वाया पंचकूटा की ढाणी तक सड़क (4.8 किमी.) –नागौर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
144.	जायल से झलालड़ मेहरवास तक (10 किमी.) (जायल)–नागौर	5 करोड़ रुपये
145.	आमलिया भीमाना ठण्डेबेरी सड़क (11 किमी.) (बाली)–पाली	13 करोड़ रुपये
146.	रेलमगरा सर्किल से मकडवाली दीपावास–रायपुर तक सड़क (जैतारण)–ब्यावर	5 करोड़ रुपये
147.	जैतारण–बलाड़ा–बलुपुरा सड़क (25 किमी.) (जैतारण)–ब्यावर	25 करोड़ रुपये
148.	माचिंद मुख्य गांव से धुनी तक सड़क एवं पुलिया की मरम्मत (लंबाई 1.6 किमी) (नाथद्वारा)–राजसमंद	3 करोड़ 24 लाख रुपये
149.	कीर की चौकी भीण्डर सलूम्बर सड़क SH–53 तक (19 किमी)–सलूम्बर	8 करोड़ रुपये
150.	सवाई माधोपुर में विभिन्न सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्य–सवाईमाधोपुर	15 करोड़ रुपये
151.	बगड़ी से डारडा तुर्की–खेडूल्या तक सड़क (15 किमी.) (निवाई)–टोंक	12 करोड़ रुपये
152.	कनबई भोमटावा से झाझरी सड़क गुजरात सीमा तक (10 किमी.) (खेरवाड़ा)–उदयपुर	10 करोड़ रुपये
153.	डबोक NH–48 से टांक तक (9 किमी.) (वल्लभनगर)–उदयपुर	8 करोड़ रुपये
154.	कल्याण सर्किल की तरफ नवलगढ़ रोड़ पर निर्माणाधीन आर. ओ.बी. को जोड़ने के लिए अतिरिक्त 2 लेन अप्रोच रोड़–सीकर	25 करोड़ रुपये
155.	रेलवे स्टेशन डोकवा–हडयाल के बीच रेलवे अंडर ब्रिज (आर. यू.बी.) निर्माण–चूरू	8 करोड़ रुपये

II. Flyover/ Elevated Road व Bridges निर्माण कार्य–		
क्र.सं.	उच्च स्तरीय पुल	लागत
1.	शेरगढ से जीवनपुरा पर पुलिया निर्माण (केकड़ी)–अजमेर	4 करोड 95 लाख रुपये
2.	भर्तृहरि तिराहे पर स्थित पुलिया का जीर्णोद्धार– अलवर	5 करोड़ रुपये
3.	गूगोर–फूलबड़ौदा सड़क से हलगना पर पुलिया निर्माण (छबड़ा)–बारां	1 करोड़ 50 लाख रुपये
4.	सुरास से मालीखेडा मय कोठारी नदी पर पुलिया निर्माण (3.50 किमी.) (माण्डल)–भीलवाड़ा	7 करोड़ 20 लाख रुपये
5.	कोठारी नदी पर लड़की से सरेवड़ी के बीच पुलिया निर्माण –भीलवाड़ा	4 करोड़ रुपये
6.	भाटोली मोड (SH 32 से लक्ष्मीपुरा व तातोला आदिवासी बस्ती) मुख्य सड़क तक एवं बस स्टेण्ड पिण्डावल से पचोरवाडा आदिवासी बस्ती तक तथा बरसाती नाले आडे वाला पर रिंगवाल व पुलिया निर्माण (आसपुर)–डूंगरपुर	2 करोड़ 10 लाख रुपये
7.	अम्बाडा पटली जोहरा सड़क मय मोरन नदी पर पुलिया निर्माण (सागवाड़ा)–डूंगरपुर	15 करोड़ रुपये
8.	राजगढ़–भादरा–नोहर पर आरओबी निर्माण हेतु डीपीआर (भादरा)–हनुमानगढ़	25 लाख रुपये
9.	मूण्डला से दोबड़ी सड़क पर दोबड़ा, रायपुर आजमपुर रोड़ से सोयला परासली, सालरिया तथा राजपुरा सहित विभिन्न पुलिया निर्माण (पाटन, झालरापाटन)–झालावाड़	33 करोड़ रुपये
10.	मनोहरथाना मार्ग से देवरी जागीर के मध्य खेजड़ा गांव के पास परवन नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण (मनोहरथाना) –झालावाड़	39 करोड़ रुपये
11.	गुडा जैतसिंह नदी पर पुलिया निर्माण (मारवाड़–जंक्शन)–पाली	5 करोड़ 50 लाख रुपये
12.	ग्रामीण एवं सम्पर्क सड़कों पर स्थित विभिन्न पुलियाओं का निर्माण (खण्डार)–सवाईमाधोपुर	7 करोड़ रुपये

13.	शिवगंज में गौतमजी–देवावेरा सड़क पर तीन आरसीसी पुलिया निर्माण–सिरोही	16 करोड़ 50 लाख रुपये
14.	बनास नदी व साबरमती नदी पर आवागमन हेतु विभिन्न पुलिया निर्माण कार्य (गोगुन्दा)–उदयपुर	10 करोड़ रुपये
15.	पुलिस लाईन के पास बेड़च नदी पर धनेत कलां पुलिया निर्माण–चित्तौड़गढ़	25 करोड़ रुपये
16.	चूरू में एलिवेटेड रोड का निर्माण	130 करोड़ रुपये

8. प्रदेश में नवीन सड़कों के निर्माण के साथ–साथ वर्तमान सड़कों के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण की आवश्यकता को देखते हुए नॉन–पेचेबल व क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए **एक हजार 400 करोड़ (एक हजार चार सौ करोड़) रुपये** तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए **600 करोड़ (छह सौ करोड़) रुपये** का प्रावधान किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

9. वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में Rural Connectivity का विस्तार भी आवश्यक है। हमारे द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समान सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में क्रमशः 10 हजार व 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में Cement Concrete के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाये जाने की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष **250 (दो सौ पचास) अटल प्रगति पथों** के 500 करोड़ **(पांच सौ करोड़)** रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं।

10. प्रदेश में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए धरमपुरा–**बाड़मेर**; मसूदा–**ब्यावर**; कन्याखेड़ी–**भीलवाड़ा** सहित विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों एवं Logistic Parks के पहुँच मार्गों के विकास के लिए 400 करोड़ **(चार सौ करोड़)** रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

11. प्रदेश में अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई पुलिया व सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु हमारे द्वारा वर्ष 2025–26 में 800 करोड़ **(आठ सौ करोड़)** रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष भी मानसून उपरान्त सड़कों की मरम्मत के लिए **500 करोड़ (पांच सौ करोड़) रुपये** का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, 11 (ग्यारह) BOT सड़कों के 500 किलोमीटर लम्बाई में लगभग **435 करोड़ (चार सौ पैंतीस करोड़) रुपये** की लागत के सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।

12. हमारे द्वारा गत बजट में राज्य के 20 **(बीस)** Level Crossing Railway फाटकों पर ROB/RUB निर्माण के लिए DPR बनाये जाने की घोषणा के क्रम में प्राप्त feasibility के अनुसार आगामी वर्ष 15 **(पन्द्रह)** Level Crossings पर ROBs/RUBs के साथ ही, प्रदेश के अन्य स्थानों पर ROBs/RUBs बनाये जायेंगे। इन पर 920 करोड़ **(नौ सौ बीस करोड़)** रुपये से अधिक का व्यय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 26 **(छब्बीस)** Level Crossing Railway फाटकों पर ROB/RUB निर्माण के लिए DPR बनाया जाना भी प्रस्तावित है। ये ROBs/RUBs हैं–

I.	15 रेलवे क्रॉसिंग पर **ROBs/RUBs** का निर्माण कार्य	
क्र.सं.	**ROBs** निर्माण	लागत
1.	LC-1A (सूरतगढ़–अनूपगढ़ खण्ड में 1/3-4 KM)–श्रीगंगानगर	97 करोड़ 56 लाख रुपये
2.	LC-83 (बठिंडा–सूरतगढ़ खण्ड में 116/6-7 KM)–हनुमानगढ़	80 करोड़ रुपये
3.	LC-128 (अलवर–बांदीकुई खण्ड में 93/6-7 KM)–अलवर	70 करोड़ रुपये
4.	LC-99 (डेगाना–मेड़ता खण्ड में 520/1-2 KM)–नागौर	56 करोड़ 86 लाख रुपये
5.	LC-239 (जयपुर–फुलेरा खण्ड में 267/5-6 KM)–जयपुर	53 करोड़ 70 लाख रुपये

6.	LC-242 (जयपुर–फुलेरा खण्ड में 274/4-5 KM)–जयपुर	50 करोड़ 14 लाख रुपये
7.	LC-237 (लूणी–समदड़ी खण्ड में 680/6-7 KM)–जोधपुर	46 करोड़ 40 लाख रुपये
8.	LC-9 (रतनगढ़–डेगाना खण्ड में 340.9/-341/0 KM)–चूरू	45 करोड़ 69 लाख रुपये
9.	LC-60 (बीकानेर–मेड़ता खण्ड में 575/3-4 KM)–नागौर	45 करोड़ 30 लाख रुपये
10.	LC-266 (सीकर लोहारू खण्ड में 302/5-6 KM)–झुंझुनूं	45 करोड़ रुपये
11.	LC-113 (मेड़ता रोड–जोधपुर खण्ड में 540/2-3 KM)–नागौर	42 करोड़ 96 लाख रुपये
	RUBs निर्माण	
12.	LC-157 (अलवर–बांदीकुई खण्ड में 133/6-7 KM)–दौसा	35 करोड़ रुपये
13.	LC-151 (रेवाड़ी–फुलेरा Chord खण्ड में 213/6-7 KM)–जयपुर	25 करोड़ 60 लाख रुपये
14.	LC-182 (बांदीकुई–जयपुर खण्ड में 180/5-6 KM)–दौसा	12 करोड़ 50 लाख रुपये
15.	LC-94 (बठिंडा–सूरतगढ़ खण्ड में 141/6-7 KM)–श्रीगंगानगर	9 करोड़ 31 लाख रुपये
II.	अन्य स्थानों पर **ROBs** का निर्माण कार्य–	
1.	कोटा–नागदा रेलखण्ड पर भवानीमंडी स्थित LC-64X पर ROB निर्माण–झालावाड़	47 करोड़ 34 लाख रुपये
2.	कोटा–नागदा रेलखण्ड पर चौमहला स्थित LC-35 पर ROB निर्माण–झालावाड़	41 करोड़ 91 लाख रुपये
3.	सीकर–लोहारू रेलखण्ड पर झुंझुनूं स्थित LC-269 पर ROB निर्माण–झुंझुनूं	43 करोड़ 3 लाख रुपये
4.	छबड़ा–रुठियाई रेलखण्ड पर छबड़ा स्थित LC-72 पर ROB निर्माण–बारां	38 करोड़ 72 लाख रुपये
5.	छबड़ा–रुठियाई रेलखण्ड के LC-84 पर ROB निर्माण –बारां	34 करोड़ रुपये

III. 26 रेलवे क्रॉसिंग पर **ROBs/RUBs** की **DPR** का कार्य–	
क्र.सं.	**ROBs/RUBs की DPR**
1.	LC-126C सरदारशहर–लूणकरणसर (SH-6A) (लूणकरणसर)–बीकानेर
2.	LC-253A बीकानेर–नापासर–जसरासर (SH-20B) (नापासर)–बीकानेर
3.	LC-6 सिवाना–समदड़ी–बालेसर (SH-66) (बामसीन)–बालोतरा
4.	LC-6 रामगढ़–फतेहपुर (SH-45) (ब्रह्मबाद)–भरतपुर
5.	LC-57 रामगढ़–फतेहपुर (SH-45) (नदबई)–भरतपुर
6.	LC-12 बाड़ी–बसेड़ी–उच्चैन–सोंख (SH-43) (बंध बारैठा)–भरतपुर
7.	LC-57 राजगढ़–भादरा–नोहर (SH-106) (गोगामेड़ी)–हनुमानगढ़
8.	LC-46 राजगढ़–भादरा–नोहर (SH-106) (नोहर)–हनुमानगढ़
9.	LC-131 फलौदी–कुचामन–रेनवाल–नींदड़ (SH-19) (रेनवाल)–जयपुर
10.	LC-C4 दौसा–दूदू–सांभर (SH-02) (सांभर)–जयपुर
11.	LC-A2 मौखमपुरा–फुलेरा–सांभर (SH-57) (भादरपुरा)–जयपुर
12.	LC-56 दौसा–दूदू–सांभर (SH-02) (चाकसू)–जयपुर
13.	LC-113 जालोर–रानीवाड़ा (SH-31) (रानीवाड़ा)–जालोर
14.	LC-C1/223 डांगीयावास–लूणी–समदड़ी (SH-68) (लूणी)–जोधपुर
15.	LC-7 दांतीवाड़ा–पीपाड़–मेड़तासिटी (SH-21) (पीपाड़)–जोधपुर
16.	LC-23 भावी–पीपाड़–खींवसर (SH-86C) (भावी)–जोधपुर
17.	LC-128 भावी–पीपाड़–खींवसर (SH-86C) (रतकुड़िया)–जोधपुर
18.	LC-115A पीपाड़सिटी–गोटन वाया साथिन (SH-86B) (गोटन)–नागौर
19.	LC-92 बैनाड़–भोपालगढ़–कुचेरा (SH-63) (खजवाना)–नागौर
20.	LC-80 सतूर (NH-12)–मूंडवा वाया मेड़तासिटी (SH-39) (मूंडवा)–नागौर
21.	LC-10 रोहट–जालोर (SH-64) (सिणगारी)–पाली
22.	LC-9C सरदारसमंद–मारवाड़ जंक्शन (SH-61) मारवाड़ जंक्शन)–पाली
23.	LC-93 रैवदर–भीनमाल–छौंछवाफांटा (SH-16A) (भीनमाल)–पाली
24.	LC-56A फलौदी–आहू–नागौर–तौसीना (SH-19) (फलौदी)–फलौदी
25.	LC-112B सादुलशहर–करनपुर (SH-7B) (श्रीगंगानगर)–श्रीगंगानगर
26.	LC-2C डबोक–मावली–कपासन–चित्तौड़गढ़ (SH-9) (मावली)–उदयपुर

13. राज्य में सड़क तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से हमारे द्वारा दो वर्षों में **5 हजार (पांच हजार) किलोमीटर लम्बाई से अधिक** की सड़कों को मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया जा चुका है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी दो वर्षों में **एक हजार किलोमीटर लम्बाई** से अधिक की सड़कों को राज्य राजमार्गों में एवं **दो हजार किलोमीटर लम्बाई** से अधिक की सड़कों को मुख्य जिला मार्गों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा करती हूँ।

14. राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु speed violation detection system व variable message sign board को सम्मिलित करते हुए Intelligent Transport System (ITS) आधारित लगभग **500 (पांच सौ) किलोमीटर लम्बाई** के State Highways मय पुलिया व बाईपास **2 हजार 700 करोड़ (दो हजार सात सौ करोड़) रुपये** से अधिक की लागत से विकसित किये जायेंगे। ये राजमार्ग हैं–

क्र.सं.	राज्य राजमार्गों के कार्य	लागत
1.	सलूम्बर–बांसवाड़ा (SH-32) का अनुभाग (93 किमी.)	744 करोड़ रुपये
2.	दूदू से लालसोट वाया फागी–चाकसू–तूंगा अनुभाग (135 किमी.)	675 करोड़ रुपये
3.	रोहिट (NH-65 के जंक्शन) से आहोर (NH-325 के जंक्शन) (SH-64) (111 किमी.) एवं बागड़ा तक	555 करोड़ रुपये
4.	सांचोर (NH-15) रानीवाड़ा–मण्डार–आबू रोड (SH-11) (107 किमी.)	535 करोड़ रुपये
5.	विजयनगर (NH-48 के जंक्शन) से ब्यावर (NH-58 के जंक्शन) SH-39 का अनुभाग (42 किमी.)	210 करोड़ रुपये

साथ ही, सुरक्षित, आरामदायक व सुविधाजनक यात्रा के लिए इन राज्य राजमार्गों पर Way Side Amenities भी विकसित की जायेंगी।

15. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष औसतन 11 हजार 700 (**ग्यारह हजार सात सौ**) से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु होना चिन्ता का विषय है। हमने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में वर्ष 2047 तक 90 (**नब्बे**) प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी प्राप्ति के लिए–

I. राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों एवं शहरों में सुदृढ़ Intelligent Traffic Management System (ITMS) के लिए चरणबद्ध रूप से लगभग **दो हजार कैमरे 100 करोड़ (सौ करोड़) रुपये** की लागत से स्थापित किये जायेंगे।

II. Black Spots के दुरुस्तीकरण, Junction सुधार, Crash Barrier, सड़क सुरक्षा बोर्ड, Road Safety Audit, अतिक्रमण हटाने व सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्य हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं। इस हेतु 100 करोड़ (**सौ करोड़**) रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. प्रदेश में Driving Licences के लिए समस्त 35 Driving Test Tracks का Automation किया जाना प्रस्तावित है।

पेयजल :

जैसाकि विदित है हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से जहाँ सबसे बड़ा राज्य है, वहीं विषम भौगोलिक परिस्थिति के कारण सतही जल की उपलब्धता भी काफी कम है। ऐसी स्थिति में समस्त प्रदेशवासियों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार ने वर्ष 2047 तक प्रदेश में Robust Governance, Sustainable Conservation एवं Equitable Utilisation के माध्यम से **जल सुरक्षा** का लक्ष्य रखा है।

16. प्रदेश में **'Universal Access to Safe Water for All'** के उद्देश्य से हमारे द्वारा कार्यग्रहण करने के पश्चात् **जल जीवन मिशन** को गति देते हुए इसके अंतर्गत 'हर घर नल से जल' सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में **14 लाख (चौदह लाख) से अधिक जल कनेक्शन** उपलब्ध करवाये गये हैं तथा 24 हजार करोड़ **(चौबीस हजार करोड़)** रुपये की लागत की 400 **(चार सौ)** से अधिक पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी किये गये हैं। साथ ही, **परवन अकावद परियोजना** के अन्तर्गत बारां, कोटा एवं झालावाड़ के लिए **3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पांच सौ करोड़) रुपये** तथा **नवनेरा परियोजना** के तहत कोटा एवं बूंदी के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए **एक हजार 100 करोड़ (एक हजार एक सौ करोड़) रुपये से अधिक** के कार्यादेश जारी किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए **मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी)** के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से **5 हजार 830 करोड़ (पांच हजार आठ सौ तीस करोड़) रुपये** से अधिक की लागत के कार्य कराये जाने की घोषणा की गयी थी। इसी कड़ी में—

I. **मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) योजना** का दायरा बढ़ाते हुए प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाये गये peri-urban area के 6 हजार 245 **(छह हजार दो सौ पैंतालीस)** गाँवों को सम्मिलित किया जायेगा। इसके लिए 5 हजार करोड़ **(पांच हजार करोड़)** रुपये का व्यय कर चरणबद्ध रूप से पेयजल आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

II. **मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) द्वितीय चरण** के अन्तर्गत 2 हजार 530 करोड़ **(दो हजार पांच सौ तीस करोड़)** रुपये का व्यय कर 83 **(तिरासी)** शहरों में जलापूर्ति के service level संवर्द्धन के कार्य करवाये जायेंगे।

III. इसके अतिरिक्त, **अमृत 2.0 योजना** के तहत आगामी वर्ष 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किये जायेंगे।

17. प्रदेश के बीकानेर, जोधपुर, जालोर, सांचोर एवं बालोतरा शहरों में जलापूर्ति अंतराल को सतत रूप से कम किये जाने हेतु स्रोत निर्माण, उच्च/स्वच्छ जलाशय, पम्प लाइन सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, देशनोक–बीकानेर में 24×7 पेयजल उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु **750 करोड़ (सात सौ पचास करोड़) रुपये** का व्यय किया जायेगा।

18. नगरीय पेयजल योजना जैसलमेर के लिए मोहनगढ़ से गजरूप सागर तक अतिरिक्त पाइप लाइन व 30 MLD फिल्टर प्लांट तथा डिग्गी का निर्माण लगभग 196 करोड़ **(एक सौ छियानवे करोड़)** रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

19. जयपुर जिले के चाकसू व बस्सी तथा टोंक जिले के निवाई, टोडारायसिंह कस्बों तथा टोरडी, तिलांजू, डूंगरी, मांडोलाई, दातोब सहित एक हजार 92 **(एक हजार बानवे)** गाँवों की लगभग 20 लाख आबादी को बीसलपुर से पेयजल का आपूर्ति स्तर बेहतर करने के लिए सूरजपुरा से चाकसू तक नवीन Transmission Line (TM-II) सम्बन्धी कार्य **650 करोड़ (छह सौ पचास करोड़) रुपये** की लागत से करवाये जायेंगे।

20. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए **160 करोड़ (एक सौ साठ करोड़) रुपये से अधिक** के कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	पेयजल सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	लूणी—जोधपुर के विभिन्न गांवों को पेयजल सप्लाई में सुधार हेतु तख्त सागर से कुड़ी होद की पाइपलाइन को बदलने एवं अन्य सुदृढ़ीकरण के कार्य।	65 करोड़ रुपये
2.	जैसलमेर, बाड़मेर एवं बालोतरा के 851 गांवों में पेयजल उपलब्धता में सुधार के लिए बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के मोहनगढ़ स्थित हैडवर्क्स पर सुदृढ़ीकरण के कार्य।	50 करोड़ रुपये
3.	जाखम बांध आधारित वृहद् पेयजल परियोजना के अन्तर्गत निम्बाहेड़ा—चित्तौड़गढ़ एवं छोटी सादड़ी—प्रतापगढ़ कस्बे व ब्लॉक में लघु परियोजनाओं से लाभान्वित ग्रामों को bulk water उपलब्ध करवाने हेतु DPR।	1 करोड़ 37 लाख रुपये
4.	राजगढ़ शहर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्य—अलवर	3 करोड़ रुपये
5.	श्रीमाधोपुर व अजीतगढ़ में विभिन्न पेयजल योजनाओं एवं विभिन्न ट्यूबवैल/ टंकी व पाइप लाइनों के कार्य—सीकर	15 करोड़ रुपये
6.	नालबड़ी, भानीपुरा से नोखादया, बदरासर, छतरगढ़ जल योजना के सुधार एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (खाजूवाला)—बीकानेर	15 करोड़ 97 लाख रुपये
7.	शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैल व टंकियों के निर्माण कार्य (खण्डेला)—सीकर	9 करोड़ 50 लाख रुपये
8.	सांगोद के समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल समस्या समाधान हेतु राजगढ़ सहित विभिन्न ग्रामों में नवीन नलकूप, पेयजल पाइप लाइन के कार्य—कोटा	3 करोड़ रुपये

21. प्रदेशवासियों को ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से आगामी वर्ष **600 (छह सौ) Tube wells** व **एक हजार 200 (एक हजार दो सौ) Handpumps** लगाये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, Summer contingency के अन्तर्गत प्रत्येक जिला कलक्टर को **एक करोड़ रुपये** की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

22. प्रदेश में सशक्त जल प्रबंधन की दृष्टि से जयपुर में Centre of Excellence की स्थापना 10 करोड़ **(दस करोड़)** रुपये की लागत से की जायेगी। साथ ही, **Bureau of Water Use Efficiency** की स्थापना कर जयपुर में HCM RIPA, सचिवालय एवं जल भवन में pilot basis पर Water Distribution Efficiency के संवर्द्धन सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

23. प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु **Mobile Water Testing Labs** का संचालन किया जायेगा।

24. प्रदेश में आमजन को पेयजल सुविधा तथा Non-Domestic एवं Industrial Units के लिए पानी उपलब्ध कराने के दृष्टिगत **Rajasthan State Water Policy** लायी जायेगी। इसमें पेयजल के साथ–साथ **Raw Water** एवं **Treated Water** के वितरण के सम्बन्ध में नीतिगत प्रावधान किये जायेंगे।

25. प्रदेश में **'जल सुरक्षा एवं अनुकूलता'** हेतु IT का उपयोग करते हुए समयबद्ध जलापूर्ति योजनाओं की विभिन्न गतिविधियों के digital प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए **Enterprise Resource Planning (ERP)** लागू की जायेगी।

26. आमजन को पेयजल उपलब्ध कराने तथा piped पेयजल योजनाओं के समुचित Operation and Maintenance के लिए हमारे द्वारा

पिछले बजट में घोषित एक हजार 50 **(एक हजार पचास)** तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों के संविदा Cadre में वृद्धि करते हुए **3 हजार पदों** पर भर्ती की जायेगी।

ऊर्जा :

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को विकसित बनाये जाने की दिशा में उत्पादन क्षमता विस्तार एवं Renewable Energy के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाकर **हर घर बिजली व हर उद्योग को शक्ति** उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुझे सम्मानित सदन को यह बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज राजस्थान का अक्षय ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा क्षमता में देश में अग्रणी प्रदेश बन गया है। राजस्थान को ऊर्जा प्रदेश बनाये जाने की दिशा में हमारे कार्यकाल में–

I. केन्द्रीय उपक्रमों के साथ joint venture के माध्यम से लगभग दो लाख करोड़ रुपये के निवेश के परम्परागत एवं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए MoUs किये गये।

II. सौर ऊर्जा क्षमता में 19 हजार 209 **(उन्नीस हजार दो सौ नौ)** मेगावॉट की वृद्धि हुई है।

III. पीएम–सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अन्तर्गत 518 **(पांच सौ अठारह)** मेगावॉट क्षमता के एक लाख 30 हजार **(एक लाख तीस हजार)** से अधिक Rooftop Solar Plants स्थापित किये गये।

IV. सुदृढ़ विद्युत तंत्र के लिए 400 **(चार सौ)** केवी के 2 GSS, 220 **(दो सौ बीस)** केवी के 5 GSS,132 **(एक सौ बत्तीस)** केवी के 45 **(पैंतालीस)** GSS तथा 33 **(तैंतीस)** केवी के 379 **(तीन सौ उन्नासी)** सब स्टेशन स्थापित किये गये।

27. प्रदेश में विद्युत तंत्र के और अधिक विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 220 **(दो सौ बीस)** केवी के **छह**,132 **(एक सौ बत्तीस)** केवी के **तेरह** तथा 33 **(तैंतीस)** केवी के 110 **(एक सौ दस)** GSS का निर्माण किया जायेगा। ये GSS हैं—

क्र.सं.	जीएसएस का नाम
1.	• **220 केवी जीएसएस निर्माण कार्य**—मंडा (चौमूं)—**जयपुर**; मालपुरा—**टोंक**; सलारपुर (तिजारा)—**खैरथल तिजारा** एवं कालीबंगा (पीलीबंगा)—**हनुमानगढ़** • **220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन**—बूढ़ादीत (दीगोद)—**कोटा**; रसूलपुरा (निम्बाहेड़ा)—**चित्तौड़गढ़**
2.	**132 केवी जीएसएस निर्माण कार्य**— बगरू रवाण (सांगानेर)—**जयपुर**; खातोली (इटावा), सुभाष नगर—**कोटा**; चाखरी—**सवाई माधोपुर**; चांदपुरा—**सीकर**; भियाड (शिव)—**बाड़मेर**; 113 आरडी एसबीएस (मोहनगढ़)—**जैसलमेर**; बीकानेर शहर—**बीकानेर**, लालगढ़—**श्रीगंगानगर**; सोप (उनियारा), तहरोली (टोडारायसिंह) व नासिरदा (देवली)—**टोंक**, **जोधपुर**
3.	**33/11 केवी जीएसएस निर्माण कार्य**— कायड़ (पुष्कर), खातौली (किशनगढ़)—**अजमेर**, अम्बेडकर नगर, नंगली मेछा (रामगढ़), खोह (कठूमर)—**अलवर**, फूंसरा (अंता)—**बारां**, सिणधरी ग्रामीण (सिवाना)—**बालोतरा**, रीछौली (बयाना)—**भरतपुर**, महमदपुर —दिदावली (नगर)—**डीग**, बरोदा तलोदा (जहाजपुर), आटूण (माण्डल), सांगवा (सुवाणा)—**भीलवाड़ा**, हनुमाननगर (खाजूवाला)—**बीकानेर**, लसाडिया कलां (कपासन), पिपलवास (भदेसर)—**चित्तौड़गढ़**, बिरमी खालसा (तारानगर)—**चूरू**, लाखनपुर (लालसोट), मुनापुरा खौंचपुरी (महवा)—**दौसा**, खुड़ी पावा—**डीडवाना कुचामन**, वरसिंहपुर (सागवाड़ा)—**डूंगरपुर**, बिलोचिया (रायसिंहनगर) —**श्रीगंगानगर**, पूरबसर (नोहर)—**हनुमानगढ़**, रिंग रोड मुहाना (बगरू), सामोद (चौमूं), साली (दूदू)—**जयपुर**, टोरडा गुजरान, लाडाकावास (विराटनगर), बहराम का बास (बानसूर)—**कोटपूतली बहरोड़**, कपूरिया (फतेहगढ़)—**जैसलमेर**, उनडी (सायला)—**जालोर**, जगदीशपुरा, बनी (डग), टोडरी जगन्नाथ (मनोहरथाना), रोशनबाड़ी, दोबड़ा, माधोपुर (झालरापाटन), नूरजी गाडरवाजी पनवाड (खानपुर)—**झालावाड़**, देवीपुरा बनी (नवलगढ़)—**झुंझुनूं**, चैनपुर (सपोटरा),

	जमूरा–मासलपुर–**करौली**, खुलवाना (सुमेरपुर)–**पाली**, सुहागपुरा–**प्रतापगढ़**, नन्दावट (भीम)–**राजसमंद**, कांसरडा (खंडेला)–**सीकर**, आमली रोड (पिंडवाड़ा–आबू), सरतरा बागसीन–**सिरोही**, कातनवाड़ा–**सलम्बूर**, गेनाणा–**नागौर** सहित 110 जीएसएस का निर्माण

28. बीकानेर में मेहरासर–दीनसर–बराला व सवाईसर–करणीसर भाटियान–बिकोलोई तथा जैसलमेर में राघवा–सेहुआ क्षेत्र में लगभग **4 हजार 830 (चार हजार आठ सौ तीस) मेगावॉट** क्षमता के सौर पार्कों का विकास Joint Venture के माध्यम से किया जायेगा। इस पर लगभग **2 हजार 900 करोड़ (दो हजार नौ सौ करोड़) रुपये** का व्यय किया जायेगा।

29. प्रदेश के विद्युत प्रसारण तंत्र को संचालित करने वाले State Load Dispatch Centre की साइबर एवं नेटवर्क सुरक्षा हेतु Security Operation Centre (SOC) तथा Network Operation Centre (NOC) स्थापित किये जाने के लिए 21 करोड़ **(इक्कीस करोड़)** रुपये का व्यय किया जायेगा।

30. विद्युत तंत्र के आधुनिकीकरण तथा विद्युत सेवाओं को अधिक पारदर्शी व सुलभ बनाये जाने की दृष्टि से–

I. निर्बाध विद्युत आपूर्ति के साथ–साथ विद्युत तंत्र के ट्रांसफार्मर, फीडर और सबस्टेशन की IoT Sensor द्वारा real time monitoring, विद्युत फॉल्ट के पूर्व अनुमान तथा पारदर्शी मीटर बिलिंग के लिए अजमेर Discom के अन्तर्गत Grid को AI enabled किया जायेगा।

II. Emergency Alert व Digital भुगतान प्रक्रिया तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं, कल्याणकारी योजनाओं एवं विद्युत आपूर्ति की real time जानकारी उपलब्ध कराने के लिए AI आधारित Digital Platform विकसित किया जायेगा।

दूसरा स्तम्भः नागरिक सुविधाओं से गुणवत्तायुक्त जीवन स्तर में वृद्धि

हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. **राजेन्द्र प्रसाद** जी ने कहा था कि–

''लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा इस बात में है कि उसकी संस्थायें जनता की कितनी प्रभावी रूप से सेवा कर पाती हैं।''

आज प्रदेश के समग्र विकास में नगरीय निकायों के साथ–साथ ग्रामीण अंचल में स्थापित पंचायतीराज संस्थाओं का विशेष योगदान है। विजन 2047 की संकल्पना को साकार किये जाने के लिए प्रदेशवासियों को किफायती आवास, मास्टर प्लान आधारित सुनियोजित विकास के साथ ही अन्य नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के लिए हम कृतसंकल्पित हैं।

31. गत वर्ष बजट में की गई घोषणा के तहत बनाये गये Comprehensive Mobility Plan को लागू करते हुए समस्त संभागीय मुख्यालयों पर चिन्हित सड़कों पर ITMS, Urban Mobility App, सड़क व चौराहा सुधार, Flyover, Underpass, Traffic Solutions, Signal Free Traffic, पार्किंग सम्बन्धी कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके तहत जयपुर हेतु एक हजार करोड़ रुपये को शामिल करते हुए कुल **2 हजार 325 करोड़ (दो हजार तीन सौ पच्चीस करोड़) रुपये** का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

32. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सौन्दर्यीकरण, पुनरूद्धार एवं उन्नयन सम्बन्धी विविध कार्य **लगभग 3 हजार करोड़ रुपये** की लागत से करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	विकास कार्यों का विवरण	लागत
1.	जयपुर में अरण्य भवन से ROB जगतपुरा तक Elevated Road का निर्माण (4.40 किमी.)	560 करोड़ रुपये
2.	हल्दी घाटी से डिग्गी मालपुरा रोड के बीच RUB का निर्माण (सांगानेर)–जयपुर	10 करोड़ रुपये
3.	न्यू सांगानेर रोड तथा मुहाना मंडी रोड के बीच Master Drainage का कार्य–जयपुर	100 करोड़ रुपये
4.	कालवाड़ रोड में Master Drainage का कार्य–जयपुर	100 करोड़ रुपये
5.	बेनाड़ रोड, कालवाड़ रोड, खातीपुरा रोड व मानसरोवर आदि क्षेत्रों में सेक्टर सड़क के विकास कार्य–जयपुर	125 करोड़ रुपये
6.	बेनाड़ रोड, मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, इण्डस्ट्रियल एरिया से निवारू रोड व आसपास के क्षेत्र के लिए Drainage सम्बन्धी कार्य–जयपुर	58 करोड़ रुपये
7.	हरमाड़ा व बढ़ारना के वार्ड 4 एवं 5 की विभिन्न कॉलोनियों में विश्वकर्मा, आकेड़ा डूंगर आदि में स्थित विभिन्न औद्योगिक एवं अन्य इकाइयों में निवासरत श्रमिकों व निवासियों को सीवरेज सुविधा हेतु FSTP का कार्य–जयपुर	15 करोड़ रुपये
8.	प्रतापनगर–जयपुर में 128 Flats की योजना (चिनाब अपार्टमेंट)	32 करोड़ रुपये
9.	यातायात सुरक्षा कार्य–Median, Railing and Junction Improvement–जयपुर	30 करोड़ रुपये
10.	पुरानी चुंगी जंक्शन, अजमेर रोड–जयपुर पर underpass का निर्माण	20 करोड़ रुपये
11.	HT Line को भूमिगत करने का कार्य–जयपुर	60 करोड़ रुपये
12.	III, IV एवं V श्रेणी नगरों के लिए नया मास्टर प्लान तैयार कर GIS Platform पर अद्यतन करना।	11 करोड़ 15 लाख रुपये
13.	चौपासनी स्कीम, जोधपुर में 288 Flats की योजना (उद्यान अपार्टमेंट)	210 करोड़ रुपये
14.	लूणी पंचायत समिति से राजाराम शिक्षण संस्थान तक Foot Overbridge का निर्माण कार्य–जोधपुर	5 करोड़ रुपये

15.	मेहरानगढ़ फोर्ट के लिए राव जोधा मार्ग (घोड़ा घाटी रोड) के विकास, सौन्दर्यीकरण एवं लाईटिंग के कार्य–जोधपुर	10 करोड़ रुपये
16.	जोधपुर शहर में भाटी चौराहा, जलजोग चौराहा व अन्य स्थानों पर Underpass का निर्माण कार्य–जोधपुर	50 करोड़ रुपये
17.	कोटडी ग्रेड सेपरेटर से बड़ तिराहे तक Flyover का निर्माण–कोटा	38 करोड़ रुपये
18.	झालावाड़ रोड पर लॉयन्स क्लब के पास अण्डरपास का निर्माण–कोटा	20 करोड़ रुपये
19.	विश्व प्रिय शास्त्री पार्क–भरतपुर में विभिन्न विकास कार्य	10 करोड़ रुपये
20.	भरतपुर शहर में आवासीय/ Education Hub/IT Hub के लिए योजनाओं की DPR का कार्य–भरतपुर	1 करोड़ रुपये
21.	जोड़बीड़ योजना एवं बीछवाल योजना में पेयजल व्यवस्था का कार्य–बीकानेर	30 करोड़ रुपये
22.	प्रतापनगर–बलीचा 4–लेन सड़क के मध्य स्टेट हाईवे 32 की क्रॉसिंग पर स्थित 2–लेन Under Bridge एवं आयड़ नदी पर स्थित मौजूदा 2–लेन ब्रिज को 4–लेन के विस्तारीकरण का कार्य–उदयपुर	41 करोड़ रुपये
23.	फतहसागर झील परिधि में स्थित रानी रोड की Retrofitting कार्य की DPR–उदयपुर	25 लाख रुपये
24.	नगर विकास न्यास, सीकर हेतु नवीन कार्यालय भवन निर्माण का कार्य–सीकर	10 करोड़ रुपये
25.	गायत्री आश्रम से रामधाम तक elevated road–भीलवाड़ा	250 करोड़ रुपये
26.	साबुन मार्ग के पास RUB निर्माण–भीलवाड़ा	10 करोड़ रुपये
27.	कोठारी नदी के किनारे रिवर फ्रन्ट तथा गांधी सागर तालाब का सौन्दर्यीकरण–भीलवाड़ा	27 करोड़ रुपये
28.	बेड़च नदी पर भोईखेड़ा से BCW चंदेरिया पर Causeway/ Culvert का निर्माण कार्य–चित्तौड़गढ़	5 करोड़ रुपये
29.	पन्नाधाय सेतु से महाराणा प्रताप सेतु के मध्य 'गम्भीरी रिवर फ्रंट' का विकास कार्य–चित्तौड़गढ़	20 करोड़ रुपये

30.	नगर विकास न्यास दौसा–बांदीकुई मास्टर प्लान तैयार करना	5 करोड़ रुपये
31.	श्रीगंगानगर में पुरानी शुगर मिल के पास Auditorium का निर्माण	5 करोड़ रुपये
32.	तिजारा–खैरथल तिजारा एवं गुढ़ामलानी–बाड़मेर में डाक बंगले का निर्माण	5 करोड़ रुपये
33.	मेड़ता सिटी में सड़क एवं नाला निर्माण–नागौर	2 करोड़ रुपये
34.	स्मृति कुंज एवं महाकालेश्वर पार्क सहित विभिन्न पार्कों में जॉगिंग ट्रैक, ओपन जिम, चारदीवारी आदि के कार्य–बूंदी	15 करोड़ रुपये
35.	खोजा गेट सर्किल से NH-52 छत्रपुरा सड़क तक, अम्बेडकर सर्किल से तानसेन गोदाम सिलोर सड़क, मीरा गेट से बहादुर सिंह सर्किल एस.पी. ऑफिस होते हुए एसके मार्ट तक सड़क सहित विभिन्न सड़कों के कार्य (21.47 किमी.)–बूंदी	80 करोड़ रुपये
36.	जैतसागर नाले का निर्माण कार्य–बूंदी	20 करोड़ रुपये
37.	बूंदी शहर की आवासीय कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं –सड़क, नाली आदि के कार्य–बूंदी	23 करोड़ रुपये
38.	कुम्भा स्टेडियम तीज मेला ग्राउण्ड में मूलभूत सुविधाओं के कार्य–बूंदी	20 करोड़ रुपये
39.	नवीन व्यावसायिक, आवासीय कॉलोनियों में आंतरिक विकास कार्य–बूंदी	30 करोड़ रुपये
40.	160 नगरीय निकायों में डम्प साइट पर पड़े लगभग 100 लाख टन पुराने कचरे का चरणबद्ध रूप से निस्तारण का कार्य	550 करोड़ रुपये
41.	भवानी मण्डी में 15 MLD क्षमता के STP का कार्य–झालावाड़	36 करोड़ रुपये
42.	Sewerage Treatment Plant की क्षमता बढ़ाकर 10 MLD कर Pumping Station का निर्माण– झालावाड़	18 करोड़ रुपये
43.	तिजारा और टपूकड़ा में ड्रेनेज कार्य। साथ ही, Sewerage कार्य की DPR–खैरथल तिजारा	20 करोड़ रुपये
44.	15 MLD क्षमता के STP का निर्माण एवं पुराने 7.50 MLD STP का उन्नयन–पाली	43 करोड़ रुपये
45.	सुमेरपुर में Sewerage line के द्वितीय चरण की DPR–पाली	30 लाख रुपये
46.	शेष रहे Sewerage कार्य हेतु DPR–भीलवाड़ा	3 करोड़ रुपये

47.	कोटा रोड पर अवस्थित ROB से धानमण्डी रोड की ओर Slip Lane सम्बन्धी कार्य—बारां	11 करोड़ 50 लाख रुपये
48.	डोल तालाब पर विभिन्न सुविधायें जैसे—चौपाटी, Flag Post, Parking आदि विकास कार्य—बारां	4 करोड़ रुपये
49.	माउण्ट आबू की संत सरोवर झील का पुनर्विकास एवं पार्क का सुदृढ़ीकरण कार्य—सिरोही	7 करोड़ 26 लाख रुपये
50.	हिण्डौन में शहरी जल निकासी प्रणाली का सुदृढ़ीकरण कार्य—करौली	71 करोड़ रुपये
51.	सांगोद में अन्नपूर्णा नदी के पास 'अटल वन' का विकास कार्य—कोटा	4 करोड़ रुपये
52.	किशनगढ़ में हमीर तालाब के आसपास नालों के विकास कार्य (किशनगढ़)—अजमेर	10 करोड़ रुपये
53.	बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य—राजगढ़, बानसूर—कोटपूतली बहरोड़, फागी—जयपुर	3 करोड़ रुपये
54.	भिवाड़ी नगर परिषद् में पार्कों के पुनर्विकास के कार्य—खैरथल तिजारा	2 करोड़ रुपये
55.	टपूकड़ा नगर परिषद् में नाला निर्माण कार्य—खैरथल तिजारा	2 करोड़ रुपये
56.	नगरपालिका आसींद का नवीन भवन निर्माण व नगर पालिका आसींद की श्रेणी डी से सी करना—भीलवाड़ा	5 करोड़ रुपये
57.	मुक्ताप्रसाद सेक्टर 1—17 तक नालियों का सुदृढ़ीकरण —बीकानेर	5 करोड़ रुपये
58.	बांदीकुई नगरपालिका के नवीन भवन का निर्माण—दौसा	5 करोड़ रुपये
59.	चाकसू में ड्रेनेज सिस्टम—जयपुर	8 करोड़ रुपये
60.	वैशाली नगर क्षेत्र में मुख्य मार्गों के सौन्दर्यीकरण कार्य (झोटवाड़ा)—जयपुर	5 करोड़ रुपये
61.	विद्याधरनगर वार्ड 8 मंगलेश्वर महादेव मंदिर के पार्क की बाउण्ड्री वॉल की मरम्मत, रेलिंग लगाने एवं फुटपाथ पर टाईल्स का कार्य—जयपुर	4 करोड़ 50 लाख रुपये
62.	सांचौर नगर पालिका में STP—जालोर	5 करोड़ रुपये

63.	नगर पालिका अंता क्षेत्र में सब्जी मण्डी निर्माण कार्य—बारां	7 करोड़ 49 लाख रुपये
64.	सरदारपुरा में सड़क निर्माण व इंटर लॉकिंग के कार्य—जोधपुर	4 करोड़ रुपये
65.	किशनपुरा उपशाखा नहर में शहरी क्षेत्र में आरसीसी दीवार का निर्माण और प्रणाली में शेष रही कच्ची नहरों की लाईनिंग का कार्य (लाडपुरा)—कोटा	8 करोड़ रुपये
66.	मेड़ता शहर में मालकोट से नायकों के चौक की सड़क एवं नाला निर्माण (मेड़ता)—नागौर	2 करोड़ रुपये
67.	मेड़ता शहर में सीवरेज लाइन योजना की डीपीआर—नागौर	2 करोड़ रुपये
68.	नगरपालिका क्षेत्र में डिवाइडर निर्माण और लाईटिंग व्यवस्था, सौन्दर्यीकरण के कार्य (नावां)—नागौर	2 करोड़ रुपये
69.	साण्डिया तालाब की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य (सोजत)—पाली	2 करोड़ रुपये
70.	विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य—उदयपुर	8 करोड़ 57 लाख रुपये
71.	भीण्डर दवेला तालाब गंभीर सागर झील सौन्दर्यीकरण कार्य (वल्लभनगर)—उदयपुर	4 करोड़ रुपये
72.	नगर पालिका सांगोद में विभिन्न सड़कों पर नाला निर्माण कार्य—कोटा	5 करोड़ रुपये
73.	नगरपालिका सुकेत में लेफ्ट पोरशन (NH-52) एवं SH-9B पर नाला निर्माण कार्य (रामगंजमण्डी)—कोटा	4 करोड़ रुपये
74.	सिटी पार्क (रामगंजमण्डी)—कोटा	1 करोड़ रुपये
75.	नाला रेस्ट्रोरेशन एवं विकास का कार्य (केशोराय पाटन)—बूंदी	5 करोड़ रुपये
76.	गिरधर मार्ग से सत्येन्द्र विद्यार्थी मार्ग पर गंदे नाले को ढकने सम्बन्धी कार्य (300 मीटर)—जयपुर	28 करोड़ रुपये
77.	राधा विहार कॉलोनी में नाला निर्माण तथा सड़क चौड़ाईकरण—जयपुर	8 करोड़ 73 लाख रुपये
78.	जल महल चौपाटी का सुदृढ़ीकरण एवं पर्यटन सुविधाओं का विकास—जयपुर	7 करोड़ रुपये

33. वर्ष 2028–29 तक '**सभी के लिए आवास**' हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत–

I. आवास सुविधा से वंचित 28 लाख (**अट्ठाइस लाख**) से अधिक परिवारों के survey का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। योजना के द्वितीय चरण में वर्ष 2029 (**दो हजार उनतीस**) तक पात्र परिवारों को आवास निर्माण किये जाने हेतु अनुदान दिया जायेगा।

II. बेहतर आधारभूत संरचना तथा गुणवत्तायुक्त आवास निर्माण के लिए 35 हजार (**पैंतीस हजार**) व्यक्तियों को Mason सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

34. ऊर्जा बचत के साथ पर्याप्त रोशनी के लिए राज्य के नगर निकायों में 7 लाख (**सात लाख**) Street Lights लगायी जायेंगी। इस हेतु 500 करोड़ (**पांच सौ करोड़**) रुपये से अधिक का व्यय किया जायेगा।

35. प्रदेश में जल भराव की समस्या के निस्तारण, वर्षा जल की व्यवस्थित निकासी तथा बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से–

I. जयपुर में 500 करोड़ (**पांच सौ करोड़**) रुपये एवं अजमेर में 200 करोड़ (**दो सौ करोड़**) रुपये के Drainage System के कार्य सहित अलवर, भिवाड़ी, उदयपुर, कोटा, चूरू, पाली, नागौर एवं भरतपुर के नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा हेतु कुल **एक हजार 20 करोड़ (एक हजार बीस करोड़) रुपये** के कार्य करवाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

II. जिला स्तरीय नगरीय निकायों के लिए Master Drainage Plan बनाये जायेंगे। इस हेतु 40 करोड़ (**चालीस करोड़**) रुपये का व्यय किया जायेगा।

36. प्रदेश में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित विभिन्न प्रकार की आपदाओं के प्रबंधन हेतु—

I. नागरिक सुरक्षा विभाग एवं SDRF के सुदृढ़ीकरण के लिए बाढ़, भूकम्प, आगजनी, रासायनिक दुर्घटनाओं आदि हेतु खोज व बचाव उपकरण उपलब्ध कराये जाने के लिए 60 करोड़ **(साठ करोड़)** रुपये का व्यय किया जायेगा।

II. अग्निशमन सेवाओं के विकास एवं उन्नयन की दृष्टि से 93 **(तिरानवे)** Fire Bikes उपलब्ध कराये जाने के लिए 16 करोड़ **(सोलह करोड़)** रुपये व्यय किये जायेंगे।

III. आमजन की सुरक्षा एवं सतर्कता के लिए नदियों के प्रवाह में प्रमुख बांधों के Downstream Areas में Early Warning Siren Systems 10 करोड़ **(दस करोड़)** रुपये की लागत से लगाये जायेंगे।

IV. साथ ही, जड़ावता—सवाई माधोपुर में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए लगभग 75 करोड़ **(पचहत्तर करोड़)** रुपये व्यय किये जायेंगे।

37. आमजन की सुविधा के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर जनकल्याण सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	जनकल्याण सम्बन्धी कार्य
1.	जयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा व जोधपुर शहरों में PPP Mode पर Smart Parking का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, माउण्ट आबू—सिरोही में 200 वाहनों की Multi Storey Parking का निर्माण 10 करोड़ रुपये की लागत से कराया जायेगा।
2.	राज्य के नगर निगमों के प्रमुख 100 पार्किंग स्थलों पर चरणबद्ध रूप से PPP Mode पर EV-Charging Stations की स्थापना की जायेगी।

3.	राज्य/जिला स्तरीय कार्यक्रमों में बेहतर जन सुविधाओं की दृष्टि से नगर निकायों को 300 Mobile Toilets 30 करोड़ रुपये की लागत से उपलब्ध करवाये जायेंगे।
4.	अजमेर व जयपुर में आमजन एवं पर्यटकों के लिए सुविधा सेन्टर विकसित किये जायेंगे।
5.	आमजन की सुरक्षा व स्वास्थ्य के दृष्टिगत राज्य के समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से Dog Shelters के निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
6.	राहगीरों को गर्मी से राहत एवं बरसात से बचाव के लिए प्रदेश में जिला स्तरीय नगर निकायों में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर Eco-Cooling Shelters की स्थापना की जायेगी।

38. हमारे द्वारा शुरू की गई **पंचगौरव योजना** के अन्तर्गत आगामी वर्ष, जिलों में आधारभूत संरचना, पर्यटन उन्नयन, सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय उत्पादों की branding तथा नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए **150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये** व्यय किये जायेंगे।

39. प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों एवं राजकीय उपक्रमों के Infrastructure Projects को Innovative Financing सुलभ करवाने के लिए **RAJ-SETU (Rajasthan Structured Enabler for Transformative Urban and Infrastructure Financing) Fund** की स्थापना की जायेगी।

तीसरा स्तम्भ : औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन

भारत की वैश्विक पहचान को और अधिक मजबूती देने तथा आर्थिक प्रगति के पथ पर देश को निरन्तर आगे ले जाने वाले कुशल नेतृत्व के धनी हमारे **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी** ने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के असीम Potential को रेखांकित करते हुए कहा है–

''राजस्थान Rising तो है ही, Reliable भी है।........राजस्थान Receptive भी है और समय के साथ खुद को Refine करना भी जानता है।''

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है–तीव्र औद्योगिक विकास। हमारे इस कार्यकाल के दौरान राजस्थान देश के सबसे तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक केन्द्र के रूप में उभरा है। सरकार के कार्यकाल के पहले वर्ष में ही माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आयोजित **Rising Rajasthan-2024** से जहाँ एक ओर प्रमुख घरेलू एवं वैश्विक उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए बल मिला है, वहीं दूसरी ओर नवीन औद्योगिक क्षेत्रों और Sector Specific Parks की स्थापना ने Manufacturing Eco-system को मजबूत भी किया है।

हमारे औद्योगिक विकास की गति का आंकलन इस तथ्य से भी किया जा सकता है कि पिछले एक वर्ष में हमने प्रतिदिन 8 (आठ) उद्योगों के लिए भूमि आवंटित की है तथा औद्योगिक आधारभूत सुविधा के उन्नयन एवं विकास के लिए गत 50 (पचास) वर्षों में सर्वाधिक राशि व्यय की है।

40. इसी कड़ी में, हमारे द्वारा औद्योगिक विकास तथा Hassle Free निवेश को दृष्टिगत रखते हुए **Direct Allotment Policy** लागू कर एक हजार 200 (एक हजार दो सौ) से अधिक उद्यमियों को 800 (आठ सौ) एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इस नीति के सुखद परिणामों तथा निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे दिसम्बर, 2026 तक जारी रखा जाना प्रस्तावित है।

41. प्रदेश में औद्योगिक विकास की यात्रा को निरन्तर जारी रखने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना तथा अन्य आधारभूत कार्य करवाये जायेंगे। ये पार्क एवं कार्य हैं—

क्र.सं.	औद्योगिक पार्क एवं आधारभूत कार्य
1.	**जयपुर** के फागी, चौमूं, मौजमाबाद व दूदू; **अजमेर** के भिनाय; **डीडवाना—कुचामन** के परबतसर; **टोंक** के निवाई; **फलौदी** के आऊ व फलौदी; **खैरथल तिजारा** के मुण्डावर; **कोटपूतली बहरोड़** के नीमराणा; **कोटा** के रामगंजमण्डी व लाडपुरा; **धौलपुर** के बिजौली तथा **सीकर** के दातारामगढ़ तहसील क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।
2.	बिचून, कुंज बिहारीपुरा, विश्वकर्मा, ईपीआईपी, सीतापुरा—**जयपुर;** भिवाड़ी, कहरानी, चौपानकी—**खैरथल तिजारा;** उद्योग विहार—**श्रीगंगानगर;** आईजीसी खारा—**बीकानेर;** नीमराना, ईपीआईपी—नीमराना—**कोटपूतली बहरोड़;** कुबेर—**कोटा;** गेगल—**अजमेर** सहित अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं आधारभूत सुविधाओं यथा—सड़क, पानी, बिजली आदि के लिए **एक हजार करोड़ रुपये** की राशि व्यय की जायेगी।

42. औद्योगिक क्षेत्र एवं आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए Land Aggregation के विकल्प का उपयोग किये जाने हेतु आवश्यक विधिक प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं।

43. लघु व छोटे उद्यमियों को संबल प्रदान करने एवं उद्योग स्थापना सम्बन्धी सुविधायें सुलभ करने के लिए प्रदेश के समस्त संभाग मुख्यालयों पर **Plug and Play Facility for Small and Micro Enterprises** स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 350 करोड़ **(तीन सौ पचास करोड़)** रुपये की राशि से ये कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

44. Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) परियोजना के तहत जोधपुर—पाली—मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र के लिए लगभग 3 हजार 600

(तीन हजार छह सौ) हेक्टेयर भूमि चरणबद्ध रूप से विकसित की जायेगी। प्रथम चरण में सड़क, बिजली, पानी आदि आधारभूत संरचना के कार्यों पर आगामी दो वर्षों में **लगभग 600 करोड़ (छह सौ करोड़) रुपये** का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

45. प्रदेश में Logistic Eco-system को विकसित करने के लिए भिवाड़ी के सलारपुर एवं डीडवाना–कुचामन के परबतसर में भूमि आवंटित की गयी है। राज्य में और नये Logistic Hubs विकसित किये जाने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से Inland Container Depot (ICD), Multi-Modal Logistic Hub आदि की स्थापना की जायेगी।

46. देश–विदेश के प्रवासी राजस्थानियों से सतत संवाद एवं जुड़ाव के लिए हमारे द्वारा Domestic and Overseas Rajasthani Affairs (DORA) विभाग का गठन किया गया है। वर्तमान में Rajasthan Foundation के 26 **(छब्बीस)** Chapters कार्यशील हैं। आगामी वर्ष दक्षिण अफ्रीका, New Zealand, Canada आदि को सम्मिलित करते हुए 14 **(चौदह)** नये Chapters शुरू किये जायेंगे।

47. माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए आगामी वर्ष 5 हजार **Electric Wheels** (इलेक्ट्रिक चाक) एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवायी जायेंगी। इस हेतु 15 करोड़ **(पन्द्रह करोड़)** रुपये का व्यय किया जायेगा।

48. **Rajasthan ODOP Policy, 2024** के अन्तर्गत इकाइयों की स्थापना के साथ–साथ विस्तार हेतु ऋण लेने वाली सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को margin money उपलब्ध कराये जाने के लिए 15 करोड़ **(पन्द्रह करोड़)** रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

चौथा स्तम्भ : मानव संसाधन का सशक्तीकरण

युवा विकास एवं कल्याण :

संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व Secretary General, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता **Shri Kofi Annan** ने कहा था–

"Young people should be at the forefront of global change and innovation. Empowered, they can be key agents for development and peace."

अर्थात् ''**युवाओं को वैश्विक परिवर्तन एवं नवाचार के लिए अग्रणी होना चाहिए। सशक्त युवा, विकास और शान्ति के प्रमुख कारक सिद्ध हो सकते हैं।**''

विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका एवं योगदान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का ध्येय है कि '**प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बने।**' हमारे प्रदेश को मेरे युवा साथी आगे ले जायेंगे। उनके सपने सितारे बनकर आसमान में चमके, ऐसा वातावरण तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने युवाओं के लिए Vocational Education, Skill Enhancement, Career Counselling के साथ–साथ प्रक्रियाओं के सरलीकरण तथा शून्य अथवा न्यून ब्याज पर वित्त की उपलब्धता आदि पर विशेष focus किया है। साथ ही, हम युवाओं को सरकारी व निजी क्षेत्र के लिए employable बनाये जाने हेतु निरन्तर प्रयासरत हैं।

49. प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से '**मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना**' प्रारम्भ की गयी है। इसके अन्तर्गत **एक लाख युवाओं** को 10 लाख **(दस लाख)** रुपये तक के ऋण पर शत–प्रतिशत ब्याज अनुदान तथा Margin Money अनुदान आदि की सुविधा

दी जायेगी, जिस पर **एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि** व्यय की जानी प्रस्तावित है। आगामी वर्ष, इस योजना से **30 हजार (तीस हजार) युवाओं** को लाभान्वित किया जायेगा।

50. हमारे द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए उठाये गये ठोस कदमों से पेपरलीक जैसी घटनाओं पर लगाम लगी है, जिससे युवाओं में नई आशा का संचार हुआ है। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए National Testing Agency (NTA) की तर्ज पर प्रदेश में **Rajasthan State Testing Agency (RSTA)** की स्थापना किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, हमारे द्वारा घोषित एवं प्रक्रियाधीन भर्ती परीक्षाएं बड़े पैमाने पर निर्बाध एवं समयबद्ध रूप से सप्ताह के सभी दिवसों में हो सके, इसके लिए Online Testing सुविधायुक्त Test Centres का निर्माण किया जायेगा।

51. प्रतिभावान विद्यार्थियों के नवाचार व्यावहारिक रूप से startups के रूप में विकसित हो सकें, इसके लिए mentorship, entrepreneurship, incubation सुविधायें उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इस हेतु knowledge partners के सहयोग से प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालय में **VIBRANT (Value-driven Innovation and Business Research for Aspiration and Nurturing Talent) Programme** चलाया जायेगा।

52. बालिकाओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जाग्रत करने की दृष्टि से 300 **(तीन सौ)** से अधिक महाविद्यालयों में स्थापित **'रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रों'** में लगभग 15 हजार **(पन्द्रह हजार)** छात्राओं को प्रशिक्षण दिया गया है। आगामी वर्ष, 150 **(एक सौ पचास)** अतिरिक्त महाविद्यालयों में इन केन्द्रों की स्थापना कर लगभग 25 हजार **(पच्चीस हजार)** छात्राओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

53. महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार परक कौशल, career guidance तथा digital mentoring आवश्यक है। इसके लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और Technology Enabled परामर्श प्रदान करने के उद्देश्य से **DREAM (Digital Readiness and Empowerment through Assisted Mentoring) Programme** चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत आगामी वर्ष, प्रथम चरण में लगभग 50 हजार (पचास हजार) विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा।

54. 'नशामुक्त राजस्थान' की संकल्पना को साकार करने के लिए अन्तर विभागीय समन्वित कार्यक्रम **Raj-SAVERA (Statewide Anti-drugs Vigilance, Enforcement, Rehabilitation and Awareness)** चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत–

I. Psychotropic Drugs के Chemist के स्तर पर विक्रय की सतत Monitoring के लिए online portal विकसित किया जायेगा।

II. जिला चिकित्सालयों में नशामुक्ति वार्ड स्थापित किये जायेंगे।

III. 300 (तीन सौ) से अधिक महाविद्यालयों में चल रहे नशामुक्ति केन्द्रों की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष विश्वविद्यालयों एवं चयनित महाविद्यालयों में भी इन केन्द्रों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

IV. साथ ही, Anti-Narcotics Task Force द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए मुखबिर तंत्र भी सुदृढ़ किया जायेगा।

55. प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न संस्थान खोलने व क्रमोन्नत किये जाने के साथ–साथ अन्य सुविधायें भी विकसित की जायेंगी। ये संस्थान/सुविधायें हैं–

क्र.सं.	महाविद्यालय/ **ITIs**/ पॉलिटेक्निक आदि
1.	**नवीन महाविद्यालय**–पादरू (सिवाना)–बालोतरा
2.	**कृषि महाविद्यालय**–कनावर (बयाना)–भरतपुर
3.	**महाविद्यालय–UG से PG में क्रमोन्नयन–** श्रीमाधोपुर (कन्या)–सीकर, कल्याणपुर (पचपदरा), बगरू–जयपुर
4.	**विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास–** (a) आगामी दो वर्षों में, प्रदेश के 106 महाविद्यालयों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण करवाया जायेगा। (b) विद्यार्थियों तथा शोधकर्ताओं में नवाचार, अनुसंधान तथा entrepreneurship को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के 50 उच्च शिक्षण संस्थानों (विश्वविद्यालय, महाविद्यालय आदि) में **IPR-TT (Intellectual Property Rights and Technology Transfer) Cells** का गठन किया जायेगा। (c) राजकीय महाविद्यालय–दूदू में कॉन्फ्रेन्स हॉल का निर्माण करवाया जायेगा।
5.	**नवीन विषय/संकाय–** • बानसूर–कोटपूतली बहरोड़ में विज्ञान संकाय; कन्या महाविद्यालय विद्याधरनगर–जयपुर में विज्ञान व वाणिज्य संकाय **UG स्तर पर विषय–** • कन्या महाविद्यालय विद्याधरनगर–जयपुर में समाजशास्त्र, संस्कृत एवं चित्रकला **PG स्तर पर विषय–** • भीमसेन चौधरी राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर में भूगोल, इतिहास एवं हिन्दी साहित्य • कन्या महाविद्यालय विद्याधरनगर–जयपुर में अंग्रेजी, हिन्दी, राजनीति विज्ञान एवं इतिहास • एसबीके महाविद्यालय–जैसलमेर में प्राणी शास्त्र व भूगोल

	• सेठ रंगलाल कोठारी राजकीय महाविद्यालय–राजसमंद में रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र तथा व्यावसायिक प्रशासन, ई.ए.एफ.एम. • राजकीय महाविद्यालय, निवाई–टोंक में राजनीति विज्ञान तथा हिन्दी साहित्य
6.	कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोधपीठ की स्थापना
7.	**ITIs में नवीन Trades–** (a) समस्त संभाग स्तरीय ITIs में Advanced CNC (Computerised Numeric Control) Machining Technician व Semi-Conductor Technician के Trades प्रारम्भ किये जायेंगे। (b) जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर में Mechanic Electric Vehicle के Trades प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं। (c) जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, पाली, सीकर में Fiber to Home Technician के Trades प्रारम्भ किये जायेंगे। (d) बाड़मेर, रामसर, गुढ़ामलानी–**बाड़मेर** तथा जैसलमेर, पोकरण–**जैसलमेर** के ITIs में Wind Plant Technician के Trades शुरू किये जायेंगे।
8.	**पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में आधारभूत सुविधा विकास–** अजमेर, अलवर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, भरतपुर, दौसा सहित 50 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से आगामी दो वर्षों में ICT Labs की स्थापना की जायेगी।

56. प्रदेश में skilling eco-system को मजबूत बनाने, गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने तथा युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें employable बनाये जाने के उद्देश्य से–

I. राज्य में पहली बार **Outcome-based Skill Impact Bond** लाया जायेगा। इसके तहत Placement आधारित मापदण्ड पूरे होने पर भुगतान किया जायेगा।

II. Hospitality, IT व स्वास्थ्य सेवाओं जैसे customer centric क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों हेतु तैयार करने के लिए **एक हजार युवाओं को** अंग्रेजी, Japanese, French, German व Korean भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा दी जायेगी।

III. असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अनुभवी 20 हजार (बीस हजार) कामगारों को Recognition of Prior Learning (RPL) के माध्यम से Trade अनुसार मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण करवाया जायेगा।

57. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से उन्हें Industry Ready एवं Employable बनाना हमारी प्राथमिकता है। इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में Industry Partners को जोड़ते हुए **Institute of Skill Development and Vocational Training** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

58. आज प्रदेश में iStart कार्यक्रम के तहत 7 हजार 500 (सात हजार पांच सौ) registered startups का एक समृद्ध Startup Eco-system तैयार हो गया है। इसे और अधिक व्यापक बनाये जाने के उद्देश्य से उभरते Startups की Mentorship व Scaling के लिए **'iStart Ambassador Programme'** प्रारम्भ किया जायेगा।

59. Startups को बढ़ावा देने के लिए अजमेर, भरतपुर एवं कोटा में Tinkering Lab, Deep-Tech Labs, Data व AI Labs जैसी Next Generation Technology से युक्त नवीन **Techno Hubs** स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 30 करोड़ (तीस करोड़) रुपये का व्यय किया जायेगा।

60. National Education Policy-2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल शिक्षा से जोड़ने एवं श्रम की गरिमा को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया है। इसी दिशा में शिक्षा को employment oriented बनाये जाने के उद्देश्य से–

I. पूर्व में संचालित 4 हजार 19 **(चार हजार उन्नीस)** विद्यालयों के अतिरिक्त अब आगामी सत्र (2026–27) में 500 **(पांच सौ)** और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू की जायेगी। इस पर 51 करोड़ 10 लाख **(इक्यावन करोड़ दस लाख)** रुपये का व्यय होगा।

II. **'School to Work' व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम** की शुरूआत कर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय को **उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय** में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है।

61. प्रदेश के विद्यार्थियों को समयबद्ध रूप से पूर्ण पारदर्शिता के साथ Tablet/ Laptop, साइकिल व Uniform जैसी सुविधाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए **DBT/e-Voucher की सुविधा** दिये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस कड़ी में–

I. कक्षा 8वीं, 10वीं एवं 12वीं में अध्ययन करने वाले चयनित मेधावी विद्यार्थियों को स्वयं के स्तर पर Tablet/ Laptop क्रय किये जाने के लिए e-Voucher के माध्यम से **20 हजार (बीस हजार) रुपये तक की सहायता** उपलब्ध करायी जायेगी।

II. निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली जरूरतमंद छात्राओं को **साइकिल** हेतु **e-Voucher** दिये जायेंगे।

III. कक्षा 1 से 8 के 40 लाख **(चालीस लाख)** से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को **निःशुल्क Uniform** उपलब्ध कराने के लिए DBT की जायेगी। इस हेतु लगभग 250 करोड़ **(दो सौ पचास करोड़)** रुपये का व्यय किया जायेगा।

62. राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 3–6 वर्ष आयुवर्ग के बच्चों को पारदर्शिता और सुगमता से उनकी पात्रतानुसार समस्त लाभ मिल सकें, इसके लिए Facial Recognition System (FRS) Biometric आधारित छात्रों/बच्चों की उपस्थिति पंजीकरण की व्यवस्था की जायेगी।

63. बालिकाओं को विद्यालय में स्वास्थ्य व Hygiene सम्बन्धी सुविधायें भी पूर्ण रूप से उपलब्ध हो सकें, इसके लिए प्रदेश के Toilet सुविधा से वंचित रहे समस्त विद्यालयों में Toilets बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

64. राज्य के विद्यालयों में बच्चों को सुदृढ़ एवं सुरक्षित भवनों में पढ़ाई की व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है। गत सरकार द्वारा इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिये जाने से दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं। पिछले वर्ष विद्यालयों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु किये गये प्रावधान को और बढ़ाते हुए अब आगामी वर्ष 2 हजार 500 से अधिक विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु 550 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, 300 भवन विहीन एवं जर्जर विद्यालयों के भवनों का 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

65. इसके अतिरिक्त, प्रदेश के विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने के साथ–साथ विद्यालयों एवं छात्रावासों में आधारभूत संरचना विकास के कार्य करवाये जायेंगे। ये सुविधायें व कार्य हैं–

क्र.सं.	अध्ययन एवं आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्य /सुविधायें
1.	विद्यालयों में एक हजार 500 से अधिक Class-rooms, Labs, Computer Labs आदि का **200 करोड़ रुपये** से अधिक की लागत से निर्माण करवाया जायेगा।

2.	प्रदेश के 382 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) तथा 41 नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावासों में 3-Phase Connection, Washing Machine तथा Automatic Roti Maker आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
3.	(a) कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के माता–पिता/अभिभावकों को स्कूली गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध कराने तथा बच्चों को घर पर पढ़ने में सहयोग प्रदान किये जाने के उद्‌देश्य से **'निपुण कलेण्डर'** दिये जायेंगे। इस हेतु लगभग 16 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। (b) कक्षा 3 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित विषय की **अभ्यास कार्य पुस्तिकायें** उपलब्ध करवायी जायेंगी। इस हेतु लगभग 26 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
4.	अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा में नवीन मॉडल संदर्भ केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

66. प्रदेश में विद्यालयों के साथ संचालित 22 हजार 746 (**बाइस हजार सात सौ छियालिस**) आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों के समग्र विकास तथा खेल आधारित शिक्षा के लिए खेल सामग्री एवं "**जादुई पिटारा**" उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग **323 करोड़ (तीन सौ तेईस करोड़) रुपये** का व्यय किया जायेगा।

67. घुमन्तू एवं अर्द्ध–घुमन्तू समुदाय यथा–गाड़िया लोहार, बंजारा इत्यादि एवं मजदूर वर्ग के परिवारों को जीवनयापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। इन परिवारों के बच्चे औपचारिक शिक्षा से वंचित न रह जायें, इस दृष्टि से मैं, आगामी वर्ष **Raj PAHAL (Portable Access for Holistic and Assisted Learning)** कार्यक्रम आरम्भ करने की घोषणा करती हूँ। इस योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रत्येक जिले में एक **School on Wheels** स्थापित किया जायेगा तथा migration prone क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षा शिविर संचालित किये जायेंगे। साथ ही, शैक्षिक संभागों पर 6 माह के School Readiness Camps आयोजित किये जायेंगे।

68. हमारी सरकार का ध्येय केवल सेवाओं का Access देना ही नहीं है, बल्कि इससे आगे बढ़कर Outcome Focussed Governance है। इस कड़ी में, प्रदेश में कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के भाषा एवं गणित में learning gaps को पूरा करने, Smart Learning Eco-system को बढ़ावा देने तथा व्यक्तिगत सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के **एक हजार विद्यालयों** में AI आधारित **Personalised Learning Labs** की स्थापना की जायेगी।

69. राजस्थान संस्कृत अकादमी को संस्कृत शिक्षा विभाग के अधीन लाया जायेगा तथा अकादमी के अधीन संचालित वेद विद्यालयों में ज्योतिष आदि से सम्बन्धित विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जायेगी। इन विद्यालयों के संचालन को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सहायता दी जायेगी तथा इनमें स्नातक/शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक कदम भी उठाये जायेंगे।

70. संस्कृत शिक्षा में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन हेतु अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल 500 सीटों की बढ़ोतरी की जायेगी।

71. विद्यार्थियों एवं आमजन की STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) विषयों में रूचि बढ़ाने तथा अपने देश की अंतरिक्ष उपलब्धियों से परिचय करवाने के लिए जोधपुर स्थित State Remote Sensing Application Centre (SRSAC) में Space Gallery का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, Science Park, जयपुर में Space Gallery एवं Children Gallery का निर्माण किया जायेगा।

72. पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, पूर्व सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधा दिये जाने के उद्देश्य से जोधपुर में **मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्र** की स्थापना की जायेगी।

73. प्रदेश के सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए जोधपुर, टोंक, शेरगढ़, फलौदी, खैरथल, ब्यावर, झुंझुनूं तथा श्रीगंगानगर में Integrated **सैनिक कॉम्पलैक्स** की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। प्रथम चरण में जोधपुर, टोंक, शेरगढ़ तथा झुंझुनूं में इन कॉम्पलैक्स का निर्माण 36 करोड़ **(छत्तीस करोड़)** रुपये की लागत से करवाया जायेगा।

74. एक अप्रेल, 1999 **(उन्नीस सौ निन्यानवे)** के पश्चात् (Post-Kargil) युद्धों में हुए शहीद/Permanently Disabled सैनिकों के कक्षा एक से 12 **(बारह)** में पढ़ने वाले बच्चों तथा भूतपूर्व सैनिकों की कक्षा 11 **(ग्यारह)** व 12 **(बारह)** में पढ़ने वाली प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति क्रमशः 180 **(एक सौ अस्सी)** व 100 **(सौ)** रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर **2 हजार 500 रुपये वार्षिक** किया जाना प्रस्तावित है।

75. राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम (RMFDCC) से लिये जाने वाले ऋण का समय पर चुकारा किये जाने पर ब्याज दर में **2 प्रतिशत छूट** दी जायेगी।

76. नवीन कलेवर में Career Counselling, Smart Boards, VC Setup तथा Building as Learning Aid जैसी आधुनिक सुविधा आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किये जाने की दृष्टि से 400 **(चार सौ)** विद्यालयों को चरणबद्ध रूप से **CM-RISE (Rajasthan Innovative School of Excellence)** स्कूलों में क्रमोन्नत किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर **एक हजार करोड़ रुपये** का व्यय किया जायेगा।

77. प्रदेश में खेल गतिविधियों के प्रोत्साहन तथा खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु स्टेडियम निर्माण व अन्य बुनियादी सुविधायें विकसित किये जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	खेल स्टेडियम/खेलकूद सम्बन्धी अन्य कार्य
1.	• **खेल स्टेडियम का निर्माण**–धौलपुर, विजयनगर (मसूदा)–**ब्यावर**, बानसूर–**कोटपूतली बहरोड़**, छींछ (गांगडतलाई), हिम्मत मैदान गढ़ी (परतापुर गढ़ी)– **बांसवाड़ा**, डीग, कामां–**डीग**, आकोला (भोपालसागर)–**चित्तौड़गढ़**, आहोर–**जालोर**, नवलगढ़, काकोडा व बुहाना (सूरजगढ़)–**झुंझुनूं**, हिण्डौन–**करौली**, इटावा (पीपल्दा)–**कोटा**, भीम– **राजसमंद**, श्रीमाधोपुर–**सीकर** व **बारां** • **खेल स्टेडियम विकास कार्य**–सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम–**ब्यावर**, चित्रकूट स्टेडियम–**जयपुर** • **नवीन इंडोर स्टेडियम**–पोकरण–जैसलमेर • डूंगरपुर जिला खेल स्टेडियम में मल्टीपर्पज इन्डोर हॉल एवं सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रैक का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, **इंडोर स्टेडियम में पुनर्विकास कार्य**–आरडी गर्ल्स कॉलेज–भरतपुर
2.	ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिता के लिए तैयार करने के लिए 2 हजार 500 से अधिक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में Open Gym एवं खेल मैदान सम्बन्धी सुविधायें चरणबद्ध रूप से विकसित की जायेंगी।

3.	चयनित खेल स्टेडियम व अकादमियों में PPP Mode/प्राइवेट सहभागिता/CSR के आधार पर खेल उपकरण, खेल प्रशिक्षण व खेल मैदानों की गुणवत्ता में सुधार किया जायेगा।
4.	खेल परिषद् की अकादमियों व स्टेडियम में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले Athletes की Performance मापने के लिए online platform **SPEED (Sports Performance Enhancement and Efficiency Development)** विकसित किया जायेगा।
5.	क्रीड़ा परिषद् द्वारा संचालित 22 आवासीय खेल अकादमियों में Solar Panels लगाये जायेंगे।
6.	पोकरण–जैसलमेर में Indoor Hall तथा जैसलमेर में Synthetic Track, Swimming Pool सहित विभिन्न खेल सम्बन्धी कार्य लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
7.	भरतपुर शहर में बैडमिंटन,टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबाल, फुटबाल, Running Track आदि खेल सम्बन्धी विकास कार्य 15 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
8.	चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम पर सिंथेटिक एथेलेटिक ट्रेक की स्थापना 10 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।
9.	• नाथद्वारा–राजसमंद में **राणा पुंजा जनजातीय खेल अकादमी** की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। • लालगढ़ जटान (सादुलशहर)–श्री गंगानगर में **हैण्डबॉल अकादमी** शुरू की जायेगी।
10.	जयपुर तथा उदयपुर में क्रमशः रीको व RSMML के सहयोग से एक–एक खेल हेतु विश्वस्तरीय सुविधायें विकसित की जानी प्रस्तावित हैं।

78. महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय, जयपुर में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

79. **'खेलो राजस्थान Youth Games'** के ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजन किये जाने के लिए आगामी वर्ष 50 करोड़ (पचास करोड़) रुपये व्यय किये जायेंगे।

80. प्रदेश में खेलों को बढ़ावा दिये जाने के लिए राज्य स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता हेतु वर्तमान में प्रति खेल देय राशि 50 हजार **(पचास हजार)** रुपये को बढ़ाकर **एक लाख रुपये** किया जाना प्रस्तावित है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

आमजन के स्वास्थ्य का राज्य की समृद्धि और उत्पादकता में प्रत्यक्ष योगदान होता है। वर्ष 2047 **(दो हजार सैंतालीस)** तक 'समृद्ध राजस्थान–स्वस्थ राजस्थान' के लिए हमारा लक्ष्य है–स्वास्थ्य सेवाओं का Universal Coverage, 77 **(सतहत्तर)** वर्ष से अधिक Life Expectancy, मातृ मृत्यु दर (MMR) को घटाकर 15 **(पन्द्रह)** प्रति लाख व शिशु मृत्यु दर (IMR) को घटाकर 10 प्रति हजार live births से कम करते हुए सशक्त Emergency Response System का निर्माण। स्वस्थ नागरिक समाज में अपना अमूल्य योगदान दे सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं कि प्रत्येक प्रदेशवासी को उच्च गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त हों। **सुश्रुत संहिता** में कहा भी गया है–

''आरोग्यम् परमम् भाग्यम्, स्वास्थ्यम् सर्वार्थ साधनम्।''

अर्थात् ''**स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है, अच्छा स्वास्थ्य जीवन के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है।**''

81. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, upgradation, भवन निर्माण, repair व maintenance सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन–** पूँछरी का लौठा–**डीग**;
2.	लाडपुरा–कोटा में प्रथम चरण में 75 बेड का चिकित्सालय खोला जाकर चरणबद्ध रूप से बेड क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

3.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नयन–** हाथीदेह (श्रीमाधोपुर)–सीकर, बड़ाखेड़ा–ब्यावर, शेरगढ़–बांसवाड़ा
4.	**शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र**–खिरनी फाटक–जयपुर
5.	**नवीन आयुष्मान आरोग्य मंदिर–** रानीखेड़ा (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़, पालड़ी जोधा–नागौर, कीरों की ढाणी (सांगानेर)–जयपुर, दुराना (मण्डावा)–झुंझुनूं
6.	**उप स्वास्थ्य केन्द्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन–** बिरमी खालसा (तारानगर)–चूरू, मालासर (लूणकरणसर), गुडा–बीकानेर, हिरनोदा (फुलेरा)–जयपुर, कलालिया (जैतारण)–ब्यावर, पाटा (रामगढ़)–अलवर, काशीनगर (मकराना)–नागौर
7.	**नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र–** थुंबा (आहोर), शिवपुरा पुरोहितान (बावतरा)–जालोर, कुहारा–कोटपूतली बहरोड, मेडास (खींवसर)–नागौर, धनवाड़ा (माण्डलगढ़)–भीलवाड़ा, रणजीतपुरा–**जोधपुर**
8.	**भवन निर्माण कार्य–** सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र–मालाखेड़ा–अलवर
9.	भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में नवीन यूनिट हेतु मेडिकल उपकरण एवं अन्य आधारभूत कार्य तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उपजिला चिकित्सालयों में विभिन्न उपकरण क्रय किये जायेंगे। इस हेतु 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
10.	भीलवाड़ा जिले में जर्जर उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं ब्लॉक कार्यालय के नवीन भवन का निर्माण कार्य हेतु 17 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
11.	3 सैटेलाइट चिकित्सालयों एवं 126 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में X-Ray मशीन तथा 129 CR systems उपलब्ध करवाये जायेंगे।
12.	मेडिकल कॉलेज झालावाड़ के SRG Hospital एवं मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय–टोंक में MRI Machine उपलब्ध करवायी जायेगी।
13.	महाराणा भूपाल चिकित्सालय–उदयपुर के अन्तर्गत रिजनल कैंसर सेन्टर सम्बन्धी उपकरण पीपीपी मोड पर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

14.	पीबीएम चिकित्सालय–बीकानेर स्थित हल्दीराम मूलचन्द राजकीय कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज एण्ड रिसर्च सेंटर में अवसंरचना सुदृढ़ीकरण कार्य
15.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय–जयपुर में **Endocrinology Unit** की स्थापना
16.	जिला चिकित्सालय–बीकानेर में नवीन शिशु वार्ड एवं आईसीयू की स्थापना
17.	राजकुमारी अमृतकौर जिला चिकित्सालय–**ब्यावर** में आधारभूत संरचना व सीवरेज सम्बन्धी कार्य 15 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।

82. सड़क दुर्घटना, प्रसूति, Heart Attack जैसी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार मिल सके, इसके लिए **RAJ-SURAKSHA (Rajasthan System for Urgent Response, Accident Stabilization and Hospital Access) योजना** लागू किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस योजना के अन्तर्गत–

I. निकटतम चिकित्सा संस्थानों एवं उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सटीक जानकारी व परामर्श दिये जाने की दृष्टि से **24×7 Critical Care Command Centre** की स्थापना की जायेगी। साथ ही, निकटतम उपलब्ध चिकित्सकों/संस्थानों की Repository भी बनायी जायेगी।

II. गम्भीर दुर्घटना प्रकरणों के लिए राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से स्थानीय डॉक्टरों को live consultation की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

III. स्थानीय स्तर पर ही हृदयाघात की समय पर पहचान कर रोगियों का जीवन बचाया जा सके, इसके लिए CHC पर ही ECG/ Tele-ECG एवं Thrombolysis की सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

IV. संभाग स्तर पर समस्त चिकित्सकों व Para Medical Staff को चरणबद्ध तरीके से Cardiac Life Support Certification Course का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

V. सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए ड्राईविंग लाइसेंस धारकों के लिए CPR का प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना प्रस्तावित है।

VI. 250 (**दो सौ पचास**) अति आधुनिक Ambulances चरणबद्ध रूप से उपलब्ध करवायी जायेंगी। Highways पर Rest Areas में Ambulances तैनात की जायेंगी।

83. इसी योजना के अन्तर्गत **Trauma and Emergency Policy** लाने के साथ ही Trauma सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु **150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये** की लागत से विभिन्न सुविधायें विकसित की जायेंगी। ये सुविधायें हैं–

क्र.सं.	**Trauma सेवा सम्बन्धी कार्य**
1.	सवाई मानसिंह चिकित्सालय–जयपुर की तर्ज पर संभाग मुख्यालय के Trauma Centres को चरणबद्ध रूप से लेवल–1 Trauma Centres के रूप में विकसित किया जायेगा।
2.	चिकित्सा महाविद्यालयों में DM (Critical Care) तथा MCH (Trauma Surgery) के Super Speciality Courses प्रारम्भ किये जायेंगे। MD (Emergency Medicine) की seats को बढ़ाकर 20 किया जायेगा।
3.	आपातकालीन सेवाओं के 500 कार्मिकों को AIIMS नई दिल्ली के माध्यम से नियमित Emergency Management Training करवायी जायेगी।
4.	आपातकालीन परिस्थितियों में आमजन की जीवन रक्षा हेतु प्राथमिक उपचार दिये जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्द्धन के लिए अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर में **Basic Life Support (BLS) Training Centres** की स्थापना की जायेगी।

84. 'सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य' के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति के साथ–साथ बदलती जीवनशैली एवं प्रतिस्पर्धा के वर्तमान परिवेश में अवसाद, चिन्ता एवं आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु **Raj-MAMTA (Rajasthan Mental Awareness, Mentoring and Treatment for All) Programme** चलाया जायेगा। इसके अन्तर्गत–

I. Counselling, Tele-medicine आदि के लिए सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में **Center of Excellence in Mental Health** की स्थापना की जायेगी।

II. मानसिक रोगों की शीघ्र पहचान कर परामर्श, उपचार, पुनर्वास एवं Referral सेवायें उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर **Mental Health Care Cell** की स्थापना की जायेगी।

III. जिला चिकित्सालयों में Psychiatric चिकित्सकों के साथ Psychological Counsellors लगाये जायेंगे।

IV. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में **Stress Management and Mental Health Awareness Campaign** चलाये जायेंगे।

V. उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित काउंसलर द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम एक **Stress cum Mental Health Counselling and Awareness Session** किया जाना अनिवार्य किया जायेगा।

85. आमजन में रोगों की समय पर पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता बढ़ाने, मातृ–शिशु स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, Non-Communicable and Life Style Diseases की जांच, परामर्श सेवायें निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने एवं वंचित पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंचायत स्तर पर **आरोग्य शिविरों का आयोजन** किया जायेगा।

86. हमारी सरकार के मुखिया माननीय श्री भजनलाल शर्मा जी की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे असहाय, विमन्दित, लावारिस रोगी जिन्हें दस्तावेजों के अभाव में समुचित चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें **मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA)** एवं **निरोगी राजस्थान योजना** के अन्तर्गत निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

87. बच्चों को इलाज की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जेके लोन चिकित्सालय–जयपुर में 500 (पांच सौ) bed क्षमता के **IPD Tower** की स्थापना 75 करोड़ (पचहत्तर करोड़) रुपये की लागत से की जायेगी। साथ ही, चिकित्सालय में Pediatric Neurology विभाग स्थापित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त, RUHS चिकित्सालय में 200 बेड का Pediatric IPD मय Neo-natal ICU भी विकसित किया जायेगा।

88. प्रदेश में मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा, चिकित्सालय प्रबंधन तथा अन्य आधारभूत विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	चिकित्सा सुविधायें/कार्य
1.	गम्भीर मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से SMS Hospital–जयपुर, JLN Hospital–अजमेर, PBM Hospital–बीकानेर, महाराणा भूपाल चिकित्सालय–उदयपुर, MBS Hospital–कोटा एवं मथुरादास माथुर चिकित्सालय–जोधपुर में 12 Modular Operation Theatres स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, Operation हेतु लगने वाले प्रतीक्षा समय में कमी लाने के लिए अस्पताल समय के पश्चात् Operation करने वाले चिकित्सकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले पैकेज में प्रोत्साहन हिस्सा राशि दी जायेगी। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

2.	चिकित्सालयों में दवा Counters पर प्रतीक्षा समय में कमी लाने तथा आमजन को सुव्यवस्थित व सुविधाजनक तरीके से दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए चरणबद्ध रूप से 500 **अतिरिक्त Drug Distribution Counters** स्थापित किये जायेंगे।
3.	प्रदेश में अस्पतालों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध रूप से हो सके, इसके लिए 100 या अधिक bedded अस्पतालों का निर्माण Turn Key Basis पर कराया जाना प्रस्तावित है।
4.	चिकित्सा शिक्षा के अधीन चिकित्सालयों में OPD कक्षों में मरीजों को ई–परामर्श पर्ची जारी करने के लिए **Doctor's Digital Desk** स्थापित की जायेगी।
5.	गम्भीर बीमारियों यथा–कैंसर, kidney failure व हृदय रोग से पीड़ित अन्य चिकित्सालयों से refer होकर आने वाले मरीजों के लिए, चिकित्सा शिक्षा से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पृथक से **Referral Outdoor** की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
6.	चिकित्सालयों में wards की साफ–सफाई, देखभाल आदि सुविधाओं की नियमित monitoring; आकस्मिक दुर्घटना होने पर त्वरित response तथा मरीजों व उनके परिजनों से प्राप्त feedback के आधार पर व्यवस्था में सुधार किये जाने की दृष्टि से **Integrated Raj Swasthya App** विकसित किया जायेगा।
7.	मरीजों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ–साथ कानूनी प्रक्रियाओं में त्वरित व पारदर्शी सुविधा प्रदान किये जाने हेतु समस्त Medico Legal Reports online की जायेगी।
8.	भीड़ प्रबन्धन, महिला सुरक्षा तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा शिक्षा से सम्बद्ध चिकित्सालयों में **Integrated Control and Command Centre** व **Public Address System** स्थापित कर इन्हें अभय कमाण्ड सेन्टर से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
9.	प्रदेश में पर्याप्त संख्या में Specialist Doctors उपलब्ध हो सके, इसके लिए चिकित्सा महाविद्यालयों की PG Seats में आगामी सत्र से 150 Seats की वृद्धि की जायेगी। साथ ही, Non-teaching अस्पतालों में चरणबद्ध रूप से 150 सीटों पर DNB Course प्रारम्भ किये जायेंगे।

10.	बढ़ती आयु के साथ वृद्धजन की विशेष देखभाल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समस्त चिकित्सा महाविद्यालयों में Geriatric Care में PG Nursing व Physiotherapy Courses शुरू किये जायेंगे।
11.	राजमेस के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों में Junior Residents के 608 पद सृजित किये जायेंगे। साथ ही, Nursing, Paramedical तथा Support Staff के लगभग 4 हजार कार्मिक Contractual Hiring Rules के तहत लिये जायेंगे।

89. राजमेस के अधीन संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में लगभग **300 करोड़ रुपये** की लागत से विभिन्न Medical Equipment उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, 31 **(इकतीस)** Critical Care Blocks हेतु लगभग **एक हजार विभिन्न पदों** के सृजन के अतिरिक्त लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि के विभिन्न मेडिकल उपकरण स्थापित किये जायेंगे।

90. प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में अग्नि दुर्घटना की रोकथाम तथा मरीजों व चिकित्सा कार्मिकों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आवश्यकतानुसार Fire Detection System, Extinguisher, Sprinkler आदि उपकरण स्थापित किये जायेंगे। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में Fire Safety Equipment हेतु **लगभग 300 करोड़ (तीन सौ करोड़) रुपये** की राशि व्यय की जायेगी।

91. मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के चिकित्सा महाविद्यालयों के मुख्य चिकित्सालयों में **500 करोड़ रुपये** की लागत से **अत्याधुनिक विश्राम गृह** स्थापित किये जायेंगे।

92. चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध अस्पतालों में मरीजों, उनके परिजनों, स्टाफ एवं विद्यार्थियों को उचित दर पर पौष्टिक भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **अटल आरोग्य फूड कोर्ट** स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु 100 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

93. प्रदेशवासियों को हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति–आयुर्वेद का लाभ मिल सके, इसके लिए आयुर्वेद चिकित्सा संस्थानों/छात्रावासों में आधारभूत संरचना के विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	फलौदी, खैरथल–तिजारा, सलूम्बर एवं कोटपूतली–बहरोड़ के आयुर्वेद चिकित्सालयों को **जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों** में क्रमोन्नत किया जायेगा।
2.	तलवाड़ा (गढ़ी)–बांसवाड़ा, चौहटन–बाड़मेर, सुमेरपुर–पाली, छोटी सादड़ी (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़ सहित आगामी वर्ष 30 ब्लॉक में संचालित चिकित्सालय/औषधालयों को **ब्लॉक आयुर्वेद चिकित्सालय** में क्रमोन्नत किया जायेगा। **नवीन आयुर्वेदिक औषधालय**–समेलिया (दूदू)–जयपुर, सुभाष नगर–कोटा
3.	**नवीन आयुष चिकित्सालय**–सांगानेर–जयपुर साथ ही, शाहपुरा–भीलवाड़ा में **50 बेड क्षमता का एकीकृत आयुष चिकित्सालय**
4.	अत्यधिक जीर्ण–शीर्ण स्थिति वाले आयुर्वेद औषधालयों/चिकित्सालयों के भवनों के जीर्णोद्धार, मरम्मत व रखरखाव हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

94. दुर्घटना में जान गंवाने वाले मृतक के पार्थिव शरीर को चिकित्सालय की mortuary से सम्मानपूर्वक घर तक पहुँचाने हेतु निःशुल्क सुविधा के लिए '**मोक्ष वाहिनी योजना**' शुरू की जायेगी।

पांचवाँ स्तम्भ : सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को नोबेल शान्ति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति **Nelson Mandela** का कथन याद दिलाना चाहूँगी–

"Social Security is a fundamental right and it is the responsibility of government to ensure that all citizens have access to basic needs such as food, houses, education, health services, and every thing that makes human life human. "

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की नेतृत्व वाली हमारी सरकार भी विभिन्न वंचित वर्गों के कल्याण के साथ–साथ महिलाओं, बच्चों, वृद्धजन, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के उत्थान तथा समग्र विकास के लिए संवेदनशील है।

95. महिला सशक्तीकरण एवं financial inclusion के दृष्टिगत **16 लाख (सोलह लाख) से अधिक महिलाओं** को **लखपति दीदी** की श्रेणी में लाया गया है। इसी कड़ी में, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्तर पर **Rural Women BPO** स्थापित किये जायेंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए–

I. **मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना** के अन्तर्गत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिये जा रहे ऋण की सीमा **एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक लाख 50 हजार (एक लाख पचास हजार) रुपये** किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

II. राजीविका के अन्तर्गत संगठित 100 Cluster Level Federations (CLFs) के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाये जायेंगे। साथ ही, इन कार्यालयों में Digital एवं Financial Literacy के लिए **'Saksham Centres'** भी संचालित किये जायेंगे। इस हेतु 25 करोड़ **(पच्चीस करोड़)** रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

III. राजीविका की स्वयं सहायता समूह की लगभग 5 हजार महिलाओं को प्रशिक्षित कर **बीसी (Banking Correspondent) सखी** बनाया जायेगा। साथ ही, **एक हजार** महिलाओं को प्रशिक्षित कर **बैंक सखी** के रूप में ग्रामीण बैंक शाखाओं से जोड़ा जायेगा।

96. **स्वयं सहायता समूहों** (SHGs) द्वारा बनाये गये उत्पादों की बेहतर Branding, Designing, Packaging कर बिक्री में वृद्धि किये जाने के लिए राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से समन्वय कर आगामी वर्ष Dairy, Textile, Footwear, Millets, मसाले आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों के **50 (पचास) नवीन Enterprises** स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु लगभग 20 करोड़ **(बीस करोड़)** रुपये का व्यय होगा।

97. राजीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक capital की व्यवस्था करने के साथ क्षमता संवर्द्धन एवं Marketing आवश्यक है। इस हेतु समस्त संभागीय मुख्यालयों पर **'Raj Sakhi Stores'** प्रारम्भ किये जायेंगे। क्षमता संवर्द्धन हेतु सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से **Centre for Entrepreneurship and Capacity Building** स्थापित किये जायेंगे।

98. प्रदेश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से **मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत महिला/SHG को दिये जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख **(पचास लाख)** रुपये से बढ़ाकर **एक करोड़ रुपये** किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

99. प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में Mid-Day Meal के लिए स्थानीय स्तर पर फल, सब्जी आदि उपलब्ध कराने के साथ–साथ महिला SHGs के आजीविका संवर्द्धन की दृष्टि से **11 हजार (ग्यारह हजार) अमृत पोषण वाटिकाओं** का निर्माण किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस हेतु **लगभग 500 करोड़ (पांच सौ करोड़) रुपये** का व्यय किया जायेगा।

100. राज्य में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण Early Childhood Care एवं Pre-School Education उपलब्ध कराने के लिए–

I. **'Rajasthan State Early Childhood Care, Development and Education Policy'** बनायी जायेगी।

II. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को Early Childhood Care and Education Course करवाया जायेगा।

III. **एक हजार** आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को **उत्कृष्ट कार्यकर्ता** के रूप में सम्मानित कर प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।

101. माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों की देखभाल एवं रखरखाव को जहाँ नजरअंदाज किया गया, वहीं हमारे द्वारा पहल की जाकर 11 हजार 924 **(ग्यारह हजार नौ सौ चौबीस)**

आंगनबाड़ियों में मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण सम्बन्धी कार्यों हेतु 246 करोड़ रुपये **(दो सौ छियालिस करोड़)** की लागत से मरम्मत कार्य करवाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष–

I. 7 हजार 500 **(सात हजार पांच सौ)** आंगनबाड़ियों को **'नन्द घर'** के रूप में विकसित किये जाने के लिए 225 करोड़ **(दो सौ पच्चीस करोड़)** रुपये का व्यय किया जायेगा।

II. लगभग 3 हजार 800 **(तीन हजार आठ सौ)** आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य 80 करोड़ **(अस्सी करोड़)** रुपये से अधिक की लागत से करवाये जायेंगे।

III. विद्युत कनेक्शन से वंचित राजकीय भवनों में संचालित 17 हजार 95 **(सत्रह हजार पंचानवे)** आंगनबाड़ी केन्द्रों पर विद्युत Connections कराये जायेंगे।

102. प्रदेश में भरतपुर तथा कोटा में समेकित बाल विकास सेवायें तथा महिला अधिकारिता कार्यालयों के लिए **'महिला एवं बाल शक्ति संकुल'** बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

103. वर्तमान में Aspirational जिलों–करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित **किशोरी बालिका योजना** का विस्तार करते हुए राज्य के **समस्त 27 (सत्ताइस) Aspirational Blocks** में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार का लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। इससे योजनान्तर्गत 50 हजार **(पचास हजार)** से अधिक बालिकायें लाभान्वित होंगी।

104. प्रदेश में जरूरतमंद एवं असुरक्षित बच्चों की समुचित देखभाल व संरक्षण की दृष्टि से बाल देखरेख संस्थाओं, Observation Homes, Children Homes आदि की स्थापना एवं विकास के कार्य लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से किये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	**Observation Homes, Children Homes** आदि कार्य
1.	40 बाल देखरेख संस्थाओं के भवनों के जीर्णोद्धार एवं बुनियादी सुविधाओं के कार्य करवाये जायेंगे।
2.	नवगठित जिलों में बालकों के लिए 25—25 क्षमता के बाल गृह तथा बाल अपचारियों के लिए 50—50 क्षमता के Observation Homes स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 27 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
3.	बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जोधपुर, कोटा, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर एवं उदयपुर में Children Homes के लिए भवन उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस हेतु लगभग 19 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
4.	30 बाल कल्याण समिति एवं 29 किशोर न्याय बोर्ड के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।

105. राजकीय बौद्धिक दिव्यांग पुनर्वास गृह, जामडोली—जयपुर में बालक व बालिका विंग की क्षमता 125 से बढ़ाकर 250 की जायेगी।

106. जहाजपुर—भीलवाड़ा में अम्बेडकर बालक छात्रावास, जैतारण—ब्यावर में सावित्री बाई फूले बालिका छात्रावास, भिनाय—अजमेर में **देवनारायण बालक आवासीय विद्यालय**, लवाण—दौसा में **देवनारायण बालक छात्रावास** तथा ठंडी बेरी (पिण्डवाड़ा)—सिरोही में **जनजाति बालिका छात्रावास** खोले जायेंगे। साथ ही, देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय—कोलर (शिवगंज)—सिरोही में विज्ञान संकाय शुरू किया जायेगा।

107. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 42 **(बयालीस)** आवासीय विद्यालयों के 15 हजार **(पन्द्रह हजार)** विद्यार्थियों

को बेहतर Learning Outcome तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारी के उद्देश्य से IIT, दिल्ली के सहयोग से AI आधारित **24×7 Live Academic Mentoring** की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

108. पालनहार योजना से लाभान्वित बच्चों को उच्चतर शिक्षा एवं Employment Oriented प्रशिक्षण के लिए उनकी रूचि अनुसार विकल्प प्रदान करते हुए Industry Linked Employment अवसर उपलब्ध कराने के लिए online platform विकसित किया जायेगा।

109. प्रदेश के बारां जिले में निवासरत सहरिया व खैरवा तथा उदयपुर जिले के कथौड़ी जनजाति परिवारों को प्रतिमाह घी, तेल एवं दाल वितरण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए योजना में पात्र परिवारों की महिला मुखिया को **एक हजार 200 (एक हजार दो सौ) रुपये प्रतिमाह DBT** किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस हेतु 55 करोड़ **(पचपन करोड़)** रुपये का व्यय कर लगभग 38 हजार **(अड़तीस हजार)** परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

110. प्रदेश के जनजातीय युवकों को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आंवला, शहद, इमली, महुआ आदि के उत्पादों की Processing हेतु बांसवाड़ा व उदयपुर जिला मुख्यालयों पर **Minor Forest Produce Processing Centres** स्थापित किये जायेंगे।

111. श्रमिकों के कल्याण एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि हेतु **श्रम–सेतु Mobile App** शुरू किया जायेगा। इसके माध्यम से श्रमिक पंजीकरण, पहचान–पत्र, रोजगार की माँग एवं आपूर्ति हेतु **डिजिटल लेबर चौक**, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी तथा BOCW Cess के online assessment एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

छठा स्तम्भ : पर्यटन, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर

राजस्थान देशी एवं विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रणी पसंद है। पर्यटन विकास को गति देने के लिए हमारे द्वारा **पर्यटन नीति, 2025** लागू की गयी है। इसके साथ ही प्रदेश को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय फिल्म निर्माण का केन्द्र बिन्दु बनाने की दिशा में **फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, 2025** भी लागू की गयी है। '**विकास भी, विरासत भी**' की सोच के साथ राज्य को पर्यटन प्रदेश के रूप में स्थापित करने तथा पर्यटकों के लिए सुविधायें विकसित किये जाने के लिए 5 हजार करोड़ **(पांच हजार करोड़)** रुपये से अधिक के कार्यों के लिए Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund (RTICF) का गठन भी किया गया है।

''संस्कृति हमारी पहचान है, विकास हमारी उड़ान।
दोनों को साथ लेकर, आगे बढ़ रहा है राजस्थान।।''

112. इसी भावना के साथ राजस्थान को वर्ष 2047 तक एक ग्रामीण, वैश्विक व Eco-tourism तथा सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के लिए प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं के साथ–साथ हैरिटेज संरक्षण व धार्मिक पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	पर्यटन सुविधायें एवं हैरिटेज संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्य
1.	पर्यटन तथा धार्मिक आस्था की दृष्टि से तनोट–जैसलमेर के समग्र विकास के लिए **Comprehensive Plan** बनाया जायेगा।
2.	हैरिटेज शहरों यथा–पुष्कर, खाटूश्यामजी, नाथद्वारा, केशोरायपाटन, डीग तथा चित्तौड़गढ़ में **Heritage Walk-Way** का 30 करोड़ रुपये व्यय कर निर्माण करवाया जायेगा।

3.	जयपुर स्थित आमेर किले एवं सम्पूर्ण आमेर कस्बे में विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधायें यथा–Digital Museum, Signages, Lights, Parking आदि के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
4.	गढ़ पैलेस–**झालावाड़**; मंदिर समूह किराडू–**बाड़मेर**; सरवाड़ किला–**अजमेर** तथा सुनहरी कोठी–**टोंक** में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के कार्य 18 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
5.	(a) दौसा जिले के बांदीकुई में **संत श्री दुर्बलनाथ जी का पेनोरमा**, सिवाना–बालोतरा में **वीर दुर्गादास पेनोरमा** तथा सलूम्बर में **हाड़ी रानी पेनोरमा** का निर्माण किया जायेगा। (b) **वीर तेजाजी पेनोरमा**, खरनाल–नागौर में विकास कार्य करवाये जायेंगे। (c) एमडीएस विश्वविद्यालय–अजमेर में **महर्षि दयानन्द सरस्वती के पेनोरमा** का निर्माण किया जायेगा।
6.	पर्यटन की दृष्टि से राजसमंद में अन्नपूर्णा माताजी मंदिर से दयाशाह किला तक रोप–वे निर्माण तथा मुखर्जी चौराहे से इरिगेशन पाल होते हुए द्वारिकाधीश मंदिर (लाल बंगला) तक एलिवेटेड/रिंग रोड, पार्किंग आदि के निर्माण हेतु Feasibility Study करवायी जायेगी। साथ ही, बाकी माता, रायसर (जमवारामगढ़)–जयपुर के प्राचीन मंदिर में रोप–वे का निर्माण किया जायेगा।
7.	**मंदिरों के विकास कार्य–** प्राचीन फूलदेवरा महादेव मंदिर (अटरू)–**बारां**, नईनाथ शिव जी का मंदिर, नईनाथ धाम (जमवारामगढ़)–**जयपुर**, चांमड माता मंदिर–पैगोर (कुम्हेर)–**डीग**, कदमखंडी धाम, एंचेरा (नदबई)–**भरतपुर**, श्री कार्योवर्णेश्वर महादेव मंदिर व श्री झरनेश्वर महादेव मंदिर–क्यासरा (झालरापाटन)–**झालावाड़**, कुलोद माता मंदिर–**झुंझुनूं**, माँ उष्ट्रवाहिनी माता मंदिर–**जोधपुर**, घाटेश्वर महादेव मंदिर–घाटवा (नावां)–**डीडवाना कुचामन**, श्री करूणामूर्ति धाम–भादवासी (सुमेरपुर)–**पाली**, मकरमण्डी माताजी मंदिर (जैतारण)–**ब्यावर**, पलासिया धाम (खण्डेला)–**सीकर** के विकास कार्य लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
8.	जवाहर कला केन्द्र–जयपुर में शिल्पग्राम का 15 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्माण करवाया जायेगा।
9.	जयपुर में राजस्थान मंडपम के साथ–साथ एक विश्वस्तरीय Exhibition Space का निर्माण भी कराया जायेगा।

10.	राजस्थान राज्य अभिलेखागार, उदयपुर के नवीन भवन का निर्माण किया जायेगा।
11.	तारागढ़–अजमेर, पोकरण–जैसलमेर व भड़केश्वर (गढ़ी)–बांसवाड़ा में पर्यटन सम्बन्धी सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
12.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक धानक्या–जयपुर के सुदृढ़ीकरण के कार्य करवाये जायेंगे।

113. प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को धरातल पर लाने की दृष्टि से High Impact Last Mile Infrastructure का निर्माण करते हुए पर्यटकों के on ground tourist experience को चिरस्थायी व यादगार बनाये जाने की कड़ी में–

I. पर्यटन एवं Hospitality की दृष्टि से खुड़ी–जैसलमेर में ultra luxury **Special Tourism Zone (STZ)** विकसित किया जायेगा। साथ ही, कुलधरा में **पर्यटक सुविधा केन्द्र** विकसित किया जायेगा।

II. पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पुष्कर, खाटूश्यामजी, देशनोक, पोकरण, डिग्गी एवं मण्डावा नगरीय निकायों में मुख्य प्रवेश मार्ग को Model Road के रूप में विकसित किये जाने एवं सौन्दर्यीकरण के लिए **30 करोड़ (तीस करोड़)** रुपये व्यय किये जायेंगे।

114. भरतपुर में अत्याधुनिक **ब्रज कन्वेंशन सेंटर** का निर्माण 100 करोड़ रुपये की लागत से किया जायेगा।

115. प्रदेश की बावड़ियां हमारे प्राचीन जल संरक्षण परम्परा का प्रतीक हैं। इनको भावी पीढ़ियों के लिए सहेजना हमारा दायित्व है। इस दृष्टि से राज्य की चिन्हित बावड़ियों के जीर्णोद्धार सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

116. राजस्थान की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक समृद्धि का चित्रण करने वाली शेखावाटी क्षेत्र की भित्ति चित्र युक्त हवेलियां हमारी अमूल्य धरोहर हैं। इनके संरक्षण एवं विकास के लिए–

I. **शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना** के अन्तर्गत झुंझुनूं, चूरू एवं सीकर में 660 **(छह सौ साठ)** से अधिक चिन्हित हवेलियों के Facade Improvement के साथ–साथ Heritage Street Furniture व साफ–सफाई सम्बन्धी सुविधायें विकसित की जायेंगी। साथ ही, हवेली को पर्यटन इकाई के रूप में परिवर्तित करने वाले हवेली स्वामी को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। इसके लिए आगामी 2 वर्षों में 200 करोड़ **(दो सौ करोड़)** रुपये का व्यय किया जायेगा।

II. शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दृष्टि से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित कराने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

117. पश्चिमी राजस्थान की मरूस्थलीय संस्कृति, विरासत, जीवनशैली, लोक कला की विशिष्ट पहचान को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर को शामिल करते हुए '**थार सांस्कृतिक सर्किट**' बनाये जाने की घोषणा करती हूँ।

118. वीरों की धरती राजस्थान के बहादुर सपूतों के देश की सुरक्षा में योगदान तथा उनकी वीरता और बलिदान को सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से झुंझुनूं में **War Museum** की स्थापना की जायेगी।

119. **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना** के अन्तर्गत आगामी वर्ष 6 हजार **(छह हजार)** वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ काठमांडू (नेपाल) तथा 50 हजार **(पचास हजार)** वरिष्ठजन को AC Train से विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवायी जानी प्रस्तावित है।

120. Rural Tourism को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटकों के लिए Home Stay चलाने वाले व्यक्तियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जायेगा एवं Hospitality Management में प्रशिक्षित किया जायेगा। साथ ही, इस हेतु चयनित गांवों में आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाये जायेंगे।

121. गैर, पद दंगल, भवाई, घूमर जैसे लोक नृत्य हमारे प्रदेश की अनुपम सांस्कृतिक विरासत हैं। इस विरासत को सहेजने और नई पीढ़ी को इन लोक नृत्यों से जोड़ने के लिए संभाग स्तर पर **'लोक नृत्य उत्सव'** आयोजित करवाये जायेंगे।

122. पर्यटकों की सुरक्षा व सहयोग हेतु पर्यटन सहायता बल (TAF) कैडर का सुदृढ़ीकरण करते हुए महिला सुरक्षाकर्मियों एवं Guides की भी नियुक्ति की जायेगी। इस हेतु 10 करोड़ **(दस करोड़)** रुपये का व्यय किया जायेगा।

123. हमारी सांझी सांस्कृतिक धरोहर–दीपावली, होली, शिवरात्रि, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा जैसे त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास एवं श्रद्धा से मनाये जाने के लिए मंदिरों में विशेष साज–सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किये जाने प्रस्तावित हैं। इस पर 13 करोड़ **(तेरह करोड़)** रुपये व्यय किये जायेंगे।

124. देवस्थान विभाग की धर्मशालाओं की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य करवाये जायेंगे। साथ ही, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए देवस्थान विभाग के अधीन रिक्त भूमि पर धर्मशालाओं के निर्माण एवं संचालन हेतु Build-Operate-Transfer (BOT) आधारित नवीन नीति बनायी जानी भी प्रस्तावित है।

125. राज्य में बेहतर Air connectivity उपलब्ध कराने के लिए सीकर–झुंझुनूं तथा भरतपुर–डीग क्षेत्र में नवीन Airports स्थापित किये जाने हेतु feasibility study करवायी जायेगी। साथ ही, सवाई माधोपुर एवं बांसवाड़ा में Flying Training Organisations (FTOs) स्थापित किये जायेंगे।

सातवाँ स्तम्भ : सुशासन एवं डिजिटल परिवर्तन

डिजिटल शासन, पारदर्शी प्रशासन :

देश में सुशासन की नींव मजबूत करने की प्रेरणा देने वाले हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री **श्री नरेन्द्र मोदी जी** ने कहा है कि–

''मैं मानता हूँ कि सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए और सरकार का दबाव भी नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो यह मानता हूँ कि लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो, यह सुनिश्चित करना भी सरकार का ही काम है।''

हमने भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं जन सहभागिता के आधार पर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने का प्रयास किया है। हमने विकसित राजस्थान के लिए AI आधारित जनसेवा सुधार, मजबूत नीतिगत ढांचा निर्माण, जागरूकता व Skill

Enhancement पर विशेष बल दिया है। इसके साथ ही, Paperless Governance एवं सशक्त साइबर सुरक्षा के माध्यम से Secured एवं Hassle Free Service Delivery सुनिश्चित की है। इससे हमारा प्रदेश डिजिटल शासन एवं पारदर्शी प्रशासन की ओर अग्रसर हुआ है।

126. प्रदेशवासियों को सेवाओं की सुलभ, त्वरित एवं प्रभावी पहुँच सुनिश्चित हो। इसके लिए **Next Generation Citizen Service Reforms** लाये जाने की घोषणा करती हूँ। इनके अन्तर्गत–

I. **'Once-Only Principle'** को लागू किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें विभाग आपस में डेटा साझा करेंगे। नागरिकों और उद्यमियों से कोई भी दस्तावेज केवल एक ही बार लिया जायेगा।

II. प्रदेशवासियों को पात्रतानुसार समस्त विभागों की लाभकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ मिल सके, इसके लिए जनाधार डेटा बेस को 360 Degree Approach पर, विभिन्न विभागों के मापदण्डों एवं Portals से जोड़ा जाकर पात्रता निर्धारण को बेहतर किया जायेगा।

III. समस्त नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से **स्मार्ट सेवा केन्द्र** स्थापित कर आमजन को जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र, Fire NOC एवं अन्य अनुज्ञा पत्रों सम्बन्धी सेवायें online व समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवायी जायेंगी।

IV. वर्तमान में प्रदेशवासियों को e-Mitra के माध्यम से 600 (छह सौ) से अधिक सेवायें उपलब्ध करवायी जा रही हैं। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में 100 (सौ) प्रमुख सेवाओं को **Whats App Platform** पर भी शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

V. साथ ही, मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लिए 25 हजार (पच्चीस हजार) युवाओं एवं महिलाओं को **'Mini e-Mitra'** के रूप में अधिकृत किया जायेगा।

127. Ease of Living की दृष्टि से राजकाज में अधिकतम e-Governance लागू करने तथा IT में निवेश को बढ़ाते हुए Digital Rajasthan के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए **नवीन IT Policy** लायी जानी प्रस्तावित है।

128. हमारे द्वारा सुशासन में सुगमता तथा नागरिक सेवाओं में सुधार के साथ प्रदेश को Digital Infrastructure, कौशल विकास व शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में AI के उपयोग में अग्रणी राज्य बनाये जाने के उद्देश्य से **AI-ML Policy** लागू की गयी है। इसी क्रम में स्वास्थ्य, उद्योग व पर्यावरण जैसे आमजन से जुड़े क्षेत्रों पर केन्द्रित AI के दो Centre of Excellence स्थापित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त AI Infrastructure, प्रशिक्षण, e-Governance, Accounting System सम्बन्धी विभिन्न कार्य किये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	कार्यों का विवरण
1.	AI Ecosystem को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु GPU स्थापित करते हुए High Powered Computing Infrastructure का निर्माण किया जायेगा, जिसे रियायती दर पर Startups को भी उपलब्ध करवाया जायेगा।
2.	आमजन AI का पूरा लाभ ले सके, इसके लिए नागरिकों को AI-Ready बनाने के लिए प्रथम चरण में दस हजार नागरिकों को RKCL के माध्यम से AI Skill Enhancement के लिए प्रशिक्षण दिया जायेगा।
3.	ITI Instructors व विज्ञान संकाय वाले राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों को भी AI Training दी जायेगी ताकि वे अध्ययनरत छात्रों को AI में प्रशिक्षित कर सकें।

	साथ ही, विभागाध्यक्ष एवं उच्च स्तर के अधिकारियों को आधुनिक AI Tools की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
4.	e-Governance और Digitalization को बढ़ावा देने, योजनाओं का पारदर्शिता से प्रभावी क्रियान्वयन, प्रबंधन, मॉनिटरिंग हेतु आगामी वर्ष समस्त ग्राम पंचायतों में वार्षिक कार्य योजना का निर्माण ई–प्लानिंग पोर्टल के माध्यम से करवाया जायेगा।
5.	प्रदेश के निकायों में वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ किये जाने के लिए IT आधारित Accounting System विकसित किया जायेगा।

129. डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु State Data Centre की विभिन्न सुविधाओं जैसे–Co-location, Cloud Storage, Backup, Cyber Security आदि सेवाओं को Startups, MSME एवं नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु **Digital Infrastructure Facilitation Policy** लायी जायेगी।

130. प्रदेश में आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में निर्णय क्षमता संवर्द्धन के लिए **Geo Spatial Policy** लायी जायेगी।

131. आज के परिवेश में नीति निर्माण में data की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए result oriented जनकल्याणकारी योजनाओं की संरचना व evidence based नीति निर्माण के लिए Dedicated Data and Policy Strategy Unit-**CM PRAMAN (Policy, Research and Analytics for Measurable Action and Nexus)** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

132. राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने का roadmap तैयार करने के लिए हमारे द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में **Rajasthan Institute for Transformation and Innovation (RITI)** का गठन किया गया है।

आगामी वर्ष, इसके सुदृढ़ीकरण व अन्य सुविधायें विकसित करने हेतु 10 करोड़ **(दस करोड़)** रुपये की राशि व्यय की जायेगी।

133. हमारे द्वारा Ease of Living तथा Ease of Doing Business की दृष्टि से दण्ड के स्थान पर न्याय एवं विश्वास आधारित Regulatory वातावरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास (उपबन्धों का संशोधन) अध्यादेश, 2025 **(दो हजार पच्चीस)** लाया गया है। इसी कड़ी में, सुशासन व जन सहभागिता में वृद्धि किये जाने के लिए Next Generation Reforms के रूप में **राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0** लाया जाना प्रस्तावित है।

134. प्रदेश में कृषि, औद्योगिक निरीक्षण, निगरानी, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में Drone के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **Drone Policy** बनायी जायेगी। साथ ही, बेहतर कार्ययोजना व प्रबंधन के लिए **State Drone Cell** का गठन कर AI/ML based Data Repository भी बनायी जायेगी।

135. विकसित राजस्थान @2047 **(दो हजार सैंतालीस)** के संकल्प के अनुरूप सरकारी स्वामित्व की बंजर, चरागाह, बीहड़, चरनोट, शामलात भूमियों का उपयोग सहित विवरण उपलब्ध हो सके, इस हेतु GIS आधारित Digital Records तैयार कर Real Time update करने के लिए '**मरूधरा राजभूमि Digital Atlas**' बनाया जाना प्रस्तावित है।

136. Ease of Doing Business की दृष्टि से सरकारी खरीद में पारदर्शिता एवं प्रतियोगिता सुनिश्चित किये जाने के साथ ही राजकोष के जनहित में सर्वोत्तम उपयोग के लिए–

I. आगामी वर्ष **Single Holistic Procurement Portal (SHPP)** शुरू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, competitive rates प्राप्त करने के लिए Reverse Auction का भी प्रावधान किया जायेगा।

II. सार्वजनिक कार्यों की तीव्र क्रियान्विति हेतु प्रदेश के उद्यमियों को राजकीय क्रय के work order के विरूद्ध working capital के लिए बैंकों/NBFC से उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की सुविधा दी जायेगी।

III. **'आत्मनिर्भर भारत'** की दिशा में कार्य करते हुए राज्य में किये जाने वाले public procurement में देश में निर्मित Goods and Services को प्राथमिकता दी जायेगी।

137. प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना व क्रमोन्नयन के साथ–साथ सुदृढ़ीकरण एवं आधारभूत सुविधायें विकसित किये जाने के लिए विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना/क्रमोन्नयन/ अन्य कार्य
1.	राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ करने एवं Stakeholders को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए NBCC pattern पर राजस्व मंडल–अजमेर के नवीन भवन का निर्माण 150 करोड़ रुपये की लागत से कराया जायेगा।
2.	केकड़ी–अजमेर, नदबई–भरतपुर, सांगानेर–जयपुर व रामगढ़–अलवर में मिनी सचिवालय का निर्माण करवाया जायेगा।
3.	राजस्थान विधानसभा–जयपुर में **Central Hall** निर्माण तथा फसाड प्रोजेक्शन की स्थापना 14 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।
4.	शासन सचिवालय, जयपुर के परिसर के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

5.	हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान–जयपुर में छात्रावास निर्माण हेतु 35 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
6.	ऊर्जा विभाग– **सहायक अभियंता (विद्युत)**–भूणाबाय (पुष्कर)–**अजमेर**, पालोदा (गढ़ी)–**बांसवाड़ा**, मेहाड़ा (खेतड़ी)–**झुंझुनूं**, सायरा (गोगुंदा)–**उदयपुर** **कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय में क्रमोन्नयन**–खेडी (जाजोद)–**सीकर**
7.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग– **सहायक अभियंता कार्यालय**–मुकुन्दगढ़ शहर (नवलगढ़)–झुंझुनूं, श्रीडूंगरगढ़–बीकानेर **कनिष्ठ अभियंता कार्यालय**–जैतारण–ब्यावर
8.	सार्वजनिक निर्माण विभाग– • सिवाना–बालोतरा में **अधिशाषी अभियंता कार्यालय** • डेह (जायल)–नागौर में **सहायक अभियंता कार्यालय**
9.	कृषि विभाग– **सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) कार्यालय**–बालोतरा, डीग, फलौदी, सेडवा–बाड़मेर, सांचौर–जालोर व महवा–दौसा **सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय**–गोठड़ा (नवलगढ़)–झुंझुनूं, बड़ी खाटू (जायल)–नागौर
10.	**सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (AC&EM) कार्यालय**–सुजानगढ़ व राजगढ़–**चूरू**
11.	समस्त जिला कलक्टर कार्यालयों, 323 उपखण्ड कार्यालयों एवं समस्त 425 तहसीलों में आगामी 3 वर्षों में नवीन फर्नीचर तथा कम्प्यूटर आदि उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रथम चरण में आगामी वर्ष, समस्त जिला कलक्टर कार्यालयों, 100 उपखण्ड तथा 100 तहसील कार्यालयों में नवीन फर्नीचर तथा कम्प्यूटर आदि उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
12.	सरदारशहर, तारानगर व सिद्धमुख में तहसील कार्यालय भवन निर्माण–चूरू

13.	विभिन्न उपखण्ड, तहसील व उपतहसील कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
14.	100 नगरीय निकायों में आधुनिक जन सुविधा केन्द्रों/नगर पालिका भवनों का निर्माण कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 400 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी। साथ ही, 'सी' एवं 'डी' श्रेणी की नगरपालिकाओं के भवन निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे।
15.	खान विभाग में 10 सहायक खनिज अभियंता कार्यालयों का खनिज अभियंता कार्यालयों में क्रमोन्नयन, 15 नवीन कार्यालयों की स्थापना तथा 137 नवीन पद सृजित किये जायेंगे।

138. प्रदेश में नवगठित आठ जिलों में मिनी सचिवालय एवं अन्य प्रमुख कार्यालयों से सम्बन्धित भवन निर्माण तथा 94 **(चौरानवे)** नवीन पंचायत समितियों तथा 3 हजार 467 **(तीन हजार चार सौ सड़सठ)** ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना सम्बन्धी विभिन्न विकास कार्य **3 हजार करोड़ (तीन हजार करोड़) रुपये** की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

139. वर्तमान में प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों यथा–डूंगरपुर, बांसवाड़ा सहित अन्य जिलों के राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम से शासित गांवों के किसानों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण आदि का लाभ नहीं मिल पाता है। बदली हुई आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के दृष्टिगत इस अधिनियम में संशोधन कर इन गांवों के किसानों को खातेदारी अधिकार के लाभ प्रदान किये जाने प्रस्तावित हैं।

140. आमजन और निवेशकों की सुविधा के लिए विभिन्न राजस्व नियमों का Consolidation एवं सरलीकरण किया जायेगा।

141. हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यह संकल्प लिया है कि विभिन्न सेवायें न सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी बल्कि प्रक्रियाओं का End-to-End Process Re-Design कर अनावश्यक स्तरों को हटाया जायेगा। साथ ही, निर्धारित समय सीमा में निर्णय न होने पर Deemed Approval की व्यवस्था को और आगे ले जाया जायेगा।

142. नागरिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा जनप्रतिनिधियों व कार्मिकों की सुविधा सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	जनकल्याण सम्बन्धी विभिन्न कार्य
1.	नगरीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण तथा सम्पत्ति, जल, सीवरेज व नगरीय परिसम्पत्तियों आदि की Digital Mapping, Data Analysis एवं निगरानी के लिए **Centralised GIS Lab** की स्थापना 10 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।
2.	राज्य स्तर से लेकर पंचायत समितियों तक निर्बाध संवाद तथा real time monitoring के लिए नवगठित पंचायत समितियों में VC Setups 14 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये जायेंगे।
3.	पंचायत से सम्बन्धित सेवायें उपलब्ध करवाये जाने हेतु e-Panchayat Portal के upgradation का कार्य भी किया जायेगा।
4.	पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा संधारित की जा रही परिसम्पत्तियों के रिकॉर्ड का digitization किया जाना प्रस्तावित है।
5.	प्रदेश में सरकारी गेहूँ के वितरण की व्यवस्था को पारदर्शी बनाये जाने के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहनों की GPS आधारित tracking की जायेगी।

143. प्रदेश में सड़क, जल संसाधन, पेयजल परियोजनाओं के साथ–साथ विभिन्न निकायों, कार्यालयों, विद्यालयों आदि में Civil Infrastructure के निर्माण व विस्तार सम्बन्धी कार्यों की समयबद्ध व निष्पक्ष गुणवत्ता जांच के लिए third party द्वारा संचालित **Centralised Quality Control Labs** स्थापित की जायेंगी।

144. Ease of Doing Business तथा प्रतिस्पर्धा, दक्षता एवं निवेश बढ़ाने के साथ–साथ रोजगार के नवीन अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से नियमों का सरलीकरण एवं rationalization किया जाना आवश्यक है। इसके लिए प्रदेश में **De-regulation and Business Reforms 2.0** लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, मुख्य सचिव कार्यालय में **De-regulation Cell** का गठन भी किया जायेगा।

145. उपनिवेशन तहसीलों में राजस्व तहसीलों के समान Structural एवं Functional सुधार करने तथा Land Record का Digitization किये जाने के उद्देश्य से उपनिवेशन विभाग का राजस्व विभाग में विलय किया जायेगा। साथ ही, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए स्थापित किये गये विभिन्न निकायों, उपक्रमों एवं अभिकरणों की 'Minimum Government, Maximum Governance' के सिद्धान्त के अनुरूप समीक्षा की जाकर इनके भविष्य के सम्बन्ध में उचित निर्णय लिया जाना भी प्रस्तावित है।

कानून व्यवस्था :

146. प्रदेशवासियों को अपराध मुक्त सुरक्षित वातावरण देना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है एवं हम राज्य में अपराधों की संख्या में कमी लाये हैं। साथ ही, हम आपराधिक प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान की कार्रवाई कर दुष्कर्म प्रकरणों के निस्तारण में औसत समय 106 (एक सौ छह) दिवस से घटाकर 56 (छप्पन) दिवस तथा पोक्सो प्रकरणों के निस्तारण का समय 102 (एक सौ दो) दिवस से कम कर 59 (उनसठ) दिवस तक ले आये हैं।

147. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार भ्रष्टाचार के विरूद्ध **Zero Tolerance Policy** के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध ACB की ट्रैप कार्यवाहियां सफल किये जाने तथा परिवादियों को पूर्ण सहयोग दिये जाने की दृष्टि से Revolving Fund की राशि को **4 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 7 करोड़ रुपये** किया जाना प्रस्तावित है।

148. आमजन को भय रहित सुरक्षित वातावरण मिल सके, इसके लिए पुलिस इकाइयों की स्थापना/क्रमोन्नयन के साथ–साथ आधारभूत संरचना सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	इकाइयों /कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन
1.	**नवीन पुलिस चौकी**–राजपुरिया–**प्रतापगढ़**, भनोखर (कठूमर), मालपुर (गोविन्दगढ़)–**अलवर**, कादेड़ा (चाकसू), बोबास (झोटवाड़ा), त्रिवेणी नगर (सांगानेर)–**जयपुर**, ल्हास (मनोहरथाना)–झालावाड़, सांजू (डेगाना)–**नागौर**, बरार (भीम)–**राजसमंद**, गैंता (पीपल्दा), कैथून खेड़ा–रसूलपुर तिराहे पर (लाडपुरा)–**कोटा**, पालरा औद्योगिक क्षेत्र (पुष्कर), माकड़वाली–**अजमेर**, आडसर (श्रीडूंगरगढ़)–**बीकानेर**, मांगता (गुढ़ामलानी), रामदेरिया–**बाड़मेर**, **पुलिस चौकी से पुलिस थाना**–तरनाऊ (जायल)–**नागौर**, गिलूण्ड–**राजसमंद**, मामेर (झाड़ोल), आयड़–**उदयपुर**, तिंवरी (औंसिया)–**जोधपुर**, बालाजी पुलिस चौकी (उदयपुरवाटी)–**झुंझुनूं** **नवीन पुलिस थाना**– रामपुरा डाबडी (आमेर)–**जयपुर** **नवीन वृत कार्यालय का सृजन**–अलवर दक्षिण–**अलवर**
2.	अभय कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सेन्टर में 3 माह के Video Data के संधारण, IT Infrastructure के विस्तार तथा AI based Video Analytics की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।
3.	नवगठित जिलों में अभय कमाण्ड सेन्टर की स्थापना एवं आधारभूत विकास हेतु 40 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

4.	नवगठित जिलों में SC/ST वृत्त कार्यालय तथा मानव तस्करी विरोधी (AHT) Units स्थापित की जायेगी।
5.	महिलाओं को अधिक सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किये जायेंगे।

149. आजकल 'Digital Arrest' की काफी घटनायें सामने आ रही हैं। आम नागरिकों को ऐसी घटनाओं से बचाने तथा प्रदेश में साइबर अपराधों पर नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए **Rajasthan Cyber Crime Control Centre (R4C)** की स्थापना की जायेगी। साथ ही, साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अन्य कार्य
1.	साइबर अपराधों के AI based Analysis की व्यवस्था के साथ ही Cyber Helpline-1930 के लिए Call Centre भी स्थापित किया जायेगा। इस हेतु कार्यालय भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
2.	वर्ष 2030 तक समस्त पुलिस जिलों में Cyber Police Stations स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। इस कड़ी में, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, कोटा ग्रामीण, जोधपुर आयुक्तालय में एक अतिरिक्त तथा जयपुर आयुक्तालय में दो अतिरिक्त Cyber पुलिस थाने खोले जायेंगे।
3.	SOG, Anti-Narcotics Task Force एवं Anti-Gangster Task Force के लिए कार्यालय एवं संसाधनों की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
4.	**Forensic Science Labs** के सुदृढ़ीकरण किये जाने की दृष्टि से उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर एवं कोटा स्थित Regional Forensic Science Labs में चरणबद्ध रूप से **Cyber Forensic Divisions** की स्थापना की जायेगी। आगामी वर्ष, जोधपुर, भरतपुर एवं कोटा में ये **Divisions** स्थापित की जायेंगी।

150. युवाओं को रोजगार देने के साथ–साथ उनकी community policing में सहभागिता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से **शहरी होमगार्ड Volunteers** की नफरी में 5 हजार की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है।

151. जोधपुर, जयपुर, अलवर एवं उदयपुर में नवीन केन्द्रीय कारागृह भवनों का चरणबद्ध रूप से निर्माण NBCC Pattern पर कराया जाना प्रस्तावित है। इन पर **एक हजार 200 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये** का व्यय किया जायेगा।

152. प्रदेश के कारागृहों के विस्तार एवं आधारभूत संरचना निर्माण के साथ–साथ कारागृहों में निरूद्ध बंदियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	कारागार बंदी सुधार/आधारभूत संरचना सुधार के कार्य
1.	बीकानेर, उदयपुर, अलवर के **केन्द्रीय कारागृहों**; जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर व जयपुर में **महिला बंदी सुधारगृहों** तथा बाड़मेर, सिरोही, चूरू, जालोर, नागौर, झालावाड़, बारां, बूंदी, दौसा, करौली, झुंझुनूं, सीकर व सवाई माधोपुर **जिला कारागृहों में आधुनिक मुलाकात कक्षों का निर्माण** करवाया जायेगा।
2.	कारागृहों में बंदियों को अपनी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को रखने के लिए सीकर, झुंझुनूं, दौसा, करौली, बीकानेर, चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, नागौर, टोंक, झालावाड़, बारां एवं बूंदी के जिला कारागृहों में Lockers का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।
3.	कारागृहों में अपराधियों की निगरानी हेतु राज्य के समस्त कारागृहों में चरणबद्ध रूप से CCTV कैमरे स्थापित किये जायेंगे। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में **एक हजार CCTV कैमरे** लगाये जाने प्रस्तावित हैं।
4.	कारागृहों में बंदियों के मानसिक तनाव को दूर करने हेतु Counselling/Therapy के कार्यक्रम आयोजित करवाये जाने भी प्रस्तावित हैं।
5.	प्रदेश में Ambulance सुविधा से वंचित 7 जिला कारागृहों में Ambulances उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित हैं।

153. प्रदेश में कानून के साथ–साथ न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न न्यायालय खोले /क्रमोन्नत किये जायेंगे। ये न्यायालय हैं–

क्र.सं.	न्यायालय
1.	**वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय–** धौरीमन्ना–**बाड़मेर**, नीमराणा–**कोटपूतली बहरोड़**, इटावा–**कोटा**, तारानगर–**चूरू**, खाटूश्याम–**सीकर**
2.	**अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश न्यायालय–** रूपवास–**भरतपुर**, जहाजपुर–**भीलवाड़ा**, किशनगंज–**बारां**
3.	**विशेष न्यायालय (एनडीपीएस)–बीकानेर**, निम्बाहेड़ा–**चित्तौड़गढ़**
4.	**विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) न्यायालय**–कुचामन सिटी–**डीडवाना कुचामन, पाली**
5.	**अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश का कैम्प कोर्ट**–शाहबाद–**बारां**
6.	**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय–** शेरगढ़–**जोधपुर**, सांगोद–**कोटा**
7.	विभिन्न न्यायालयों की आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्यों पर 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

154. आमजन को अपने घर से ही उपभोक्ता न्यायालय में उपस्थित होने के लिए राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में Video Conferencing की सुविधा प्रदान की जायेगी।

155. प्रदेश में किराये के भवनों में संचालित 15 (**पन्द्रह**) अभियोजन कार्यालयों के लिए भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

कार्मिक कल्याण :

प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा सुशासन देने में जनप्रतिनिधियों के साथ–साथ कार्मिकों की भी महती भूमिका है। हमारी सरकार कार्मिकों व पेंशनर्स के हितों के लिए भी संवेदनशील है।

156. प्रदेश के कर्मचारी संगठनों द्वारा पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान करने व वेतनमान में संशोधन सम्बन्धी विभिन्न मांगों का तुलनात्मक अध्ययन व विश्लेषण कर अनुशंषा किये जाने हेतु **उच्च स्तरीय समिति** का गठन किया जायेगा। यह समिति भविष्य में आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे राज्य में लागू करने के सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

157. प्रदेश में outcome based work culture को बढ़ावा देते हुए Smart, Responsive तथा Future Ready Governance को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य सेवा के अधिकारियों की क्षमता संवर्द्धन के लिए अन्तरराष्ट्रीय स्तर के training courses की सुविधा दी जायेगी। इससे अधिकारी कर्मयोगी की भावना से 'Rule based' से 'Role based' कार्यशैली की ओर अग्रसर होंगे।

158. राजकीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के कल्याण के साथ–साथ उन्हें विभिन्न सेवाओं, सुविधाओं का लाभ दिलाये जाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रावधान किये जाने प्रस्तावित हैं। ये प्रावधान हैं–

क्र.सं.	कर्मचारी कल्याण हेतु विभिन्न प्रावधान
1.	राजकीय विभागों में रिक्त पदों को शीघ्रता से भरने एवं प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को समुचित अवसर प्रदान करने की दृष्टि से किसी पद पर अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की कार्यग्रहण के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में सेवा के परित्याग/मृत्यु/पदच्युति होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध वर्गवार प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से चयन किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान किये जायेंगे।
2.	वर्तमान में महिला कर्मचारियों को एक कलेण्डर वर्ष में Child Care Leave अधिकतम तीन चरण में दिये जाने का प्रावधान है। एकल महिला कर्मचारी की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब उनके लिए यह अवकाश छः चरणों में स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

3.	Surrogacy से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारियों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से Surrogate Mother को 180 दिवस तथा Commissioning Mother को 90 दिवस का मातृत्व अवकाश दिया जायेगा।
4.	पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले विशेष योग्यजन बच्चों को राहत देते हुए प्रति तीन वर्ष में Permanent Disability प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की बाध्यता के स्थान पर सिर्फ एक बार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।
5.	पेंशनरों को नियमित पेंशन भुगतान हेतु नियमों में सरलीकरण करते हुए Mobile App द्वारा Face Authentication Technology के माध्यम से राज्य के पेंशनर द्वारा स्वयं के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
6.	मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पात्र आश्रितों की सूची में मृत सरकारी कर्मचारी की पुत्र वधू को भी शामिल किया जायेगा।
7.	वर्तमान में किसी राजकीय कर्मचारी के ड्यूटी पर रहते हुए दुर्घटना में Permanent Disability हो जाने पर उसके पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। अब राजकीय सेवा में रहते हुए कर्मचारी को ऐसी Disability कारित होने पर, जिसके कारण वह राज कार्य करने में सक्षम नहीं रहता है, तो भी उसके पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी।

159. राज्य सरकार तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के समग्र कल्याण हेतु **'Salary Account Package'** लाया जायेगा। इसके अन्तर्गत salary account के साथ advanced digital बैंकिंग सुविधायें, रियायती दर पर ऋण तथा बीमा इत्यादि सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेंगी। यह सुविधा 70 वर्ष तक की उम्र के पेंशनर्स को भी दी जायेगी।

160. राजकीय कार्यालयों में महिला कार्मिकों को तनावमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यालय समय में उनके 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से '**मुख्यमंत्री शिशु–वात्सल्य सदन**' खोले जायेंगे।

161. आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध लाभ दिलाने, स्थानीय समस्याओं के त्वरित निस्तारण तथा विकास को गति प्रदान करने के उद्‌देश्य से ग्रामीण एवं शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों और इनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों की सीमा में बढ़ोतरी की जानी प्रस्तावित है।

162. पंचायतीराज विभाग में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि एवं नवनियुक्त कार्मिक और अधिक दक्षता से कार्य कर सकें, इसके लिए **लगभग एक लाख 50 हजार (एक लाख पचास हजार) कार्मिकों व जनप्रतिनिधियों** को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

163. राज्य में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतीराज संस्थाओं को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की तर्ज पर **State Panchayat Awards** दिये जाने प्रस्तावित हैं।

आठवाँ स्तम्भ : कृषि विकास एवं किसानों का कल्याण

कृषि बजट :

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से अब मैं, सदन के समक्ष **कृषि बजट** प्रस्तुत कर रही हूँ।

जैसा सर्वविदित है कि शुरूआत से ही कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार रही है। **पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी** ने कहा था–''**सच्ची प्रगति ग्रामीण एवं कृषि आधार को सुदृढ़ करने में निहित है।**''

हमारी सरकार वर्ष 2047 (**दो हजार सैंतालीस**) तक राजस्थान को Technology Driven **अग्रणी कृषि शक्ति** बनाये जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कृषि विकास, कृषक कल्याण तथा अन्नदाता की आय में वृद्धि के उद्देश्य से हमारे द्वारा कृषि में आधुनिक तकनीकों के उपयोग, किसान भाइयों की क्षमता विकास, कृषि उत्पादों की Processing एवं Marketing सुदृढ़ करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। साथ ही, सिंचाई, पशुधन व डेयरी क्षेत्र को भी सशक्त किया जा रहा है।

सिंचाई :

164. सम्मानित सदन को विदित है कि सीकर, झुंझुनूं, चूरू एवं अन्य जिलों की पिछले 30 (तीस) वर्षों से लम्बित पेयजल एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की पहल एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से हमारी सरकार ने हरियाणा से MoU कर प्रदेश को अपने हिस्से का पानी दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है।

यमुना जल को हथिनीकुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक लाये जाने के लिए 32 हजार करोड़ (**बत्तीस हजार करोड़**) रुपये की लागत की इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किये जायेंगे।

165. वर्तमान में सकल बोये गये क्षेत्र का 24 (**चौबीस**) प्रतिशत भाग सूक्ष्म सिंचाई के अन्तर्गत है। विकसित राजस्थान की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए इसे वर्ष 2030 (**दो हजार तीस**) तक बढ़ाकर 51 (**इक्यावन**) प्रतिशत किये जाने हेतु आगामी वर्ष राज्य में लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किये जायेंगे। इस हेतु लगभग एक हजार 340 करोड़ (**एक हजार तीन सौ चालीस करोड़**) रुपये व्यय कर **3 लाख किसानों** को लाभान्वित किया जायेगा।

166. प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं से सम्बन्धी विभिन्न कार्य **11 हजार 300 करोड़ (ग्यारह हजार तीन सौ करोड़) रुपये** से अधिक की लागत से करवाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	सिंचाई सम्बन्धी विभिन्न कार्य	लागत
1.	मानसून अवधि में अनास नदी के व्यर्थ बहकर जा रहे अधिशेष जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर फीडर नहर के माध्यम से सोम कमला अम्बा तक अपवर्तन हेतु 5 हजार 900 करोड़ रुपये की परियोजना के कार्य तथा परियोजना का विस्तार करते हुए जालोर जिले में जल संचयन एवं भंडारण क्षमता व उपयोग की संभावना का अध्ययन तथा रिजर्वायर विकसित करने हेतु DPR। **लाभान्वित क्षेत्र**–बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली, जालोर इत्यादि। **आगामी वर्ष**–100 करोड़ रुपये का व्यय।	5 हजार 900 करोड़ रुपये

2.	**छोटी कालीसिंध व चाचूर्णी नदी पर मध्यम सिंचाई परियोजना—झालावाड़** के अन्तर्गत फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा विकसित करने के कार्य **परियोजना लागत**—एक हजार 622 करोड़ रुपये **लाभान्वित क्षेत्र**—चौमहला—गंगधार क्षेत्र के आसपास के लगभग 32 गांवों के 9 हजार 727 हेक्टेयर क्षेत्र **आगामी वर्ष**—50 करोड़ रुपये के कार्य।	1 हजार 622 करोड़ रुपये
3.	पंचायतीराज विभाग से जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित 3 हजार 236 छोटे बांधों/तालाबों का चरणबद्ध रूप से जीर्णोद्धार किये जाने के प्रथम चरण में 200 बांधों/तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य।	300 करोड़ रुपये
4.	मसूदा खरवा रोड स्थित छिपा पुलिया (मसूदा)—**ब्यावर**, सुरेड़ा (किशनकरेरी) डूंगला—**चित्तौड़गढ़**, पहाड़ी एनिकट—सिद्ध बाबा मंदिर (फालनहेरा), मनोहरपुरा, खेड़ला (महवा)—**दौसा**, बाबरा का नाका (दोवड़ा), धाम का तालाब (सीमलवाड़ा), बाबरा का नाका (चौरासी)—**डूंगरपुर**, पावटा एवं विराटनगर—**कोटपूतली बहरोड़**, पालियास, नवलियापग, थाना का मांड एवं धोली मगरी (भीम)—**राजसमंद**, हवना कुई (सरुपाल)—**उदयपुर**, हथौना द्वितीय (चेचट)—**कोटा** सहित विभिन्न **एनिकटों का निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार** कार्य	250 करोड़ रुपये
5.	अमरपुरा बांध की नहर अमरपुरा से डूंका तक कनबा (चौरासी)—**डूंगरपुर**, खेजड़ी बांध एवं पीपला बांध (चाकसू)—**जयपुर**, जवाई केनाल सिस्टम का रिपेयर कार्य (सुमेरपुर)—**पाली**, लूनेरी बांध (पिंडवाड़ा आबू)—**सिरोही** सहित विभिन्न बांधों एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य	125 करोड़ रुपये
6.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सागरमल गोपा शाखा की बुर्जी 47.650 पर बैलेंसिंग रिजर्वायर का निर्माण कार्य—**जैसलमेर**	270 करोड़ रुपये

7.	कंवरसेन लिफ्ट नहर पम्पिंग स्टेशनों को सुचारू एवं निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने हेतु डिजाइन एवं निर्माण कार्य—**श्रीगंगानगर, बीकानेर**	14 करोड़ रुपये
8.	पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार—**बीकानेर**	60 करोड़ रुपये
9.	कोलायत लिफ्ट नहर सिस्टम नहरों के पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं आधुनिकीकरण का कार्य—**बीकानेर**	50 करोड़ रुपये
10.	डीग—कुम्हेर में परिक्रमा मार्ग में पूँछरी का लौठा में स्थित नवल कुण्ड एवं अप्सरा कुण्ड के अधिशेष जल की निकासी हेतु नवल कुण्ड से गोवर्धन ड्रेन तक लिफ्ट का कार्य तथा जटेरी धाम में स्थित राधा प्रेम सरोवर व रसिक अनन्य सरोवर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य—**डीग**	8 करोड़ 78 लाख रुपये
11.	लोहागढ़ किले के चारों तरफ स्थित सुजान—गंगा नहर की outer wall का जीर्णोद्धार कार्य—**भरतपुर**	60 करोड़ रुपये
12.	जघीना, जिरौली, बराखुर, मडरपुर, पीरनगर, नगला केवल, गांवड़ी आदि गांवों की कृषि भूमि में जलभराव की समस्या के समाधान हेतु मेन ड्रेन तक नहर/ड्रेनों का निर्माण—**भरतपुर** **लाभान्वित क्षेत्र**—लगभग एक हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में कृषि कार्य।	50 करोड़ रुपये
13.	कुम्हेर, रारह व डीग के गांव तालफरा, अभोर्रा, अजान, पैंघोर, सूरौता, सुनारी, उवार, सोगर, कौंरेर, कासौट, बहज आदि गांवों की कृषि भूमि में जलभराव के समाधान हेतु नहर/ड्रेनों के निर्माण व लिफ्ट योजना के कार्य—**डीग**	48 करोड़ रुपये
14.	डीग—कुम्हेर में स्थित यमुना जल आधारित भरतपुर फीडर नहरी तंत्र की लखनका माइनर, अवार—सोगर माइनर, भरतपुर डिस्ट्रीब्यूटरी, सजोला माइनर और कुम्हेर माइनर/नहरों के जीर्णोद्धार के कार्य—**डीग**	45 करोड़ रुपये
15.	भरतपुर फीडर की भरतपुर डिस्ट्रीब्यूटरी का अजान कैनाल व मेनड्रेन तक विस्तार, कुम्हेर माइनर, दादूका माइनर को होम्स कैनाल से लिंक किये जाने सम्बन्धी प्रथम चरण के कार्य।	180 करोड़ रुपये

	लाभान्वित क्षेत्र–डीग–कुम्हेर की रारह व भरतपुर की भरतपुर तहसील में 9 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा।	
16.	गंभीर नदी पर पांचना बांध के डाउनस्ट्रीम में जल के समुचित उपयोग हेतु एनिकटों के निर्माण की डीपीआर–**भरतपुर**	1 करोड़ रुपये
17.	बंध बारैठा की भराव क्षमता एवं स्पिल–वे कैपिसिटी बढ़ाने सम्बन्धी कार्य–भरतपुर **लाभान्वित क्षेत्र**–बयाना–रूपवास के लिए सिंचाई सुविधा एवं भरतपुर शहर के लिए पेयजल आपूर्ति।	60 करोड़ रुपये
18.	जिला मुख्यालय पर स्थित रियासतकालीन जल महलों के पास स्थित तालाबों को भरने हेतु निर्मित डीग एस्केप के रेनोवेशन कार्य–**डीग**	20 करोड़ रुपये
19.	यमुना जल समझौते के अन्तर्गत ओखला बैराज से आवंटित जल को भरतपुर एवं डीग जिलों की 6 तहसीलों हेतु गुड़गांव कैनाल फीडर की 17.46 किमी. व गुड़गांव कैनाल की 16.15 किमी. नहर तथा भरतपुर फीडर की 14 किमी. लम्बाई में नहर सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य–**डीग, भरतपुर**	67 करोड़ 36 लाख रुपये
20.	मानसून अवधि में बांध के अपस्ट्रीम में बसे गाँवों में जल भराव की रोकथाम के लिए रामसागर बांध पर स्पिलवे गेट लगाने का कार्य–**धौलपुर** **लाभान्वित क्षेत्र**–बसेडी के सहेडी, कासोटी खेड़ा, महाराजपुरा, कल्याणपुरा, उमरेह, देवीसिंह पुरा, अमरूपुरा एवं चोखापुरा गांवों की लगभग 15 हजार जनसंख्या।	9 करोड़ 33 लाख रुपये
21.	ल्हासी बांध के डाउन स्ट्रीम में ल्हासी नदी से डिगोद खालसा एवं छीपाबड़ौद कस्बे में बाढ़ से निजात दिलाने का कार्य–**बारां**	80 करोड़ रुपये
22.	दीगोद जागीर तालाब, फूल तालाब–दान्त का पानी, काल्पा जागीर में फूट तालाब खुटिया खो (छीपाबड़ौद), खानाखेड़ी तालाब (छबड़ा)–**बारां**, तालाब की फैसवाल का कार्य, माण्डल–**भीलवाड़ा**, जाखमूण्ड तालाब (तालेड़ा) –**बूंदी**, बाबा	50 करोड़ 31 लाख रुपये

	धोकलनाथ आश्रम तालाब, धोकल नगर (मण्डावर) एवं बाबा दुर्बलनाथ आश्रम तालाब ग्राम कुतुबपुर (कोटकासिम)–**खैरथल–तिजारा**, किशनसागर तालाब–**झालावाड़**, आमदरी (काया)–**उदयपुर**, मोर तालाब, भासू, बम्ब तालाब (मालपुरा)–**टोंक**, जौहरा बाई तालाब, रावठा तालाब, हरिपुरा तालाब (लाडपुरा)–**कोटा में** तालाब निर्माण, मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के कार्य	
23.	काचरी, पचेल, देलाहेडी चक शाहबाद लिफ्ट नहर पर स्थापित पम्प हाउस की मरम्मत, नवीनीकरण व सोलर संयंत्रों की सुरक्षा हेतु चारदीवारी एवं तारबंदी का कार्य (अन्ता)–**बारां**	3 करोड़ 50 लाख रुपये
24.	मोहम्मदपुर–केथोड़ी माइक्रो इरिगेशन लिफ्ट परियोजना पर सोलर एनर्जी सिस्टम की स्थापना–**बारां**	11 करोड़ रुपये
25.	मदन सरोवर, धानवा बांध एवं नहरों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य (सरवाड़)–**अजमेर**	10 करोड़ रुपये
26.	हाथीपट्टा, रसूलपुरा, बरवाला, बाघसुरी तालाब; लक्ष्मीपुरा, कल्याणीपुरा, परमानन्द सागर, जसवंतपुरा, रामबाड़ी तालाब, छोटा एवं बड़ा तालाब–झडवासा, गोपाल सागर राजगढ़ के जीर्णोद्धार कार्य (नसीराबाद)–**अजमेर**	12 करोड़ 80 लाख रुपये
27.	सागरमति नदी में खानपुरा से गोविन्दगढ़ दौराई, डूमाडा व भावता होते हुए चैनेलाईजेशन, रिसेक्शनिंग एवं प्रोटेक्शन कार्य (पींसागन)–**अजमेर**	60 करोड़ रुपये
28.	देवसागर तालाब, बलवंता तालाब, मदारपुरा तालाब एवं फीडर तंत्र जादिया तालाब, दांता तालाब का जीर्णोद्धार कार्य–**अजमेर**	15 करोड़ रुपये
29.	आनासागर के मानसून अधिशेष पानी एवं एसटीपी के परिष्कृत पानी को फूलसागर कायड़ में अपवर्तन करते हुए रूपनगढ़ तक बाढ़ प्रोटेक्शन, ड्रेनेज कार्यों के साथ फूलसागर कायड़ से लगभग एक हजार 200 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा तथा औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कार्य–**अजमेर**	100 करोड़ रुपये

30.	पालरा, छातरी, नटूटी, पनेर एनिकट, पनेर, रूपनगढ़ एनिकट कम कॉजवे, संबंधित कार्य एवं दादू सागर, गऊसागर (नोसल), रूपसागर (नवां), गोपाल सागर (करकेड़ी), रसूलपुरा, माकडवाली, चाचियावास, अजमेर के तालाबों एवं जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार, ड्रेनेज सम्बन्धित कार्य—**अजमेर**	60 करोड़ रुपये
31.	रणसमंद नयागांव तालाब की नहरों का निर्माण कार्य, ब्राह्मणों का एनिकट का जीर्णोद्धार तथा जल संरचनाओं/तालाब /एनिकट/कॉजवे के जीर्णोद्धार कार्य (किशनगढ़, रूपनगढ़)—**अजमेर**	12 करोड़ 50 लाख रुपये
32.	देलवाड़ा, राजियावास, कालीकांकर (भैरूखेड़ा), शेरो का बाला, पिकअप वियर एण्ड फीडर, लोटियाना, लसानी, सोमडाई, गैमडाई, देवाता, अनाकर, सरवीना, रूपाणा, चितारा, सुरडिया, बायला, जालिया पीथावास (बडियाभाउ), कालाटोला बाघमाल, बारवास, लबूरी, रूपनगर (अरनाली), रीछवा (आसन), भडूका, बनजारी, जवाजा ब्लॉक के तालाबों की मरम्मत एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य—**ब्यावर**	35 करोड़ रुपये
33.	सूरवाल बांध के ओवरफ्लो पानी की सुरक्षित निकासी हेतु बनास नदी में डाइवर्ट करने के लिए सर्वे एवं DPR—**सवाई माधोपुर**	65 लाख रुपये
34.	मानसरोवर बांध के वेस्टवियर एवं डाउन स्ट्रीम प्रोटेक्शन की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य (खण्डार)—**सवाई माधोपुर**	8 करोड़ रुपये
35.	मोरेल बांध की मुख्य नहर प्रणाली की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य (बौंली, मलारना डूंगर)—**सवाई माधोपुर**	20 करोड़ रुपये
36.	बहतेड़ गांव के पास मोरेल नदी पर एनिकट निर्माण कार्य (मलारना डूंगर)—**सवाई माधोपुर**	20 करोड़ रुपये
37.	छापरवाड़ा बांध के ओवर फ्लो से निकलने वाले पानी को मासी नदी में डालने वाले नाले का चैनेलाइजेशन एवं छापरवाड़ा बांध के पुनरूद्धार का कार्य (दूदू)—**जयपुर**	16 करोड़ रुपये
38.	टोरडी सागर बांध एवं इसके नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य (मालपुरा)—**टोंक**	100 करोड़ रुपये

39.	सोंधवाड़ की 5 ग्राम पंचायतों में सिंचाई सुविधा हेतु 16 माइक्रो इरिगेशन टैंक एवं एक लिंक चैनल के निर्माण हेतु DPR (पिडावा)–**झालावाड़**	1 करोड़ 50 लाख रुपये
40.	सूरजकुण्ड एनिकट के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य (पिडावा)–**झालावाड़**	2 करोड़ रुपये
41.	चंवली बांध की बांयी मुख्य नहर रायपुर डिस्ट्रीब्यूटरी एवं सुवांस डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली माइनर्स कालीतलाई, रघुनाथपुरा, असोन्दिया, नन्दपुरा, सुवांस द्वितीय, बोरबंद, कल्याणपुरा की आर.डी. 0 से टेल तक तथा दांयी मुख्य नहर से निकलने वाली माइनर्स फतेहगढ़ खिजरपुर प्रथम एवं द्वितीय माइनर आर.डी. 0 से टेल तक मरम्मत कार्य–**झालावाड़**	16 करोड़ रुपये
42.	चन्द्रभागा नदी के जीर्णोद्धार फेज–2 का कार्य–**झालावाड़**	7 करोड़ रुपये
43.	चम्बल दांयी मुख्य नहर से पानी लेकर आलनिया बांध के सिंचाई से वंचित 36 गांवों की लगभग 2 हजार 716 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने हेतु दबावयुक्त सिंचाई प्रणाली विकसित कर सिंचाई सुविधा का कार्य–**कोटा**	100 करोड़ रुपये
44.	रामगंजमण्डी के सिंचित क्षेत्र में 5 हजार हेक्टेयर की वृद्धि करने हेतु डब्ल्यू.एच.एस. एवं वितरण तंत्र बनाने के लिए DPR का कार्य–**कोटा**	50 लाख रुपये
45.	दीगोद लिफ्ट की शेष वितरिकाओं के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य–**कोटा**	9 करोड़ रुपये
46.	सांगोद के भगदा खाल के लिए फ्लड डायवर्जन का कार्य–**कोटा**	25 करोड़ रुपये
47.	चेचट कस्बे में तकली नदी के किनारों का सुदृढ़ीकरण का कार्य, एनिकट, घाट एवं सीपेज के पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य–**कोटा**	12 करोड़ 50 लाख रुपये
48.	डोलिया लघु सिंचाई परियोजना की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का कार्य (लाडपुरा)–**कोटा**	3 करोड़ रुपये
49.	आलनिया बांध की बांयी मुख्य नहर मय सिस्टम का जीर्णोद्धार कार्य (लाडपुरा)–**कोटा**	6 करोड़ रुपये

50.	सीमलिया फ्लड डायवर्जन द्वितीय चरण का कार्य (दीगोद)–**कोटा**	18 करोड़ रुपये
51.	निमोदा गांव में फ्लड प्रोटेक्शन का कार्य (दीगोद)–**कोटा**	15 करोड़ रुपये
52.	दीगोद फ्लड डायवर्जन का कार्य (दीगोद)–**कोटा**	15 करोड़ रुपये
53.	कालीसिंध नदी के किनारे कैलाशपुरा गांव में सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य (सांगोद)–**कोटा**	20 करोड़ रुपये
54.	रेलगांव में नाले की चौड़ाई कर बाढ़ बचाव कार्य खण्ड सुल्तानपुर का कार्य (दीगोद)–**कोटा**	4 करोड़ रुपये
55.	सौर ऊर्जा आधारित चन्द्रावला माइक्रो सिंचाई परियोजना के निर्माण कार्य का द्वितीय चरण (दीगोद)–**कोटा**	15 करोड़ रुपये
56.	तीन धार महादेव, डोरा में कुण्ड वाले खाल, डोरा में श्मशान के पास, गुवार में महादेव मंदिर के पास, गाबली पुल व माताजी वाली पुल, लोईचा में सुई का नाका, अरणा माता मंदिर (कुरेल नदी), कंवरपुरा, श्योपुरिया, मराड़िया माताजी (मांगली नदी), किराड़ के बालाजी (कुरेन नदी), भंवरदा (मांगली नदी), डोरा में पुराने एनिकट, मांगली (मांगली नदी), गरडदा, मण्डावरा (मांगली नदी) में एनिकट निर्माण, जीर्णोद्धार, मरम्मत व क्षमता बढ़ाने का कार्य (तालेड़ा, रायथल, बूंदी)–**बूंदी**	60 करोड़ रुपये
57.	इन्द्रगढ़ में रिपेयर एवं रिनोवेशन ऑफ बाईवास व विंगवॉल ऑफ चाकन बांध का कार्य–**बूंदी**	2 करोड़ रुपये
58.	इन्द्रगढ़ में चाकन बांध की नहरों का जीर्णोद्धार का कार्य–**बूंदी**	16 करोड़ रुपये
59.	जोजरी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए STP /CETP के treated जल से सिंचाई एवं जोधपुर जिले की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए जल उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रथम चरण के कार्य–**जोधपुर**	50 करोड़ रुपये
60.	नेवटा बांध से जल निकासी एवं परिष्कृत जल की व्यवस्था करते हुए आस–पास के औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं के लिए जल अपवर्तन, नेवटा बांध की वर्तमान में सिंचाई एवं अन्य आवश्यकतानुसार भराव क्षमता की समीक्षा तथा रामचन्द्रपुरा बांध	50 करोड़ रुपये

	एवं बांध से निकलने वाली चन्दलाई फीडर का पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण के प्रथम चरण के कार्य (सांगानेर)—**जयपुर**	
61.	पांचना बांध एवं पांचना गुडला लिफ्ट स्कीम के समीप सिंचाई से वंचित सैंगरपुरा, गुर्जा, रांडोली एवं मठ राजस्व गांवों को लिफ्ट योजना प्रथम एवं पीपलपुरा, टिकैतपुरा, उचेकापुरा एवं टोका (खरेटा) राजस्व गांवों को लिफ्ट योजना द्वितीय से सिंचाई सुविधा कार्यों के साथ ही वर्षों से बंद पांचना गुडला लिफ्ट स्कीम के जीर्णोद्धार के कार्य—**करौली**	50 करोड़ रुपये
62.	राश्मी एवं माण्डल में स्थित मेजा फीडर नवीनीकरण का कार्य—**चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा**	74 करोड़ 11 लाख रुपये
63.	मातृकुण्डिया बांध के रिसाव एवं जल निकास प्रणाली के सुदृढ़ीकरण/नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य—**भीलवाड़ा**	18 करोड़ 89 लाख रुपये
64.	छोटी सरवन तहसील के नॉन—कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु DPR—**बांसवाड़ा**	1 करोड़ 11 लाख रुपये
65.	आम्बापुरा तहसील के नॉन कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की DPR—**बांसवाड़ा**	1 करोड़ 25 लाख रुपये
66.	बेणेश्वर धाम में संगम एवं अबूदरा घाटों का निर्माण एवं वर्ष पर्यन्त जल की उपलब्धता बनाये रखने हेतु बेणेश्वर एनिकट की रिमॉडलिंग के कार्य—**डूंगरपुर**	130 करोड़ रुपये
67.	मोरन नदी को पुनर्जीवित करने एवं मोरन नदी के दोनों तरफ घाट, विशाल कुण्ड तथा खडगदा गांव में रिवरफ्रन्ट हेतु प्रथम चरण के निर्माण कार्य—**डूंगरपुर**	100 करोड़ रुपये
68.	भाखड़ा नहर प्रणाली की सार्दुल ब्रांच की रिलाईनिंग का कार्य—**हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर**	225 करोड़ रुपये
69.	भाखड़ा नहर प्रणाली की करणी सिंह ब्रांच की रिलाईनिंग का कार्य—**हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर**	80 करोड़ रुपये
70.	गंग नहर परियोजना की LNP वितरिका के रिलाईनिंग का कार्य—**श्रीगंगानगर**	50 करोड़ रुपये

71.	नोहर वितरिका, जसाना मेजर, मलवानी माईनर–सब माईनर, बिरकाली, लालपुरा, करोति, ललाना, अप्पुवाला, चारण वाली, रायसिंहपुर, फेफाना माईनर की नहरों के रिलाईनिंग कार्य–**हनुमानगढ़**	75 करोड़ रुपये
72.	सिद्धमुख नोहर फीडर (हरियाणा भाग) की बुर्जी 0 से 160.4 तक एवं सिद्धमुख फीडर (हरियाणा भाग) 38 किमी. लम्बाई के जीर्णोद्धार हेतु DPR–**हनुमानगढ़**	2 करोड़ रुपये
73.	अतिरिक्त जल की उपलब्धता के लिए नर्मदा नहर परियोजना सांचौर में मानसून अवधि में जल संचयन एवं भंडारण क्षमता बढ़ाने एवं उपयोग की संभावना के अध्ययन तथा रिजर्वायर विकसित करने हेतु DPR–**जालोर, बाड़मेर** **लाभान्वित क्षेत्र**–सांचौर, गुढ़ामालानी व चौहटन	2 करोड़ रुपये
74.	राजसमंद बांध की नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य–**राजसमंद**	50 करोड़ रुपये
75.	बांध का जीर्णोद्धार एवं नहरों की मरम्मत व नवीन निर्माण कार्य आसींद–हुरड़ा (आसींद)–भीलवाड़ा	10 करोड़ रुपये
76.	तालाब जीर्णोद्धार एवं फेसवाल, गेट निर्माण, नहरों व पाल, पुलिया आदि विकास कार्य–धुंवाला (ग्राम दाता)–भीलवाड़ा	5 करोड़ रुपये
77.	नहरों का सुदृढ़ीकरण–गंगनहर से निकलने वाली हिरणांवाली वितरिका (आरडी 0 से टेल तक)–श्रीगंगानगर	6 करोड़ रुपये
78.	सिद्धमुख सिंचाई प्रणाली की रसलाना वितरिका नहर के बड़बिराना माइनर का मरम्मत कार्य (नोहर)–हनुमानगढ़	10 करोड़ रुपये
79.	फीडर की प्रोटेक्शन वॉल की ऊँचाई बढ़ाना, पुलिया निर्माण एवं डिसिल्टिंग कार्य–गुलर से नेवटा (सांगानेर)–जयपुर	26 करोड़ 2 लाख रुपये
80.	बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार–बावरला (आहोर)–जालोर	7 करोड़ रुपये
81.	जीवन्द कला नदी तट बंध मय सुरक्षा दीवार कार्य (रानी)–पाली	5 करोड़ 28 लाख रुपये
82.	गंगनहर परियोजना में सिंचाई खालों का निर्माण (श्रीकरणपुर) –श्रीगंगानगर	5 करोड़ रुपये

83.	बरसलपुर शाखा नहर प्रणाली की बुर्जी सं. 0 से 114 के 24 हजार 67 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों का जीर्णोद्धार कार्य—बीकानेर	108 करोड़ रुपये
84.	इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी 860 से 961 के बीच निकलने वाले सीधे माईनरऔर मोघों के 9 हजार 476 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों का जीर्णोद्धार कार्य—बीकानेर	48 करोड़ रुपये
85.	अन्तरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में सम्भावित सेम के खतरे से निपटने के लिए डीपीआर—श्रीगंगानगर	1 करोड़ रुपये
86.	चम्बल दांयी मुख्य नहर की आरडी 75.45 किमी. पर मोलकी पुलिया का रेस्टोरेशन का कार्य (सांगोद)—कोटा	5 करोड़ रुपये
87.	पीपल्दा, अन्ता में इटावा ब्रांच केनाल एवं इससे निकलने वाली नवलपुरा, शाहपुरा, जलोदा, कांकरा, मुंगैना, गैता, खातौली, नीमोला, छापौल एवं बरनाहाली वितरिकाओं की संरचनाओं के निर्माण का कार्य—कोटा	29 करोड़ रुपये
88.	गम्भीरी मध्यम सिंचाई परियोजना की बांयी मुख्य नहर की चेन संख्या 600 से टेल तक व माइनरों का पुनरूद्धार कार्य—चित्तौड़गढ़	25 करोड़ रुपये

167. टोंक जिले की बीसलपुर परियोजना की दायीं मुख्य नहर के 5 हजार हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा का कार्य लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से करवाया जायेगा। इससे लगभग 10 हजार 500 कृषक लाभान्वित होंगे।

168. राज्य में सौर पम्प संयंत्रों के प्रोत्साहन हेतु आगामी वर्ष 50 हजार (पचास हजार) सोलर पम्प संयंत्रों की स्थापना की जायेगी। इस पर **एक हजार 500 करोड़ (एक हजार पांच सौ करोड़) रुपये का व्यय** किया जायेगा।

कृषक कल्याण एवं कृषि विकास :

169. उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के समस्त श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि के पेटे बकाया किश्तों की राशि 1 अप्रेल, 2026 से 30 सितम्बर, 2026 तक एकमुश्त जमा कराये जाने पर ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

170. कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए किसान साथियों को विभिन्न कृषि यंत्रों यथा–Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper आदि हेतु 160 करोड़ **(एक सौ साठ करोड़)** रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 50 हजार **(पचास हजार)** कृषक लाभान्वित होंगे। साथ ही, आगामी वर्ष 500 **(पांच सौ)** Custom Hiring Centres की 96 करोड़ **(छियानवे करोड़)** रुपये की लागत से स्थापना की जायेगी।

171. राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा के कारण वर्षा जल का संग्रहण कर बिना छीजत के पानी का उपयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु आगामी वर्ष 8 हजार डिग्गियों व 15 हजार **(पन्द्रह हजार)** किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन सहित आगामी दो वर्षों में 36 हजार **(छत्तीस हजार)** Farm Ponds के लिए 585 करोड़ **(पांच सौ पचासी करोड़)** रुपये से अधिक का अनुदान दिया जायेगा। इससे 80 हजार **(अस्सी हजार)** से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

172. नीलगाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए आगामी वर्ष 50 हजार किसानों को 20 हजार **(बीस हजार)** किलोमीटर तारबंदी हेतु 228 करोड़ **(दो सौ अट्ठाइस करोड़)** रुपये का अनुदान दिया जायेगा। साथ ही, सामुदायिक तारबंदी में कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 किया जाना प्रस्तावित है।

173. प्रदेश में कृषि विकास के लिए उन्नत बीज, भूमि सुधार, Bio-Agents एवं Minor Millets को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	**उन्नत बीज, भूमि सुधार, Bio-Agents एवं Minor Millets सम्बन्धी कार्य**
1.	आगामी वर्ष 5 लाख कृषकों को **मूंग**, एक लाख कृषकों को **मोठ** तथा एक लाख कृषकों को **ज्वार, बाजरा व बरसीम फसल के मिनिकिट** का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 33 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।
2.	गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उत्पादन हेतु **मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना** अन्तर्गत 90 प्रतिशत अनुदान पर 70 हजार क्विंटल बीज उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस योजनान्तर्गत 50 करोड़ रुपये का व्यय कर 3 लाख कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
3.	क्षारीय एवं लवणीय भूमि के सुधार तथा भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए 50 हजार ढैंचा बीज मिनिकिट का कृषकों को निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
4.	राज्य में हरे चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार कृषकों को **नेपियर घास** का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
5.	कृषि उत्पादों के गुणवत्ता संवर्द्धन में Bio-Agents की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इनका उत्पादन 100 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 200 मीट्रिक टन किया जाना प्रस्तावित है।
6.	Nano Urea एवं Nano DAP को बढ़ावा देने हेतु एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इनके छिड़काव के प्रदर्शनों के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
7.	Minor Millets की बढ़ती मांग तथा जनजाति क्षेत्रों के किसानों की आय में वृद्धि के लिए कांगनी, कोदो, सांवा, कुटकी, चीना, रागी आदि Minor Millets के 100 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रदर्शन आयोजित कर एक हजार कृषकों को लाभान्वित किया जायेगा।
8.	जलवायु परिवर्तन से कृषि भूमि के पोषक तत्वों पर होने वाले प्रभावों का आंकलन तथा मृदा उर्वरा शक्ति के प्रबन्धन के लिए आगामी वर्ष एक लाख 92 हजार मृदा नमूनों की जांच की जानी प्रस्तावित है।

174. दलहनी एवं तिलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता के लिए मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल एवं अरण्डी आदि फसलों के 70 हजार **(सत्तर हजार)** प्रदर्शनों का आयोजन किया जायेगा। साथ ही, 2 लाख 50 हजार **(दो लाख पचास हजार)** से अधिक किसानों को दलहनी एवं तिलहनी फसलों के अनुदानित प्रमाणित बीजों का वितरण कर लाभान्वित किया जायेगा। इन पर 135 करोड़ **(एक सौ पैंतीस करोड़)** रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

175. प्रत्येक ग्राम पंचायत में Vermi-compost इकाई स्थापित करने के संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से सर्वप्रथम 5 हजार से अधिक आबादी वाली 3 हजार 496 **(तीन हजार चार सौ छियानवे)** ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से Vermi-compost इकाइयाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष, प्रथम चरण में 2 हजार 98 **(दो हजार अट्ठानवे)** ग्राम पंचायतों में इस हेतु लगभग 270 करोड़ **(दो सौ सत्तर करोड़)** रुपये से अधिक का व्यय किया जायेगा।

176. आधुनिकतम तकनीकों तथा Digital Platform के आधार पर 'Ease of Doing Farming' एवं क्षमता विकास के लिए विभिन्न कदम उठाये जायेंगे। ये कदम हैं–

क्र.सं.	**Ease of Doing Farming** एवं क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य
1.	कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में AI/ML का वृहद स्तर पर उपयोग किये जाने व उत्पादकता वृद्धि के साथ–साथ कृषकों को data driven consultancy services, precision input management, crop planning support व market intelligence की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **Agri Stack PMU** का गठन किया जायेगा।
2.	Raj-Kisan Sathi Portal 3.0 पर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन से अनुदान तक की गतिविधियों के Online Modules का upgradation किया जायेगा।

3.	कृषकों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने, उनकी क्षमता वृद्धि करने के उद्देश्य से **Knowledge Enhancement Programme** के अन्तर्गत आगामी वर्ष 3 हजार 300 किसानों को राज्य से बाहर Exposure Visit करवायी जानी प्रस्तावित है।
4.	मधुमक्खी पालकों को वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन करने के साथ–साथ उच्च मूल्य वाले उत्पादों यथा–Royal Jelly, Comb Honey व मधुमक्खी पराग के उत्पादन की जानकारी देने के लिए एक हजार मधुमक्खी पालकों को Kit, Workshop व Exposure Visit की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

177. **डिजिटल कृषि मिशन** के अन्तर्गत कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली–**Raj-AIMS (Rajasthan Agriculture Information and Management System)** विकसित की जायेगी। इसके अन्तर्गत कृषि में AI/ML, GIS, Remote Sensing एवं Satellite imagery आदि तकनीकों द्वारा किसानों को जलवायु जोखिम से बचाव, मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य की निगरानी सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। इस हेतु 77 करोड़ (**सतहत्तर करोड़**) रुपये व्यय किये जायेंगे।

178. उन्नत तकनीक के Green house–Polyhouse/Shadenet, Low Tunnel, Plastic Mulch उपलब्ध करवाने के लिए आगामी वर्ष **4 हजार कृषकों** को 200 करोड़ (**दो सौ करोड़**) रुपये का अनुदान दिया जायेगा।

179. प्रदेश में उद्यानिकी विकास के लिए औषधीय पौधों व मसाला फसलों तथा फूल व सब्जी आदि की खेती संवर्द्धन हेतु विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	उद्यानिकी विकास/औषधीय/मसाला फसलों/ फूल व सब्जी खेती सम्बन्धी कार्य
1.	कृषि जोत भूमि के निरन्तर घटते जा रहे आकार को देखते हुए सब्जियों के गुणवत्तायुक्त उत्पादन वृद्धि के लिए **Vertical Support System** आधारित खेती हेतु **5 हजार कृषकों** को अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।

2.	उद्यानिकी उत्पादों की Shelf life बढ़ाने के लिए कृषकों को अनुदानित **500 Solar Crop Dryers** उपलब्ध करवाये जायेंगे।
3.	पश्चिमी राजस्थान में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने हेतु एक हजार कृषकों को ईसबगोल, अश्वगंधा, सफेद मूसली, एलोवेरा आदि औषधीय पौधों के उन्नत बीज व आदान उपलब्ध कराये जायेंगे।
4.	प्रदेश में जीरा, धनिया, सौंफ, मेथी आदि मसाला फसलों का 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार किये जाने हेतु अनुदान दिया जायेगा।
5.	फूलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु Loose Flower एवं Polyhouses में Dutch Rose की 500 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती के लिए कृषकों को अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा।
6.	राज्य में Agro Forestry के पौधे तैयार करने हेतु जोधपुर, पाली एवं कोटा में **Hi-tech Nurseries** की स्थापना की जायेगी।

180. प्रदेश में चूरू सहित खारे पानी की उपलब्धता वाले जिलों में झींगा पालकों को राहत देने के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जायेगी।

181. कृषि अनुसंधान, कृषि प्रसार शिक्षा तथा कृषि शिक्षण–प्रशिक्षण कार्यों को और अधिक गति दिये जाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में रिक्त पद चरणबद्ध रूप से भरे जाने प्रस्तावित हैं। आगामी वर्ष 443 **(चार सौ तैतालीस)** रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी।

कृषि विपणन एवं सहकारिता :

182. **ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण योजना** के अन्तर्गत मैं, आगामी वर्ष 35 लाख **(पैंतीस लाख)** से अधिक किसान साथियों को **25 हजार करोड़ (पच्चीस हजार करोड़) रुपये के ऋण** वितरित किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु **800 करोड़ (आठ सौ करोड़) रुपये ब्याज अनुदान** पर व्यय किये जायेंगे।

183. दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं Non-Farming Sectors हेतु 590 **करोड़ (पांच सौ नब्बे करोड़) रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान** दिया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 26 हजार (**छब्बीस हजार**) किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।

184. हमारे प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पाद अपने मूल स्थलों यथा—नागौरी अश्वगंधा, सोजती मेहंदी आदि के रूप में पहचाने जाते हैं। राज्य के और विशिष्ट Agro-Processed Products को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान तथा इनसे जुड़े कृषकों को बेहतर मूल्य दिलवाने की दृष्टि से **मिशन Raj GIFT (Geographical Indication For Transformation of Production and Livelihoods)** प्रारम्भ किया जायेगा।

185. प्रदेश में भण्डारण क्षमता वृद्धि, कृषि उत्पादों की Processing एवं Marketing, क्षमता विकास, मण्डी विकास तथा आधारभूत संरचना निर्माण सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	गोदाम निर्माण, क्षमता संवर्द्धन, मण्डी सम्बन्धी कार्य
1.	वर्ष 2047 तक 30 लाख मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए— (a) प्रदेश में 250 मीट्रिक टन एवं 500 मीट्रिक टन क्षमता के 50—50 गोदामों का निर्माण करवाया जायेगा। इस हेतु लगभग 20 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा। (b) गुराडिया माना, सरोद (डग) व लावासल (मनोहरथाना)—झालावाड़ सहित 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के जीर्ण—शीर्ण गोदाम मय चारदीवारी के पुनर्निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। (c) ठीकरिया चारणान—बूंदी व गैलानी, सालरिया (झालरापाटन), बडाय (खानपुर), पाडलिया, चाडा, सुनारी (डग)—झालावाड़ सहित 200 नवगठित गोदाम विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के

	गोदाम एवं कार्यालय भवन मय चारदीवारी निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
2.	प्याज की फसल को खराब होने से बचाने एवं मूल्य के उतार–चढ़ाव के नियंत्रण हेतु आगामी वर्ष तीन हजार किसानों को कम लागत की प्याज भण्डारण संरचनाओं (Storage Structure) के निर्माण के लिए लगभग 26 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा।
3.	प्रदेश में मसाला उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से आगामी वर्ष राष्ट्रीय स्तर के **Conclave on Spices** का आयोजन किया जायेगा।
4.	अलवर में **Centre of Excellence for Onion and Vegetables**, श्रीगंगानगर में **Centre of Excellence for Kinnow** तथा बांसवाड़ा में **Centre of Excellence for Mango** खोले जायेंगे।
5.	आमजन को जैविक कृषि उत्पाद उपलब्ध कराने की दृष्टि से जोधपुर, कोटा व उदयपुर में **Organic Food Market** की स्थापना की जायेगी।
6.	कृषि जिन्सों के Processing, व्यवसाय एवं निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रदेश के चयनित जिलों में 2 हजार कृषकों, Processors, व्यापारियों व निर्यातकों को प्रशिक्षण दिलवाया जायेगा।
7.	**नवीन कृषि उपज अनाज मण्डी**–बागीदौरा–बांसवाड़ा, सिकराय–दौसा, राजियासर स्टेशन (सूरतगढ़)–श्रीगंगानगर, **कृषि उपज अनाज मण्डी में आवश्यक विकास कार्य**–नदबई–भरतपुर, कोटपूतली–कोटपूतली बहरोड़, लोसल (धोद)–सीकर, राजलदेसर–चूरू **थोक सब्जी मण्डी**–नोखा–बीकानेर, **सब्जी मण्डी**–सवाई माधोपुर, बयाना–**भरतपुर** अनार मण्डी जीवाणा–जालोर में मूलभूत सुविधाओं का निर्माण कराया जायेगा। गौण मण्डी यार्ड, मूंडवा–नागौर में विशिष्ट पान–मैथी यार्ड तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास कार्य
8.	ग्रामीण हाट (झालरापाटन)–झालावाड़ हेतु 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

186. उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त Grocery एवं अन्य खाद्य उत्पाद उपलब्ध करवाये जाने के लिए नवगठित जिलों में जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, समस्त जिलों में नवीन उपहार विक्रय केन्द्र शुरू किये जायेंगे।

187. दूरदराज से कृषि उपज की बिक्री हेतु कृषि उपज मण्डियों में आने वाले किसानों को गर्मी एवं बरसात से बचाव के लिए Shed निर्माण सहित मण्डियों तक पहुंच मार्ग एवं यार्डों में अन्य आधारभूत कार्यों के लिए **350 करोड़ (तीन सौ पचास करोड़) रुपये** व्यय किये जायेंगे।

पशुपालन एवं डेयरी :

188. प्रदेश के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का समुचित लाभ मिल सके, इसके लिए पशुधन संख्या एवं निर्धारित दूरी जैसे मानकों के आधार पर आगामी दो वर्षों में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले व क्रमोन्नत किये जायेंगे। ये संस्थान हैं–

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्थान/सुविधायें
1.	न्यूनतम 3 हजार पशुधन वाली पशु चिकित्सा संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में से गहनौली (नदबई)–**भरतपुर**, धांधोला (जहाजपुर), बांगोलिया (रायपुर)–**भीलवाड़ा**, पावली (राशमी)–**चित्तौड़गढ़**, गढ़ोरा (सिकराय)–**दौसा**, रतनपुरा (संगरिया)–**हनुमानगढ़**, सामोर (आंधी)–**जयपुर**, आलवाड़ा (सायला)–**जालोर**, रेवासा दलेलपुरा (नावां)–**डीडवाना कुचामन**, संगतडा–**सलूम्बर**, 17 एमडी (घड़साना)–**श्रीगंगानगर** सहित 200 ग्राम पंचायतों में **पशु चिकित्सा उपकेन्द्र** खोले जायेंगे।
2.	ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 6 किमी. की परिधि में न्यूनतम 5 हजार पशुधन तथा 4 किमी. की परिधि में न्यूनतम 3 हजार पशुधन की अनिवार्यता को प्राथमिकता देते हुए चतरपुरा (बानसूर)–**कोटपूतली बहरोड़**, मालपुर (गोविन्दगढ़)–**अलवर**, लीडी (पीसांगन)–**अजमेर**, बामडला (सेड़वा)–**बाड़मेर**, नवलपुरा (लाखेरी)–**बूंदी**,

	कौरेर–**डीग**, घोटाद (सागवाड़ा)–**डूंगरपुर**, मांडियाई खुर्द (तिंवरी)–**जोधपुर**, कितलसर (डेगाना), हरसोलाव (मेड़तासिटी)–**नागौर**, डाबरकलां, सिरोही, टोडा का गोठडा, सावतगढ़ (देवली)–**टोंक**, तलावड़ा (खण्डार)–**सवाई माधोपुर**, गोमावाली (विजयनगर)– **श्रीगंगानगर**, खिवाड़ा (राणी)–**पाली** सहित 25 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को **पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत** किया जायेगा।
3.	ग्रामीण क्षेत्र में 6 किमी. की परिधि में न्यूनतम 5 हजार पशुधन तथा शहरी क्षेत्र में 4 किमी. की परिधि में न्यूनतम 2 हजार पशुधन की पात्रता रखने वाले उपरेड़ा (बनेड़ा)–**भीलवाड़ा**, बिलोठी (सेवर)–**भरतपुर**, थांवला, राजमहल, चांदली (देवली)–**टोंक**, बान्दनवाड़ा (भिनाय)–**अजमेर**, अजबपुरा (नारायणपुर), बुद्ध विहार–**अलवर**, द्वारापुरा (बांदीकुई)–**दौसा**, जखराना–**कोटपूतली बहरोड़**, कठोती (जायल)–**नागौर**, कोटडी सिमारला (श्रीमाधोपुर)–**सीकर**, भालेरी (तारानगर)–**चूरू**, नेवरी व इन्द्रपुरा (उदयपुरवाटी)–**झुंझुनूं** सहित 50 पशु चिकित्सालयों को **प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत** किया जायेगा।
4.	**प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन–** जमवारामगढ़–**जयपुर**, खेतड़ी–**झुंझुनूं**, **फलौदी** बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, झालरापाटन–**झालावाड़** के भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

189. प्रदेश में डेयरी एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा गठित Rajasthan Cooperative Dairy Infrastructure Development Fund की राशि **एक हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो हजार करोड़ रुपये** किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

190. सरस ब्राण्ड को गुणवत्तापूर्ण राष्ट्रीय डेयरी ब्राण्ड के रूप में स्थापित करने के लिए NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में सरस उत्पादों के Outlets खोले जायेंगे। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

191. दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ–साथ दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना** के अंतर्गत वर्तमान में 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है। आगामी वर्ष इस योजना में 700 करोड़ **(सात सौ करोड़)** रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इससे **लगभग 5 लाख पशुपालक** लाभान्वित होंगे।

192. विकसित राजस्थान @ 2047 **(दो हजार सैंतालीस)** के लिए प्रदेश में milk processing capacity 200 लाख **(दो सौ लाख)** लीटर प्रतिदिन तथा दूध और दुग्ध उत्पाद बिक्री केन्द्रों की संख्या एक लाख किये जाने का लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त दूध व milk products उपलब्ध कराने, milk plants की स्थापना, upgradation एवं विस्तार करने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	दुग्ध केन्द्र/संयंत्र की स्थापना/संवर्द्धन कार्य
1.	आगामी वर्ष, ग्रामीण क्षेत्र में **एक हजार नवीन दुग्ध संकलन केन्द्रों** की स्थापना की जायेगी।
2.	अलवर में 3 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता के Milk Processing Plant हेतु 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
3.	बारां तथा सिरोही में 50 हजार लीटर प्रतिदिन क्षमता के Milk Processing Plants हेतु 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
4.	जैसलमेर Milk Processing Plant का सुदृढ़ीकरण करते हुए क्षमता 30 हजार लीटर से बढ़ाकर 50 हजार लीटर प्रतिदिन की जायेगी। इस पर 25 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
5.	ग्रामीण क्षेत्र में दुग्ध व दुग्ध उत्पादों के विपणन के साथ–साथ रोजगार उपलब्ध कराये जाने के लिए **500 डेयरी बूथ** आवंटित किये जायेंगे।

193. **एक लाख पशुपालकों** को value added दुग्ध आधारित उत्पाद– शुद्ध घी, मावा, पनीर, मिठाई आदि तैयार किये जाने के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा।

194. प्रदेश में मुर्गीपालन तथा गो उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	मुर्गीपालन/गोशाला संवर्द्धन सम्बन्धी विभिन्न कार्य
1.	प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालोर, पाली आदि में Hatchery, Cold Storage एवं Processing Unit की सुविधायुक्त Back Yard Poultry के 35 Clusters महिला शक्ति पोल्ट्री समूह के माध्यम से स्थापित किये जायेंगे। इसके अन्तर्गत **प्रति Cluster 10 लाख रुपये का अनुदान** दिया जायेगा।
2.	उचित मूल्य पर मुर्गी दाना उपलब्ध करवाने के लिए **तबीजी–अजमेर में Poultry Feed Unit** स्थापित की जायेगी।
3.	गोशालाओं द्वारा उत्पादित गोकाष्ठ के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 100 गोशालाओं को रियायती दर पर गोकाष्ठ मशीनें उपलब्ध करवायी जायेंगी।
4.	गो उत्पादों को प्रोत्साहन देने व आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

नवाँ स्तम्भ : हरित विकास एवं पर्यावरणीय सततता

हरित बजट (**Green Budget**) :

मानानीय अध्यक्ष महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये Modified Budget में हमने सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया था। इसी कड़ी में जहाँ पिछले वर्ष राज्य के पहले हरित बजट (Green Budget) हेतु हमने 27 हजार 850 करोड़ (**सत्ताइस हजार आठ सौ पचास करोड़**) रुपये से अधिक का प्रावधान किया था, वहीं आगामी वर्ष के लिए 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 33 हजार 476 करोड़ (**तैंतीस हजार चार सौ छिहत्तर करोड़**) रुपये का प्रावधान किया है।

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता केन्या की **प्रसिद्ध** Environmentalist **Wangari Maathai** के शब्दों में–

"The environment and the economy are really both two sides of the same coin. If we cannot sustain the environment we cannot sustain ourselves."

अर्थात् **''पर्यावरण और अर्थव्यवस्था वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकते, तो हम स्वयं के अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते।''**

195. पर्यावरण एवं अर्थव्यवस्था के बीच सन्तुलन बना रहे, इसके लिए हम वर्ष 2047 तक राजस्थान को पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लायेंगे। इसके लिए हम वृक्षारोपण, वन एवं वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामूहिक भागीदारी एवं सतत भू उपयोग द्वारा जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण तथा जैव विविधता संरक्षण की दिशा में सुनियोजित कार्य कर रहे हैं।

196. हमारा वर्ष 2047 (**दो हजार सैंतालीस**) तक प्रदेश में Green Cover बढ़ाकर 20 (**बीस**) प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से प्रारम्भ किये गये **Mission 'हरियाळो–राजस्थान'** के अन्तर्गत हमारे द्वारा जन सहभागिता से लगभग 19 करोड़ (**उन्नीस करोड़**) पौधे लगाये जा चुके हैं। इस मिशन की सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष **10 करोड़ पौधारोपण** किया जाना प्रस्तावित है।

197. पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास की दृष्टि से–

I. राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर आगामी वर्ष उन्नत '**नमो नर्सरी**' की स्थापना की जायेगी। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से '**नमो वन**' विकसित किये जायेंगे।

II. अजमेर, ब्यावर, हनुमानगढ़, बीकानेर, दौसा, जयपुर सहित 16 (**सोलह**) जिलों में मॉडल उद्यान **'Oxyzones'** के रूप में विकसित किये जाने हेतु 32 करोड़ (**बत्तीस करोड़**) रुपये का व्यय किया जायेगा।

III. विकास एवं पर्यावरण के बीच सन्तुलन बनाये रखने के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए आवंटित भूमि का 10 प्रतिशत भाग वृक्षारोपण हेतु आरक्षित रखा जायेगा।

IV. चित्तौड़गढ़ में कुम्भा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किये जाने हेतु 31 करोड़ (**इकतीस करोड़**) रुपये का व्यय किया जायेगा।

198. वन्यजीव संरक्षण के साथ–साथ संरक्षित क्षेत्रों में Man-Animal Conflict पर विशेष ध्यान दिये जाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष **PRITHWI (Project for Resilient and Integrated Terrestial Habitats and Wildlife Valorization Initiative) परियोजना** प्रारम्भ किये जाने की मैं,

घोषणा करती हूँ। इस योजना के अन्तर्गत Prey-base Augmentation, Conflict Mitigation Infrastructure, बचाव एवं पुनर्वास सुविधायें, AI आधारित निगरानी, Eco-Tourism Circuit विकास आदि कार्यों हेतु **एक हजार 500 करोड़ (एक हजार पांच सौ करोड़) रुपये** की राशि व्यय की जायेगी।

199. ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दृष्टि से आगामी वर्ष सामुदायिक और व्यक्तिगत विकास यथा–पर्यावरण संरक्षण, वर्षा जल संरक्षण, चरागाह विकास आदि के कार्य **लगभग 5 हजार करोड़ रुपये की राशि** से करवाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

200. जल संग्रहण एवं संरक्षण के लिए संचालित **मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (MJSA) 2.0** के तृतीय चरण के तहत आगामी वर्ष लगभग 5 हजार गांवों में **2 हजार 500 करोड़ (दो हजार पांच सौ करोड़) रुपये** की लागत से Water Harvesting Structures के एक लाख 10 हजार कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

201. प्राचीन अरावली पर्वतमाला के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए हमारी सरकार संवेदनशील है। इसके लिए अरावली पर्वतमाला की करीब 4 हजार हेक्टेयर degraded भूमि के reclamation के लिए पक्की दीवार एवं जल संरचनाओं का निर्माण एवं स्थानीय प्रजातियों का बीजारोपण करवाया जायेगा। साथ ही, खान, पुलिस एवं वन विभाग के समन्वित प्रयासों से अवैध खनन पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इस पर 130 करोड़ **(एक सौ तीस करोड़)** रुपये का व्यय होगा।

202. प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि में वन भूमि का क्षेत्र आने पर Diversion हेतु वैकल्पिक भूमि उपलब्ध करवाने में सामान्य रूप से अधिक समय लगता है, जिससे परियोजनाओं की क्रियान्विति समय पर नहीं हो पाती। इसके समाधान के लिए वन भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए गैर–वन भूमि से **एक हजार हेक्टेयर का Land Bank** बनाया जाना प्रस्तावित है।

203. वन्यजीव, जैव–विविधता व Wetland संरक्षण के साथ–साथ आधारभूत संरचना/सुविधायें विकसित किये जाने की दृष्टि से विभिन्न प्रावधान/कार्य किये जायेंगे। ये प्रावधान/कार्य हैं–

क्र.सं.	वन्यजीव, जैव–विविधता संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान/कार्य
1.	प्रदेश में रणथम्भौर बाघ परियोजना द्वितीय–करौली, वन्यजीव अभयारण्य माउंट आबू–सिरोही एवं सुंधामाता संरक्षित क्षेत्र–जालोर में पाये जाने वाले Sloth Bear के संरक्षण हेतु 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
2.	पर्यटकों की सुविधा हेतु मुकुन्दरा हिल्स बाघ परियोजना के नौलाव (गागरोन) क्षेत्र–झालावाड़ में Safari Gate खोला जायेगा।
3.	धौलपुर–करौली बाघ परियोजना में Habitat Improvement, Grass Land, मृदा संरक्षण, हानिकारक वनस्पति के उन्मूलन, प्राकृतिक जल स्रोतों के संधारण आदि कार्य किये जायेंगे।
4.	वन्यजीवों के उपचार हेतु Wild Life Institute of India, देहरादून व Indian Veterinary Research Institute, बरेली जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों को knowledge partners बनाकर अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी तथा जयपुर में **Specialised Centres for Treatment of Wild Animals** खोले जायेंगे।
5.	केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान एवं सांभर झील में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इन पक्षियों की बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए भरतपुर, सांभर–जयपुर

	व मीठड़ी–कुचामन में **Specialised Centres for Treatment of Avian Diseases** स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।
6.	पर्यावरण सन्तुलन व Bio-diversity Conservation के उद्देश्य से आगामी वर्ष जयसमंद–**सलूम्बर**, केसरबाग–**धौलपुर**, तालछापर–**चूरू** व शेरगढ़–**बारां** वन्यजीव अभयारण्यों के Eco Sensitive Zones (ESZ) हेतु Zonal Master Plans तैयार किये जायेंगे।
7.	Wetlands Conservation व Management के उद्देश्य से आगामी वर्ष प्रथम चरण में मेनार–उदयपुर, खींचन–फलौदी, पुष्कर तालाब–बारां, बडबेला तालाब–झालावाड़ सहित 25 wetlands के लिए Integrated Management Plans बनाये जायेंगे।
8.	प्रतापगढ़ किला (थानागाजी)–अलवर, सीतामाता–प्रतापगढ़ व बरडोद महल (बहरोड़)–कोटपूतली बहरोड़ में Eco-Tourism स्थल विकसित किये जायेंगे। साथ ही, बावन मोड़ रेंज–अलवर में हनुमान वाटिका का निर्माण करवाया जायेगा।
9.	बनेड़ा (शाहपुरा)–भीलवाड़ा में **Eco-Park**, टोडारायसिंह–टोंक में **नेचर पार्क** स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, सांचौर–जालोर में वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर तथा शाहबाद (किशनगंज)–बारां में उपरेटी कन्जर्वेशन रिजर्व में ग्रासलैण्ड विकास कार्य करवाये जायेंगे।

204. वन संरक्षण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, वन्य क्षेत्रों में Mobility बढ़ाने तथा वन्यजीव Rescue प्रणाली के संवर्द्धन के लिए Rapid Mobility Teams के गठन के साथ ही 291 (दो सौ इक्यानवे) Wildlife Ambulances उपलब्ध करवायी जायेंगी। इस हेतु 25 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये का व्यय किया जायेगा।

205. फसलों को हानिकारक कीड़ों तथा बीमारियों से बचाने के लिए किसानों को जैविक तथा प्राकृतिक नियंत्रण की विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर–जयपुर में **Centre of Excellence for Natural Farming** की स्थापना की जायेगी।

206. Green Energy को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Bio Waste के पर्यावरण अनुकूल उपयोग के लिए नगर निगम जयपुर एवं जोधपुर में PPP Mode पर **Compressed Bio Gas Plants** की स्थापना की जायेगी।

207. पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण की रोकथाम हेतु Waste Disposal सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जाना प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण की रोकथाम हेतु विभिन्न कार्य
1.	जल एवं वायु प्रदूषण की बेहतर निगरानी हेतु पाली, जोधपुर, बालोतरा एवं भीलवाड़ा Clusters/ Industrial Area में 50 करोड़ रुपये की लागत से IoT based system विकसित किये जायेंगे। इससे उद्योगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किये जाने वाले Physical Inspection में कमी आयेगी।
2.	Air Quality Monitoring के लिए जोधपुर में भी Early Warning Systems स्थापित किये जायेंगे।
3.	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में Research and Development हेतु जयपुर में 'State of the Art' प्रयोगशाला स्थापित की जायेगी।
4.	प्रदेश में वर्ष 2047 तक 200 वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किये जाने की दिशा में NCR क्षेत्र में थानागाजी–**अलवर**; बहरोड़, नीमराणा–**कोटपूतली बहरोड़**; तिजारा–**खैरथल तिजारा** तथा बयाना–**भरतपुर** में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) आगामी 2 वर्षों में 20 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किये जायेंगे।
5.	ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से– (a) पर्यावरणीय डाटा को एकीकृत करने, नवाचार एवं अनुसंधान हेतु Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB) में **Research and Development Cell** स्थापित की जायेगी। (b) जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर एवं अजमेर में Noise Monitoring Stations स्थापित किये जायेंगे। साथ ही, इन शहरों में चिन्हित स्थलों पर Silent Zones घोषित किये जायेंगे। इस हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

6.	विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करने के दृष्टिगत प्रदेश के प्रत्येक जिले के चयनित विद्यालय में **Green School Programme** संचालित किया जायेगा।

208. पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से राज्य के समस्त जिलों में शवदाह के लिए Closed Combustion Cremation Furnace की स्थापना की जायेगी।

209. जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किया जाना आवश्यक है। इसके लिए किसानों को Change Agents के रूप में स्थापित करने के लिए Micro Irrigation, Agro-Forestry जैसी Good Agriculture Practices अपनाने के लिए प्रेरित किया जायेगा। इससे हुए सकारात्मक बदलाव के आधार पर किसानों को Carbon Credits दिलवाकर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में पहली बार **Carbon Credit Pilot Project** चलाया जायेगा।

210. पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत Reduce, Re-use and Recycle (RRR) के उद्‌देश्य से Pilot आधार पर 100 करोड़ रुपये लागत की सड़कों के निर्माण में आधुनिकतम तकनीकों–FDR (Full Depth Reclamation), Asphalt Recycling, Soil Stabilization आदि का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

211. जल संरक्षण तथा Treated Waste Water के re-use की दृष्टि से 29 (उनतीस) अमृत शहरों के एक–एक उद्यान में Waste Water Treatment Plant एवं Drip Irrigation System की स्थापना 30 करोड़ (तीस करोड़) रुपये की लागत से की जायेगी।

212. पर्यावरण संरक्षण, Public Health एवं सतत विकास के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर स्थित उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने तथा Industrial Waste Water के समुचित उपचार हेतु **Common Effluent Treatment Plants (CETPs)** का निर्माण Hybrid Annuity Model (HAM) पर किया जायेगा। इसके अन्तर्गत बालोतरा सहित अन्य स्थानों पर CETP निर्माण हेतु **एक हजार करोड़ रुपये** का व्यय किया जायेगा।

213. प्रदेश के विभिन्न शहरों/नगरीय निकायों में समुचित Waste Management एवं Disposal की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं–

क्र.सं.	**Waste Management एवं Disposal सम्बन्धी कार्य**
1.	नगरीय निकायों हेतु **Solid Waste Management Policy** बनायी जायेगी।
2.	भीलवाड़ा, भरतपुर, भिवाड़ी, सीकर व पाली की नगरीय निकायों में 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के Construction and Demolition Waste Plants की स्थापना 15 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।
3.	सेवापुरा–जयपुर में solid waste के निस्तारण हेतु 500 टन प्रतिदिन क्षमता के Integrated Processing Plant की स्थापना 125 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।
4.	राज्य के 5 लाख बीपीएल परिवारों को कचरे के पृथक्करण के लिए 2–2 कचरा पात्र उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर 10 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

दसवाँ स्तम्भ : 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी डबल इंजन की सरकार प्रदेश के चहुँमुखी विकास के साथ–साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कृत संकल्पित है। हमारा ध्येय है कि Strategic Financial Planning, Financial Stability व Citizen Centric सुशासन को सुदृढ़ करें, जिससे राजस्थान विकसित एवं आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो।

''रेत की धरती पर भी सपने हरे हो सकते हैं
सही नीति और नीयत से नतीजे सुनहरे हो सकते हैं।''

हमने विकसित राजस्थान @ 2047 (दो हजार सैंतालीस) के सपने को साकार करने के लिए Vision Document के अन्तर्गत कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, उद्योग आदि क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समग्र विकास का Road Map प्रस्तुत किया है। हमारे अन्नदाता की अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका है। हमने जहाँ एक ओर नवीनतम तकनीकों पर आधारित कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया है, वहीं दूसरी ओर किसान भाइयों के कल्याण के लिए इस बार के कृषि बजट प्रावधान में गत वर्ष की तुलना में 7.59 (सात दशमलव पांच नौ) प्रतिशत की वृद्धि भी की है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में पर्यटन, फिल्म प्रोत्साहन, AI/ML जैसी नीतियों के लागू होने से सर्विस सेक्टर को भी गति मिली है, जिसके फलस्वरूप सर्विस सेक्टर की वार्षिक वृद्धि दर वर्ष 2023–24 में 5.70 (पांच दशमलव सात शून्य) प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025–26 में 11.15 (ग्यारह दशमलव एक पांच) प्रतिशत हो गई है।

राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमारे द्वारा निवेश प्रोत्साहन (RIPS), निर्यात संवर्द्धन, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल एवं वस्त्र, MSME, उद्योग संवर्द्धन जैसी प्रगतिशील नीतियाँ लागू की गयी हैं। इससे

प्रदेश का Investment Climate बेहतर हुआ है, निवेशकों का राजस्थान की विकास यात्रा में विश्वास बढ़ा है व प्रदेश में निवेश को नई ऊँचाई मिली है।

हमारे इन प्रयासों से प्रदेश में निवेश, सुशासन व औद्योगिक विकास के लिए Friendly Eco-system स्थापित हुआ है। इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाते हुए, प्रगतिशील सोच के साथ हमारे द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे इस बजट से सभी Sectors में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, Multiplier Effect उत्पन्न होगा और अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी।

यहाँ मुझे देश के प्रसिद्ध कवि **श्री सोहन लाल द्विवेदी** की निरन्तर कर्म कर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली पंक्तियाँ याद आ रही हैं–

'चलो नई मिसाल हो,
जलो नई मशाल हो,
बढ़ो नया कमाल हो,
झुको नहीं, रूको नहीं,
बढ़े चलो, बढ़े चलो।'

इन पंक्तियों से प्रेरित होकर '**श्रमेव जयते**' को आत्मसात करते हुए आमजन के सहयोग एवं समर्थन के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की अगुवाई में 24×7 समर्पण भाव के साथ कार्य करते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2028–29 तक **350 बिलियन डॉलर (तीन सौ पचास बिलियन डॉलर)** से बढ़ाकर वर्ष 2047 **(दो हजार सैंतालीस)** तक **4.3 (चार दशमलव तीन) ट्रिलियन डॉलर** पहुँचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होंगे।

214. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं, कर–प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।

215. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का यह स्पष्ट Vision रहा है कि आर्थिक विकास को गति देते हुये आमजन, किसानों, श्रमिकों, युवाओं एवं उद्यमियों पर कर के भार को यथासम्भव न्यूनतम रखा जाये। '**कर में स्थिरता, प्रक्रिया में सरलता और प्रशासन में पारदर्शिता**' हमारी कर नीति का मूल आधार है।

"राजा प्रजा सुखे सुखम्, प्रजानाम् च हिते हितम्।"

अर्थात्–"**शासक का सुख प्रजा के सुख में है तथा हित भी प्रजा के हित में निहित है।**"

216. "**कम बोझ, अधिक भरोसा और तेज फैसले**" के सिद्धान्त पर हमारी डबल इंजन की सरकार Ease of Doing Business को सुदृढ़ करते हुये; निवेश, नवाचार और रोजगार को प्रोत्साहित कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लागू **Business Reforms Action Plan** के अन्तर्गत राजस्थान को उत्कृष्ट सुधारों के लिये देशभर में **Top Achiever** का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि हमारे द्वारा किये गये सुधारों एवं नीतिगत निर्णयों की सफलता का प्रमाण है।

वाणिज्यिक कर :

217. भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा लागू किये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को एकीकृत कर देश को One Nation-One Tax की दिशा में आगे बढ़ाया है। अब, जब GST को लागू हुए करीब एक दशक हो रहा है, देश **GST 2.0**

https://finance.rajasthan.gov.in

के चरण में प्रवेश कर चुका है–जहाँ फोकस केवल कर संग्रह पर नहीं बल्कि कर व्यवस्था के सरलीकरण, स्थिरता तथा **विश्वास और तकनीक आधारित प्रशासन** पर है।

218. GST 2.0 के अन्तर्गत दरों में किए गए बदलाव के परिणाम स्वरूप आवश्यक उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम होने और व्यापारियों की अनुपालन लागत घटने से कीमतों में कमी आई है और महंगाई पर नियंत्रण हुआ है।

219. GST Tax Payers की सुविधा के लिये अपीलीय प्राधिकारी के यहां ऑनलाइन सुनवाई का Module विकसित किया जायेगा; जिसमें प्रकरण की वर्तमान स्थिति, सुनवाई की आगामी तिथि आदि की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। साथ ही ये सूचनाएँ SMS के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकेंगी।

220. GST करदाताओं को न्यायिक प्रक्रिया में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से Registration संबंधी अपीलों को प्राथमिकता के आधार पर 60 दिन में निस्तारित किया जायेगा।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग :

माननीय अध्यक्ष महोदय,

221. भूमि और सम्पत्ति लेन–देन में पारदर्शिता राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश वातावरण दोनों के लिए आवश्यक है। राज्य सरकार ने ई–स्टाम्प एवं **Online/Anywhere Registration** के माध्यम से पंजीयन सेवाओं का सरलीकरण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर नागरिकों को बड़ी राहत दी है।

https://finance.rajasthan.gov.in

222. अब हमारी सरकार पंजीयन सेवाओं को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने हेतु **e-Registration** व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसके तहत पक्षकारों के e-verification, Slot Booking, Online Registration तथा Digitally Certified Copies प्राप्त करने की सुविधायें आमजन को घर बैठे ही उपलब्ध होंगी।

223. गत वर्ष हमने 50 उप–पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप–पंजीयक कार्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। अब मैं, 50 के स्थान पर सभी 106 पूर्णकालिक उप–पंजीयक कार्यालयों को मॉडल उप–पंजीयक कार्यालय के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

224. **MSME** उद्यमियों हेतु स्टाम्प ड्यूटी राहत को अब केवल बैंकों और कुछ ऋण दस्तावेजों तक सीमित न रखकर; सभी वित्तीय संस्थानों एवं सभी प्रकार के ऋणों तक विस्तारित करते हुये, स्टाम्प ड्यूटी की दर 0.125 प्रतिशत और अधिकतम 10 लाख रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।

225. आमजन और निवेशकों को राहत प्रदान करते हुये विभिन्न ऋण दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.5 प्रतिशत तथा अधिकतम एक लाख रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।

परिवहन विभाग :

226. 16.5 मैट्रिक टन से भारी माल–वाहक वाहनों पर देय Motor Vehicle Tax के प्रतिवर्ष भुगतान के साथ–साथ वाहन मालिकों को राहत

https://finance.rajasthan.gov.in

देते हुए एकबारीय भुगतान का भी विकल्प (Option) दिया जाना प्रस्तावित है।

227. वाहन–जनित वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों के तहत 6 वर्ष पुराने परिवहन और 15 वर्ष पुराने गैर–परिवहन वाहनों पर देय **Green Tax** की दरों को पुनरीक्षित किया जायेगा।

228. अन्य राज्यों से राजस्थान में स्थायी रूप से लाये गये गैर–परिवहन वाहनों के पंजीकरण पर Motor Vehicle Tax में देय अधिकतम 25 प्रतिशत छूट को बढ़ाते हुये 50 प्रतिशत तक किये जाने की घोषणा करती हूँ।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग :

229. खातेदारी भूमि तथा खनन पट्टों एवं क्वारी लाईसेंस के बीच स्थित क्रमशः 1.00 हैक्टेयर एवं 0.18 हैक्टेयर से कम सरकारी भूमि का खनन/क्वारी प्रयोजनों के लिये आवंटन किये जाने का प्रावधान नहीं होने से इनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब मैं, ऐसी भूमियों के सम्बन्ध में खनन/क्वारी प्रयोजनों हेतु आवंटन के प्रावधान किये जाने की घोषणा करती हूँ।

230. खनन पट्टा जारी होने के साथ ही खनन कार्य प्रारम्भ हो, ऐसी अभूतपूर्व व्यवस्था लागू करते हुये हमारी सरकार द्वारा विगत दो वर्षों में Major Minerals के 8 Blocks तथा Minor Minerals के 50 Plots की नीलामी Pre Embedded Clearance के साथ सफलतापूर्वक की गई। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुये आगामी वित्तीय वर्ष में Major Minerals के

https://finance.rajasthan.gov.in

10 Blocks तथा Minor Minerals के **100 Plots** की नीलामी **Pre Embedded Clearance** के साथ किये जाने की घोषणा करती हूँ।

231. प्राकृतिक स्रोतों के संरक्षण एवं बजरी पर निर्भरता कम करने हेतु लाई गई M-Sand Policy-2024 के अन्तर्गत राजकीय निर्माण कार्यों में M-Sand के न्यूनतम 25 प्रतिशत उपयोग को Applicable Codes and Standards की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये चरणबद्ध रूप से 50 प्रतिशत तक बढाया जाना प्रस्तावित है।

232. खातेदारी भूमि में खनन पट्टा आवंटन हेतु आवेदन के समय देय प्रीमियम राशि को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूँ।

233. अवैध खनन की रोकथाम तथा प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण के दृष्टिकोण से खनिज विभाग का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत खनिज अभियन्ताओं एवं भू–वैज्ञानिकों के 15 नये कार्यालय खोले जाने के साथ–साथ 10 AME कार्यालयों को ME कार्यालयों में क्रमोन्नत भी किया जायेगा।

234. भारत सरकार की Critical Mineral Strategy (2023–2047) तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप राज्य में Artificial Intelligence & Machine Learning तकनीक का उपयोग कर **Critical and Strategic Mineral Exploration** को बढ़ावा दिया जाएगा।

235. भारत सरकार के अनुरूप प्रदेश में भी पर्यावरण संतुलन के साथ सुरक्षित और वैज्ञानिक खनन कार्य को बढ़ावा देने के लिये **स्टार रेटिंग**

https://finance.rajasthan.gov.in

व्यवस्था लागू की जायेगी। इसके तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले खानधारकों को सम्मानित भी किया जायेगा।

236. राज्य में खनिज अन्वेषण को नई गति देने के लिये Base Metal, Limestone, Manganese & Iron जैसे खनिजों हेतु जियो फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य किया जायेगा तथा Geological Survey of India के सहयोग से ''**स्टेट ऑफ आर्ट–खनिज कोर लाइब्रेरी**'' की स्थापना की जायेगी।

237. वायु प्रदूषण को नियन्त्रित करने में EV तथा CNG वाहन प्रमुख विकल्प हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में **60 नये सीएनजी स्टेशन** तथा **250 EV चार्जिंग स्टेशन** स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

238. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में, वन्य जीव अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों के 10 किलोमीटर परिधि में, Eco Sensitive Zone Notification के अभाव में बन्द रहे खनन पट्टों एवं क्वारी लाइसेंसों की इस अवधि को **Deemed Non-Working Period** घोषित किया जाना प्रस्तावित है।

एमनेस्टी :

239. विगत दो वर्षों में लायी गई Amnesty योजनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में हम आमजन एवं निवेशकों को राहत देने के लिए VAT, कृषि विपणन, भूमि कर, परिवहन तथा खनन से सम्बन्धित Amnesty योजनाएं लायेंगे। ये योजनाएं हैं–

https://finance.rajasthan.gov.in

VAT एमनेस्टी	1 करोड़ रुपये तक के लम्बित VAT प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा बकाया मूल राशि का 50 प्रतिशत जमा कराये जाने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत् प्रतिशत छूट देते हुये प्रकरणों को निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।
कृषि विपणन एमनेस्टी	किसानों एवं मण्डी व्यापारियों की मण्डी शुल्क, कृषक कल्याण फीस आदि के पेटे दिनांक 31.12.2025 तक बकाया माँगें दिनांक 30.09.2026 तक जमा कराये जाने पर ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट दिये जाने की घोषणा करती हूँ।
भूमि कर एमनेस्टी	भूमि कर की बकाया मांग राशि की 25 प्रतिशत राशि दिनांक 30.09.2026 तक जमा कराने पर भूमि कर की शेष राशि के साथ–साथ ब्याज एवं शास्ति में शत् प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करती हूँ।
परिवहन एमनेस्टी	ट्रैक्टर किसान एवं आम आदमी की आजीविका का एक मुख्य साधन है। कृषि कार्यों में प्रयुक्त ट्रैक्टर्स के **Registration Renewal** से लम्बित मामलों में पेनल्टी राशि में छूट हेतु एमनेस्टी लाया जाना प्रस्तावित है।
खनन एमनेस्टी	खनन क्षेत्र को राहत देते हुये निरस्त एवं प्रभावी खनिज Concessions के साथ ही अप्रधान से प्रधान घोषित खनिजों के मामलों में प्रधान घोषित होने से पूर्व की बकाया राशि के सम्बन्ध में एमनेस्टी लाये जाने की घोषणा करती हूँ।

उद्योग एवं वाणिज्य :

माननीय अध्यक्ष महोदय,

240. राज्य सरकार कृषि को सुदृढ आधार बनाकर उद्योग एवं सेवा क्षेत्र को राज्य के विकास का प्रमुख इंजन बना रही है। वर्ष 2047 तक राज्य की GDP को **4.3 ट्रिलियन डॉलर** तक पहुँचाने के लिये हम संकल्पबद्ध हैं।

https://finance.rajasthan.gov.in

इसमें उद्योग एवं सेवाओं का योगदान GDP के 80 प्रतिशत से अधिक होना लक्षित है। इससे व्यापक रोजगार, सशक्त उद्यमिता तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समावेशी औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा।

241. निवेशकों और उद्योगों के लिये राज्य को Destination State के रूप में विकसित करने हेतु **Single Window 2.0 Platform** लागू किये जाने की घोषणा करती हूँ, इसके अंतर्गत ''**एक आवेदन और एक डिजिटल ट्रैक**'' के माध्यम से सभी विभागीय स्वीकृतियाँ प्रदान की जायेंगी।

242. विभिन्न विभागों में निरीक्षण एवं जाँच व्यवस्था को **Risk-Based** करते हुये कम जोखिम वाले मामलों में भौतिक निरीक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाएगा, जबकि उच्च जोखिम वाले मामलों में लक्षित कार्यवाही की जाएगी।

243. राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने हेतु IFMS तथा RIPS Portal का Integration कर RIPS के तहत निवेशकों को देय वित्तीय प्रोत्साहन की प्रक्रिया को **पूर्णतः डिजिटल** किये जाने की घोषणा करती हूँ।

244. राज्य के परम्परागत एवं श्रम प्रधान **टैक्सटाइल उद्योग** को नई ऊर्जा प्रदान करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु RIPS-2024 के तहत इस उद्योग को Capital Subsidy, TLI एवं SGST पुनर्भरण के साथ–साथ **Payroll Subsidy** के रूप में Asset Creation Incentive का एक अतिरिक्त विकल्प दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

https://finance.rajasthan.gov.in

245. RIPS-2024 के अन्तर्गत Interest Subvention का लाभ मैन्यूफैक्चरिंग के साथ–साथ सर्विस सेक्टर को भी दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

246. सर्विस और लॉजिस्टिक आधारित अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने हेतु **GCC** तथा **Warehouse & Logistics** सेक्टर्स को भी RIPS-2024 के अन्तर्गत Expansion के लाभ अनुमत किये जाने की घोषणा करती हूँ।

247. राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का Manufacturing Ecosystem विकसित किये जाने के उद्देश्य से **Integrated Solar Cell & Module** निर्माण इकाईयों को भी RIPS-2024 के तहत देय लाभों के लिये सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

248. Export Oriented Industrial Development को बढ़ावा देने हेतु **Container Manufacturing** को RIPS-2024 के अन्तर्गत Thrust Sector के रूप में सम्मिलित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

249. देश और राज्य में हरित रोजगार की अपार सम्भावनाओं को देखते हुये राज्य में **'Energy Transition Skilling Cluster'** विकसित किया जायेगा। इसके माध्यम से Renewable Energy, ई–व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन एवं ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में युवाओं को आधुनिक कौशल प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जायेगा।

250. राजस्थान ओडीओपी पॉलिसी–2024 के तहत **Expansion** हेतु ऋण लेने वाली इकाईयों को भी 10 प्रतिशत Margin Money Assistance दिया जाना प्रस्तावित है।

https://finance.rajasthan.gov.in

251. इन कर–प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन (Amendments) प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

252. इन प्रस्तुत कर–प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं।

https://finance.rajasthan.gov.in

अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2025—26 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2026—27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ :

253. वर्ष 2025—26 के **संशोधित अनुमानों** का विवरण इस प्रकार हैं :—

1.	राजस्व प्राप्तियां 2 लाख 85 हजार 533 करोड़ 34 लाख रुपये (दो लाख पिच्यासी हजार पांच सौ तैंतीस करोड़ चौंतीस लाख रुपये)
2.	राजस्व व्यय 3 लाख 18 हजार 516 करोड़ 26 लाख रुपये (तीन लाख अठारह हजार पांच सौ सोलह करोड़ छब्बीस लाख रुपये)
3.	राजस्व घाटा 32 हजार 982 करोड़ 92 लाख रुपये (बत्तीस हजार नौ सौ बियासी करोड़ बानवें लाख रुपये)
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां 2 लाख 73 हजार 148 करोड़ 64 लाख रुपये (दो लाख तेहत्तर हजार एक सौ अड़तालीस करोड़ चौसठ लाख रुपये)
5.	पूंजी खाते में व्यय 2 लाख 40 हजार 79 करोड़ 90 लाख रुपये (दो लाख चालीस हजार उन्यासी करोड़ नब्बे लाख रुपये)
6.	राजकोषीय घाटा 72 हजार 492 करोड़ 62 लाख रुपये (बहत्तर हजार चार सौ बानवें करोड़ बासठ लाख रुपये)

254. वर्ष 2026—27 के लिए **बजट अनुमानों** का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः—

1.	राजस्व प्राप्तियां 3 लाख 25 हजार 740 करोड़ 14 लाख रुपये (तीन लाख पच्चीस हजार सात सौ चालीस करोड़ चौदह लाख रुपये)
2.	राजस्व व्यय 3 लाख 50 हजार 54 करोड़ 7 लाख रुपये (तीन लाख पचास हजार चौवन करोड़ सात लाख रुपये)

https://finance.rajasthan.gov.in

3.	राजस्व घाटा	24 हजार 313 करोड़ 93 लाख रुपये (चौबीस हजार तीन सौ तेरह करोड़ तिरानवें लाख रुपये)
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां	2 लाख 85 हजार 433 करोड़ 87 लाख रुपये (दो लाख पिचासी हजार चार सौ तैंतीस करोड़ सत्यासी लाख रुपये)
5.	पूंजी खाते में व्यय	2 लाख 60 हजार 902 करोड़ 23 लाख रुपये (दो लाख साठ हजार नौ सौ दो करोड़ तेईस लाख रुपये)
6.	राजकोषीय घाटा	79 हजार 492 करोड़ 52 लाख रुपये (उन्यासी हजार चार सौ बानवें करोड़ बावन लाख रुपये)

राजकोषीय मानक (Fiscal Parameters) :

255. हमारे द्वारा राज्य में व्यापक स्तर पर Economic Development हेतु राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) का विस्तृत Road-map प्रस्तुत किया गया है, हमने Fiscal Parameters को अनुमत सीमा में रखते हुए समुचित संसाधनों (Resources) की व्यवस्था की है। बजट अनुमान 2026–27 में राज्य के राजकोषीय मानकों (Fiscal Parameters) का विवरण निम्न प्रकार है :–

मानक	बजट अनुमान
राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP)	21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये (इक्कीस लाख बावन हजार एक सौ करोड़ रुपये)
राजकोषीय घाटा (GSDP के प्रतिशत के रूप में)	3.69 % (तीन दशमलव छः नौ प्रतिशत)

https://finance.rajasthan.gov.in

ऋण एवं अन्य दायित्व (GSDP के प्रतिशत के रूप में)	36.8 % (छत्तीस दशमलव आठ प्रतिशत)
पूंजीगत परिव्यय	53 हजार 978 करोड़ 41 लाख रुपये (तिरेपन हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़ इकतालीस लाख रुपये)

256. हमारी सरकार द्वारा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए राजकोषीय घाटा (GSDP के प्रतिशत के रूप में) FRBM की अनुमत सीमा 3.7% (तीन दशमलव सात प्रतिशत) में ही रखा गया है।

257. विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन **(Prudent Fiscal Management)** एवं राजकोषीय समेकन **(Fiscal Consolidation):-**

I. **Consolidated Sinking Fund (CSF)** : हमारी सरकार द्वारा Prudent Fiscal Management को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के Consolidated Sinking Fund (CSF) में वर्ष 2024–25 से On Boarding कर निवेश प्रारम्भ किया गया है। हमारी सरकार ने अब तक CSF में राशि 2 हजार 934 करोड़ रुपये (दो हजार नौ सौ चौंतीस करोड़ रुपये) निवेश किया है।

II. **Guarantee Redemption Fund (GRF)** : इसी कड़ी में हमने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई राजकीय गारन्टियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई Contingent Liabilities के Risk Management के लिए भी RBI के Guarantee Redemption Fund (GRF) को भी वर्ष 2025–26 में on boarding किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा

https://finance.rajasthan.gov.in

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 हजार 450 करोड़ रुपये (दो हजार चार सौ पचास करोड़ रुपये) का निवेश किया गया है।

III. **Auction Treasury Bills (ATBs)** : राज्य सरकार द्वारा ATBs में भी समय–समय पर निवेश किया जाता है तथा इसमें निवेशित राशि के विरूद्ध भी Low Cost Funds उपलब्ध होते हैं।

CSF and GRF के अन्तर्गत निवेशित राशि का 50 प्रतिशत तक withdrawal मात्र 3.25% (तीन दशमलव दो पाँच प्रतिशत) की ब्याज दर पर उपलब्ध होता है, जो कि बाजार दर औसतन 7.5% (सात दशमलव पाँच प्रतिशत) से लगभग 4 प्रतिशत कम है। इन Instruments में निवेश से राज्य सरकार को जहां निवेशित राशि पर ब्याज प्राप्त होता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु कम लागत (Low Cost) पर संसाधन उपलब्ध होते हैं।

इस प्रकार हमारे द्वारा किये गये वित्तीय नवाचारों यथा– CSF में निवेश, GRF की On Boarding एवं निवेश तथा ATBs में निवेश के फलस्वरूप RBI द्वारा प्रदान की गई Drawing Facility के Optimum manner में उपयोग से राज्य को वर्ष 2025–26 में लगभग 600 करोड़ रुपये (छः सौ करोड़ रुपये) की बचत सुनिश्चित हो रही है एवं वर्ष 2026–27 में भी लगभग 750 करोड़ रुपये (सात सौ पचास करोड़ रुपये) की बचत होनी अनुमानित है।

IV. **Switching of State Government Securities (SGS)** : हम राज्य द्वारा पूर्व में लिये गये ऋण के Rationalization के लिए State

https://finance.rajasthan.gov.in

Government Securities (SGS) की Switching की प्रक्रिया पहली बार प्रारम्भ करने जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप राज्य के Debt Profile का Elongation, Re-structuring and Decongestion संभव हो सकेगा।

V. **<u>Special Assistance Scheme for Capital Investment (SASCI)</u>**

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पूंजीगत निवेश बढ़ाने हेतु SASCI योजना के अन्तर्गत राज्य को 50 Year Interest Free Loan उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से राज्य में सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण/ शहरी क्षेत्रों के आधारभूत विकास के साथ ही अर्थव्यवस्था का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है। हमारे द्वारा विभिन्न स्तरों पर त्वरित Compliance तथा योजनान्तर्गत पूंजीगत कार्यों के बेहतर Pace of Expenditure के आधार पर वर्ष 2025–26 में 9 हजार 500 करोड़ रुपये **(नौ हजार पाँच सौ करोड़ रुपये)** प्राप्त होने संभावित हैं। साथ ही, केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना में राज्य की उत्कृष्ट प्रगति के परिणामस्वरूप वर्ष 2026–27 में भी लगभग 15 हजार करोड़ रुपये **(पन्द्रह हजार करोड़ रुपये)** के ब्याज मुक्त (Interest Free) संसाधन उपलब्ध होने संभावित हैं।

पूंजीगत व्यय **(Capital Expenditure)** :

258. हमारी सरकार द्वारा Infrastructure Development को प्राथमिकता देते हुए राज्य बजट में पूंजीगत व्यय हेतु 53 हजार 978 करोड़ 41 लाख रुपये **(तिरेपन हजार नौ सौ अठहत्तर करोड़ इकतालीस लाख**

https://finance.rajasthan.gov.in

रुपये) व्यय करने का लक्ष्य रखा है, जो कि गत वर्ष से 36.9 % **(छत्तीस दशमलव नौ प्रतिशत)** अधिक है।

259. इसके साथ ही, राज्य के राजकीय उपक्रमों/संस्थाओं द्वारा राज्य में बिजली, सड़क व पानी आदि मूलभूत विकास कार्यों पर 51 हजार करोड़ रुपये **(इक्यावन हजार करोड़ रुपये)** से अधिक पूंजीगत व्यय किया जायेगा। इस प्रकार राज्य द्वारा वर्ष 2026–27 में कुल 1 लाख करोड़ रुपये **(एक लाख करोड़ रुपये)** से अधिक का प्रभावी पूंजीगत व्यय (Effective Capital Expenditure) किया जायेगा।

कृषि बजट (Agriculture Budget) :

260. कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु कृषि बजट के अन्तर्गत Budgetary and Extra Budgetary प्रावधानों का योजनावार एवं बजट मदवार विवरण **बजट खण्ड 4 द** में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2026–27 में समेकित निधि (Consolidated Fund), राज्य की स्वायत्तशासी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 1 लाख 19 हजार 4 सौ 8 करोड़ 11 लाख रुपये **(एक लाख उन्नीस हजार चार सौ आठ करोड़ ग्यारह लाख रुपये)** का प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 69 हजार 4 सौ 22 करोड़ 99 लाख रुपये **(उनहत्तर हजार चार सौ बाईस करोड़ निन्यानवें लाख रुपये)** समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है जो राज्य के कुल बजट का 11.36 % **(ग्यारह दशमलव तीन छः प्रतिशत)** है। कृषि बजट में गत वर्ष से 7.59 % **(सात दशमलव पाँच नौ प्रतिशत)** की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट GSDP का 5.55 % **(पाँच दशमलव पाँच पाँच प्रतिशत)** है।

https://finance.rajasthan.gov.in

ग्रीन बजट (Green Budget) :

261. प्रदेश में दीर्घकालीन सतत् विकास सुनिश्चित करने, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्धान्त का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को 'हरित राजस्थान' बनाने के उद्देश्य से हमने वर्ष 2025–26 में प्रथम ग्रीन बजट नवीन बजट **खण्ड 4 य** में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2026–27 के लिये ग्रीन बजट में 33 हजार 4 सौ 75 करोड़ 53 लाख रुपये (**तैंतीस हजार चार सौ पिचेहत्तर करोड़ तिरेपन लाख रुपये**) का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 12.74 % (**बारह दशमलव सात चार प्रतिशत**) है तथा कुल बजट का 5.48 % (**पाँच दशमलव चार आठ प्रतिशत**) है, जो कि गतवर्ष से 20.18 % (**बीस दशमलव एक आठ प्रतिशत**) अधिक है।

262. अब मैं, वर्ष **2026–27** का **वार्षिक वित्तीय विवरण** सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 **(Rajasthan Fiscal Responsibility And Budget Management Act, 2005)** की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण **(Medium Term Fiscal Policy Statement)**, राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण **(Fiscal Policy Strategy Statement)** एवं प्रकटीकरण विवरण **(Disclosure Statement),** मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

263. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य का यह बजट केवल आय–व्यय का लेखा–जोखा नहीं है, बल्कि जनहित, लोक–कल्याण, सुशासन और तीव्र आर्थिक विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सजीव

https://finance.rajasthan.gov.in

दस्तावेज है। नीति और राजधर्म के संतुलन से ही शासन में जनता का विश्वास जन्म लेता है और यह विश्वास हमारी वास्तविक पूंजी है। यहाँ मैं कहना चाहूँगी–

'' राह में मुश्किल होगी हज़ार,
तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही,
हो जायेगा हर सपना साकार,
तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।
मुश्किल है पर इतना भी नहीं,
कि तू कर ना सके,
दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं,
कि तू पा ना सके,
तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही।।''

264. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ।

–: जय हिन्द :–

https://finance.rajasthan.gov.in